Tuesday, 12 May, 1970

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th S

LOK SABHA DEBATE

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
12-8-84
Fumigated
On 3-2-84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60 (LA)
Date 16/11/2

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

ता०प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नो के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
1562	उद्योगों में लाभ	Profits in Industries	1
1564	दिल्ली में हरिजनों के रहन सहन की हालत	Living conditions of Harijans in Delhi	5
1565	लोहे की छीलन के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Scrap	10
1566	भारत के सीमेंट निगम द्वारा सीमेंट कारखानों की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal by Cement Corporation of India for setting up Cement Factories	12
1567	दक्षिण में प्रस्तावित इस्पात कारखाने के लिए मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी की सलाहकार के रूप में नियुक्ति	Appointment of M/s. Dastur and Co. as Consultants for Proposed Steel Plants in South . . .	15
	अल्प सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTIONS	
32	देश में पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित किये गये स्थान	Places developed as Tourist Centres in the Country	19
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
1561	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिये लाइसेंस देने के बारे में वित्तीय तथा करीय प्रोत्साहन विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशें	Recommendations of Working Group on Fiscal and Financial Incentives *re :* issue of licences for Starting Industries in Backward Areas .	33
1563	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये रियायत	Concession for setting up Industries in Backward Areas . . .	34
1568	चुनावों पर व्यय	Expenses on Elections . . .	34
1570	री रोलिंग मिलों को उत्पादों के मूल्य उचित स्तर पर रखने की सरकार की चेतावनी	Government's Warning to Re-Rolling Mills to Keep Prices of Products at Reasonable Level . . .	35
1571	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को घाटा	Loss incurred by H.M.T. Ltd. . .	35
1572	बिड़ला तथा टाटा उद्योग समूह को उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Birla and Tata Groups for starting Industries .	36

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र० संख्या S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1573	रेलवे प्लेटफार्मों पर आरक्षण के चार्टों का लगाया जाना	Display of Reservation Charts on Railway Platforms . . . 36
1574	धातु के बने रेलवे पासों पर रेलवे अधिकारियों के परिवारों द्वारा सैलूनों में यात्रा	Travel by Railway Officers' Families on Metal Passes in Saloons . . 37
1575	श्री रामनाथ गोयनका के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया मामला	Case registered by C.B.I. against Shri Ramnath Goenka 38
1576	मताधिकार की आयु कम करना	Lowering of Age for Franchise . 38
1577	विभिन्न रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों द्वारा रिक्त पदों को भरा जाना	Filling up of posts by Persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on various Railways . . 39
1578	फ्लाईऐश से रोड़ी कंकरीट का उत्पादन करने वाले नये कारखानों को लाइसेंस देना	Licencing of New Factories for Producing Concrete from Fly-Ash . 39
1579	उद्योग स्थापित करने के लिये इंजिनियरों को ऋण	Loan to Engineers for setting up Industries 40
1580	वर्दवान में गेंगमैनों और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों में हुई मुठभेड़	Clash Between Gangmen and Personnel of R.P.F. at Burdwan . . . 40
1581	मध्य प्रदेश में एस्बैस्ट्स बनाने का कारखाना	Asbestos Plant in Madhya Pradesh . 41
1582	राज्यों द्वारा औद्योगिक एककों से क्रय करना	Purchases from Industrial Units by States 41
1583	चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग में पंजीकरण	Registration with Election Commission of Political Parties to contest Elections 41
1584	टायरों और ट्यूबों की कमी	Shortage of Tyres and Tubes . 42
1585	1973–74 के लिये निर्धारित रेलवे संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना	Raising of Resources to meet Railway Targets for 1973–74 . . . 42
1586	विकासशील देशों को इस्पात का निर्यात	Export of steel to Developing countries 43
1587	राज्यों में आश्रम स्कूल	Ashram Schools in States 43
1588	नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना में सुधार	Improvement in setting up New Industrial Concerns 43
1589	रायचूर (दक्षिण-मध्य रेलवे) में मीठा तेल-टेंक वैगनों की कम सप्लाई	Short Supply of Sweet Oil Tank Wagons at Raichur (South Central Railway) 44
1590	मद्रास के पहाड़ी क्षेत्रों की आदिम जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की रहन-सहन की स्थिति	Living conditions of Hilly Tribes and Scheduled Tribes of Hilly areas of Tamil Nadu 45

अ० ता०प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9291 संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of Engineers through U.P.S.C.	45
9292 पंजाब में हरिजनों को तंग किया जाना	Harassment of Harijans in Punjab .	45
9293 स्कूटरों की मांग और उनका उत्पादन	Demand and Production of Scooters	46
9294 केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार मैसर्स एशियन केबिल्स के विरूद्ध मामला	C.B.I. Case Against M/s. Asian Cables	48
9295 मध्य प्रदेश में उद्योग	Industries in Madhya Pradesh .	48
9296 लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries	48
9297 सलेम इस्पात कारखाने के इक्विटी शेयरों की खरीद	Participation in Equity Share Capital of Salem Steel Plant . . .	49
9298 सरकारी कर्मचारियों को स्कूटर अलाट करना	Allotment of Scooters to Government Employees	49
9299 सलेम, विशाखापत्तनम और होसपेट में नये इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of New Steel Plants at Salem, Visakhapatnam and Hospet	50
9300 बड़ौदा स्टेशन (पश्चिम रेलवे) का विस्तार	Expansion of Baroda Station (Western Railway)	50
9301 गुजरात में कम्पनियों का बन्द होना	Closures of Companies in Gujarat .	51
9302 गुजरात में ट्रैक्टर कारखाने की स्थापना	Setting up of a Tractor Factory in Gujarat	51
9303 गुजरात को लोहे और इस्पात का आवंटन	Allotment of Iron and Steel to Gujarat	52
9304 सरकारी कार्यालयों और भिन्न सरकारी संस्थानों को माल सम्भरणकर्ता के रूप में स्वीकृत सूची में दर्ज कम्पनियां और फर्में	Companies and firms on approved list and as suppliers of stores to Government offices various Government establishments	52
9305 कलकत्ता में बिड़ला जूट मिल के प्रबन्धक निदेशक की गिरफ्तारी	Arrest of Managing Director of Birla Jute Mills in Calcutta . . .	52
9306 लाजपतनगर, नई दिल्ली स्थित कस्तूरबा निकेतन (होम) में रहने वालों के साथ अमानवीय व्यवहार	Inhuman treatment of inmates of Kasturba Home, Lajpat Nagar, New Delhi	53
9307 जेलों में सुधार के उपाय	Measures for Prison Reforms . .	53
9308 सिगरेट के पैकेटों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का मुद्रण	Printing of health warning on Cigarette Packets	54
9309 भारत का इस्पात उद्योग	India's Steel Industry . . .	54
9310 महाराष्ट्र की विधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted to Prime Minister by Members of Legislative Assembly of Maharashtra .	55
9311 तकनीकी जानकारी के लिए रायल्टी का भुगतान	Payment of Royalty for Technical Know-how	55

अ० ता०प्र०संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9312	छोटे बच्चों को भिक्षावृत्ति के लिये विकलांग बनाना / Crippling of small children for Begging Purposes	55
9313	केरल में सूक्ष्म औजार बनाने का कारखाना लगाने के लिये भूमि का अर्जन / Acquisition of Land for Precision Instruments Factory in Kerala .	56
9314	विदेशी तकनीकी जानकारी का आयात / Import of Foreign Technical Know-how	57
9315	खुरदा रोड रेलवे कालोनी (दक्षिण पूर्व रेलवे में अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले कर्मचारियों से किराये की वसूली / Recovery of Rent from Staff Unauthorisedly occupying Flats in Railway colony, Khurda Road (South Eastern Railway)	57
9316	उड़ीसा तथा राजस्थान में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा लोहा तथा इस्पात के लिये माल गोदाम (स्टाक यार्ड) खोलना / Opening of Stock Yards for Iron and Steel by Hindustan Steel Ltd. in Orissa and Rajasthan . . .	58
9317	भिक्षावृत्ति में वृद्धि / Increase in Beggary	59
9318	चौथी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण केलिये नियत राशि / Amount ear-marked for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Fourth Five Year Plan .	59
9319	मुजफ्फर नगर तथा मेरट (उत्तर प्रदेश) के हरिजनों के कल्याण के लिये नियत धन राशि तथा दी गई सुविधायें / Amount ear-marked and facilities provided for Welfare of Harijans of Mujaffar Nagar and Meerut (U.P.)	61
9320	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उद्धार का कार्यक्रम / Programme for Uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of U.P.	62
9321	चौथी पंचवर्षीय योजना में मेरठ (उत्तर प्रदेश) के हरिजनों के कल्याण के लिये नियतन / Allocation for Welfare of Harijans of Meerut (U.P.) in Fourth Five Year Plan	62
9322	फर्मों के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच / C.B.I. Inquiry against Firms	63
9323	हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशनों के पास सड़कों की देख भाल / Maintenance of Roads near Hazarat Nizamuddin and Delhi Cantt. Railway Stations . . .	63
9324	राज्यों में आर्थिक अराजकता से आन्तरिक व्यपार में बाधा / Economic anarchy in States hampering internal trades . . .	64
9326	भारतीय रेलवे में डीजल के इंजन चलाना / Dieselisation of Indian Railways	64
9327	दिल्ली और अम्बाला के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी की व्यवस्था / Additional train between Delhi and Ambala . . .	65
9328	रेलवे मंत्रालय में काम करने वाली महिलाएं / Female Employees working in Railway Ministry	65

अ० ना० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9329 रायबरेली में कारखाना	Factory in Rae-Bareli . . .	66
9330 उत्तर रेलवे के बछरावन स्टेशन पर हावड़ा अमृतसर मेल का रूकना	Stoppage of Howrah-Amritsar Mail at Bachhrawan station (Northern Railway)	66
9331 दक्षिण भारत में प्रस्तावित इस्पात कारखानों के लिये भारी इंजीनियरी निगम की मशीनरी	H. E. C. Machinery for proposed Steel Plants in the South . .	67
9332 बड़ौदा हाउस (उत्तर रेलवे) में कम्प्यूटरों का विभागीय चुनाव	Departmental selection of computer in Baroda House (Northern Railway)	67
9333 रेलवे में अधिकारियों के अस्थायी पदों की अवधि	Duration of Temporary posts of officers on Railways . . .	68
9334 श्री ज्योति वसु के लिये कलकत्ता से पटना तक की यात्रा के लिये आरक्षण	Reservation made for Shri Jyoti-Basu for travelling from Calcutta to Patna	68
9335 थाना बिहपुर के कटिहार (पूर्वोत्तर-रेलवे) तक यात्री गाड़ी चलाना	Introduction of passenger train between Thanna Bihpur and Katihar (North eastern Railway)	68
9336 कटिहार में डी० एस० कालिज को वार्षिक अनुदान	Annual Grants to D.S. College at Katihar	69
9337 श्री ज्योति बसु के लिये पटना स्टेशन पर की गई सुरक्षा व्यवस्था	Security arrangements made for Shri Jyoti Basu at Patna station .	69
9338 डी ० आर० यू० सी०·सी० रेलवे प्रयोक्ता समिति, कोटा डिविजन के लियें सदस्यों का नामनिर्देशन	Nomination of Members to D.R.U.C.C. (Railway Users Committee), Kota Division	70
9339 रांची के भारी इंजीनियरिंग निगम में तालाबन्दी	Lock-out in H.E.C. Ranchi . .	70
9340 नये इस्पात कारखानों के लिये तकनीकी कर्मचारी	Technical Personnel for new Steel Plants	71
9341 राष्ट्रीयकरण की आशंका से उद्योग की धीमी प्रगति	Slow growth of Industry due to threat of Nationalization . . .	71
9342 अमृतसर से सहारनपुर होकर दिल्ली को विद्युत गाड़ी	Electric train from Amritsar to Delhi *via* Saharanpur	71
9343 अजमेर तथा दिल्ली (पश्चिम रेलवे) के लेखा विभागों में सब हैडों के पदों की प्रतिशतता	Percentage of posts of Sub-Head in Accounts Department at Ajmer and Delhi (Western Railway) . .	72
9344 यातायात लेखा कार्यलय, अजमेर के ग्रेड 1 के क्लर्कों की पदोन्नति के लिये रेलवे बोर्ड के आदेशों का कार्यान्वित किया जाना	Implementation of Railway Board's orders for promotion to Clerks Grade I, Traffic Accounts Office, Ajmer.	72
9345 पश्चिम रेलवे के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की बरीयता के मामले में समय-सीमा संबंधी विनियमों का पालन न किया जाना	Deviation from time limit regulations *re.* seniority of Class III Staff (Western Railway) . . .	73
9346 गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन में कमी	Decline in production of steel in private sector	73

अ० ता० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9347 साम्प्रदायिक दंगों में क्षतिग्रस्त अहमदाबाद की मस्जिद की मरम्मत	Repair of Mosques in Ahmedabad damaged during communal disturbances	74
9348 इस्पात का उत्पादन	Production of steel	74
9349 संकेत तथा दूर संचार विभाग में छुट्टी रिजर्व तथा विश्राम देने वाले कर्मचारी	Leave reserve and rest given staff in signal and telecommunications Department	75
9350 संघों के पदाधिकारियों के संबंध में रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिश की स्वीकृति	Acceptance of recommendation of Railway accidents inquiry committee re. Office bearers of Unions . .	75
9351 इलैक्ट्रिकल सिग्नल मेनटेनर्स/मैकेनिकल सिग्नल मेनटेनर्स के संबंध में रोजगार के घंटे संबंधी विनियमों की क्रियान्विति	Implementation of hours of Employment Rules for Electrical Signal Maintainers / Mechanical Signal Maintainers	76
9352 ट्रेन्स क्लर्कों के पदों का दर्जा बढ़ाने की प्रतिशतता में वृद्धि	Increase in percentage of upgrading of Post of Train Clerks . .	76
9353 मानसी स्टेशन के चार्जमैन के विरुद्ध रेलवे सम्पत्ति (पूर्वोत्तर रेलवे) की चोरी का मामला	Case against Chargeman, Mansi Station for theft of Railway property	77
9354 समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के सिगनल विभाग के सहायक स्टेशन मास्टर का स्थानान्तरण	Transfer of Assistant Station Master Signal Department, Samastipur (North Eastern Railway) . .	77
9355 अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड दरभंगा को पुनः चालू करना	Rehabilitation of Ashok Paper Mills Ltd. Darbhanga	78
9356 रेलवे पर बकाया राशि वसूल करने के लिये सहरसा के गार्ड द्वारा मुकदमा दायर करना	Law suit filed by a Guard of Saharsa for recovery of outstanding dues from Railway	78
9357 सहरसा पूर्वोत्तर रेलवे में रेलपथ निरीक्षक के अधीन पटरी पर काम करने वालों (गैंगमैन) को सर्दियों की वर्दी सप्लाई	Supply of winter uniforms to Gangmen under P.W.I. Saharsa (North Eastern Railway)	79
9358 भद्रवती इस्पात परियोजना को लाभ	Profit earned by Bhadravati Steel Project	79
9359 लुधियाना-अम्बाला लाइन पर माल डिब्बों में आग	Fire in goods wagons on Ludhiana-Ambala line	79
9360 जांच आयोग द्वारा की गई जांच के विरुद्ध बिड़ला बन्धुओं का अभ्यावेदन	Representation by the Birlas against investigation by Inquiry Commission into their Affairs	79
9361 कोका-कोला उत्पादन करने वाली कम्पनी का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of Coca Cola Mfg. Company	80
9362 रेलवे अधिकारियों तथा रेलवे में उप मुख्य-लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य कर रहे भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण डिब्बों का प्रयोग	Use of Inspection carriages by Railway Officers and I.A. & A.S. Officers working as Deputy Chief Auditors, Chief advisers on Railways . .	80
9363 जातिवाद को समाप्त करने के उपाय	Measures to eradicate casteism .	81

अ० ता०प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9365 दिल्ली जाने वाली अपर इंडिया एक्सप्रेस के इंजन तथा एक डिब्बे का दिलदार नगर तथा मुगलसराय (पूर्व रेलवे) के बीच पटरी से उतर जाना	Derailment of engine and a coach of Delhi bound Upper India Express between Dildar Nagar and Moghul Sarai (Eastern Railway) . .	81
9366 नवद्वीप-कृष्णगढ़ रेलवे लाइन का बड़ी रेलवे लाइन बनाया जाना	Broad-gauge line for Nabadwip-Krishnanagar Railway Line . .	82
9367 सरकार द्वारा हाथ से बना हुआ कागज तथा अन्य वस्तुओं की खरीद	Purchase of hand-made paper and other articles/goods by Government	82
9368 स्कूटरों के लिये बैंकों तथा डाक-घरों के पास जमा जमानत की राशि	Security Deposits for Scooters held by Post Offices and Banks . .	82
9369 एकाधिकार तथा सीमित व्यापार कार्य प्रणाली अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आयोग की नियुक्ति	Appointment of Commission under Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 . . .	83
9370 उद्योगों की स्थापना में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का योगदान	Contribution of National Industrial Development Corporation in setting up of Industries	84
9371 नई दिल्ली गुड्स शेड में मालडिब्बों के जमा हो जाने के कारण नई दिल्ली के लिए सामान की बुकिंग पर प्रतिबन्ध	Restrictions on booking of goods to New Delhi due to wagon glut in goods shed at New Delhi . .	85
9372 बानापुर (मध्य रेलवे) पर ऊपरी पुल	Overhead Bridge at Banapura (Central Railway)	85
9373 बुरहानपुर स्टेशन (मध्य रेलवे) पर पुल का विस्तार	Extension of bridge at Burhanpur Railway Station (Central Railway)	86
9374 इटारसी रेलवे स्टेशन पर जलपान गृह	Refreshment rooms at Itarsi Railway Station	86
9375 खुर्दा रोड (दक्षिण पूर्व रेलवे) में कालेज की मांग	Demand for college at Khurda Road (South Eastern Railway) . .	87
9376 अनुबन्ध डाक की परीक्षा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को छूट	Exemption to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates in Appendix III-A Examination .	87
9377 दक्षिण पूर्व रेलवे के रेलपथ निरीक्षकों तथा सहायक रेलपथ निरीक्षकों की एसोसियेशन के कर्मचारियों की रेलवे मंत्री से भेंट	Meeting of P.W.I. and A.P.W.I. staff Association (Eastern and South Eastern Railway) with Railway Minister	88
9378 अखिल भारतीय अनुसचिवीय कर्मचारी एसोसियशन के प्रतिनिधि मण्डल की रेलवे मंत्री से भेंट	Meeting of Delegation of All India Ministerial Staff Association with Railway Minister	88
9379 अखिल भारतीय गार्ड परिषद् के प्रतिनिधि-मंडल की रेलवे मंत्री से भेंट	Meeting of delegation of All India Guards Council with Railway Minister	89
9380 सैलम इस्पात परियोजना	Salem Steel Project . .	90
9381 इस्पात की चपटी तथा गोल छड़ों का उत्पादन	Production of Steel Bars and Rods .	81

अ० ता०प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9382 इस्पात के मुख्य उत्पादकों द्वारा बिलेट का उत्पादन	Production of Billets by Main Steel Producers	92
9383 विधि मंत्रालय द्वारा अनुदित अधिनियम सांविधिक नियम या आदेश आदि	Acts/S.R. Os. translated by Law Ministry	93
9384 अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, दरभंगा को पुनः चालू करना	Rehabilitation of Ashok Paper Mills Ltd., Darbhanga	93
9385 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा लोहे तथा इस्पात का वितरण	Distribution of Iron and Steel by Hindustan Steel Ltd. . . .	94
9386 विलो क्लेफ्ट के ले जाने पर जम्मू तथा काश्मीर द्वारा प्रतिबन्ध	Restriction on movement of willow clefts by Jammu and Kashmir Government	95
9387 अफ्रीकी-एशियाई देशों में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा इस्पात का कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of steel plant by Tisco in Afro-Asian countries . . .	95
9388 रासायनिक संयंत्रों के लिये लोहे के सामान की आवश्यकता	Requirement of Hardware for Chemical Plants	96
9389 सिलाई की मशीन बनाने के कारखाने	Sewing Machine Factories . .	96
9390 हल्दिया में कार्बन संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Carbon Plant at Haldia	97
9391 19 सितम्बर, 1968 को हुई हड़ताल में दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों का भाग लेना	Participation by Southern Railway Employees in 19th September 1968 Strike	97
9392 19 सितम्बर, 1968 को हुई हड़ताल में पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों का भाग लेना	Participation by Eastern Railway Employees in 19th September, 1968 Strike	97
9393 19 सितम्बर, 1968 को हुई हड़ताल में मध्य रेलवे के कर्मचारियों का भाग लेना	Participation by Central Railway Employees in 19th September, 1968 Strike	98
9394 19 सितम्बर, 1968 को हुई हड़ताल में पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों का भाग लेना	Participation by Western Railway Employees in 19th September, 1968 Strike	98
9395 19 सितम्बर, 1968 को हुई हड़ताल में पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों का भाग लेना	Participation by North Eastern Railway Employees in 19th September, 1968 Strike	99
9396 विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में कमी	Decrease in Production of various Commodities	99
9397 रेलवे भूमि में कृषि	Cultivation on Railway Land . .	99
9398 राय बरेली में लैम्प निर्माण करने वाली कम्पनी स्थापित करना	Setting up of a Lamp Mfg. Company at Rae Bareli	100
9400 तुमकुर में उद्योग	Industries in Tumkur . . .	101
9401 अनुसूचित आदिम जातियों की मान्यता के बारे में महाराष्ट्र के आदिवासी विधायकों द्वारा भेजा गया संकल्प	Resolution sent by Maharashtra Adivasi M.L.As. re. recognition of Scheduled Tribes	101

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9402	अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में कुछ जातियां सम्मिलित करने के बारे में महाराष्ट्र के आदिवासी विधायकों द्वारा भेजा गया ज्ञापन	Memorandum sent by Adivasi M.L.As. from Maharashtra re. inclusion of certain Tribes in list of Scheduled Tribes 102
9403	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में महाराष्ट्र संसद् सदस्यों द्वारा भेजा गया ज्ञापन	Memorandum sent by Members of Parliament from Maharashtra re. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill . 102
9404	महाराष्ट्र में रेलवे का विकास	Development of Railway in Maharashtra 102
9405	दक्षिण मध्य रेलवे पर एक माल गाड़ी के डिब्बों के बिना इंजन चलना	Movement of Wagons of a Goods Train without Engine on S.C. Railway . 103
9406	मैसर्स इत्तहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्रा०) लिमिटेड का विभाजन करना	Bifurcation of M/s. Ithad Motor Transport (P) Ltd. 103
9407	मद्यनिषेध लागू करने के लिये राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की पेशकश	Centres offer of compensation to States for Introducing Prohibition . 104
9408	क्षयरोग सेनेटोरियमों में कर्मचारियों के लिये कीमती औषधियों के नुस्खे देने पर रोक	Restriction re. Prescription of costly drugs for Railway Employees in T.B. Sanatoria 104
9409	दक्षिण रेलवे के रेलवे विश्राम गृहों के दुरुपयोग के बारे में लेखापरीक्षा आपत्ति	Audit objection re. misuse of Railway Rest Houses on the Southern Railway 104
9410	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्मित वस्तुएं	Goods manufactured by Hindustan Steel Limited 105
9411	निजामाबाद नगर (आंध्र प्रदेश) में नीचे के पुल को चौड़ा करना	Widening of under bridge in Nizamabad Town (Andhra Pradesh) . . 106
9412	अस्थायी अधिकारियों तथा सीधे भर्ती किये गये श्रेणी एक के अधिकारियों के बीच भविष्य में पदोन्नति के मामले में विषमता	Disparity between temporary officers and directly recruited Class I Officers with regard to future promotion 107
9413	सिगनल तथा दूर-संचार विभाग में छुट्टी रिजर्व कर्मचारी	Leave reserve staff in Signal and Telecommunications Department . 107
9414	सिगनल तथा दूर-संचार विभाग में कर्मचारियों पर काम के भार को समान वितरण और नियुक्ति करने का मापदंड	Yardstick for posting and equitable distribution of workload of employees in Signal and Telecommunications Department 108
9415	तमिलनाडु में पुनः बेलन मिल के लिये बिलेट की कमी	Shortage of billets for re-rolling mills in Tamil Nadu 108
9416	गाड़ी के गार्ड-इंचार्ज के लिये नियत कसौटियां	Criteria fixed for Guard incharge of a train 109
9417	रेलवे में गार्डों की श्रेणी में छुट्टी रिजर्व	Leave reserve in Category of Guards on Railways 109

अ० ता०प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9418 उत्तर रेलवे के सहायक सिगनल तथा दूर-संचार इंजीनियर के द्वितीय श्रेणी ने पद के लिये चयन करने की प्रक्रिया	Procedure for selection to class II post of assistant signal and Telecommunications Engineers on Northern Railway	109
9419 सभी धर्मों के धार्मिक धर्मस्वों के लिए समान कानून	Uniformity of Law for religious endowments of All Faith	110
9420 कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का निरीक्षण	Inspection of National Small Scale Industries Corporation Ltd. by Staff Inspection Unit . . .	111
9421 राष्ट्रीय लघु उद्योग प्रोटोटाइप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र कर्मचारी संघ से मांग-पत्र	Charter of Demands from Employees Union of National Small Scale Industries Prototype Production and Training Centre . .	111
9422 रेलवे के लेखा विभाग तथा अन्य विभागों में कनिष्ट लिपिक को वरिष्ठ लिपिक के रूप में पदोन्नत करने की पद्धति में अन्तर	Difference in Method of Promotion of Junior Clerk to Senior Clerk in Accounts Department and other Departments of Railways . .	112
9423 प्रतियोगी और अर्हक परिशिष्ट II–क परीक्षा में अन्तर	Difference between Competitive and Qualifying Appendix II-A Examination	112
9424 आरक्षित कोटे में परिशिष्ट II–क परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees against Reservation Quota on the Basis of Appendix II-A Examination .	113
9425 पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in Accounts Department of Western Railway . . .	113
9426 लघु प्लास्टिक एककों में नायलोन की कमी	Shortage of Nylon Powder in Small Scale Plastic Units . . .	113
9427 नये इस्पात कारखानों के डिजाइन तैयार करने के लिए विदेशी सहायता	Foreign Assistance in Designing New Steel Plants	114
9428 हसन-मंगलौर रेलवे लाइन पर कार्य स्थगित करना और ठेकेदार को भुगतान रोकना	Suspension of Work on Hassan-Mangalore Railway Line and with holding of Payment to Contractor	115
9429 कोयम्बतूर में छोटे पैमाने के इंजीनियरिंग कारखाने	Small Scale Engineering Units in Coimbatore	115
9430 जरौदा नारा स्टेशन बनाने के लिये जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई थी उनको मुआवजे का भुगतान	Payment of Compensation to Persons whose land was acquired for construction of Jarauda Nara Station .	116
9431 कचेगुडा (आंध्र प्रदेश) का चल-टिकट परीक्षक	Travelling Ticket Examiner of Kacheguda (Andhra Pradesh) .	116
9432 भारतीय बायलर अधिनियम में संशोधन	Amendment of Indian Biolers Act	117
9433 एक अमेरिकी इंजीनियर द्वारा इंजीनियरी का कार्य करने के लिये अपनी भारत की यात्रा के बारे में मत व्यक्त किया जाना	Comment of a U.S. Engineer about his visit to India to carry out Engineering Job	117

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9434 पुरी में रेलवे प्राथमिक स्कूल के अध्यापन कर्मचारियों का बढ़ाया जाना	Augmenting of teaching staff of Railway Primary School at Puri .	118
9435 साइकिल निर्माताओं की साइकिल की कीमतों में वृद्धि की मांग	Demand of Cycle Manufacturers for increase in prices of Bicycle . .	118
9436 कोका-कोला की बोतलें भरने का संयंत्र	Coca Cola Bottling Plants	118
9437 अनधिकृत कब्जे से रेलवे भूमि को खाली करवाने के लिये अधिकारियों की शक्तियां	Powers vested in Officers to get Railway Land vacated from unauthorised occupants	119
9438 छपरा रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर प्लाट संख्या 2 के लिये रेलवे को किराये का भुगतान न करना	Non-Payment of rent to Railway for Plot No. 2 at Chupra Railway Station (North-Eastern Railway) .	119
दक्षिण रेलवे में फायरमैनों के आन्दोलन के बारे में	Re. Firemen's agitation on Southern Railway	120
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377 . . .	120
राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस	National Food Congress . . .	120
महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक दंगों के बारे .	Re. Communal Disturbances in Maharashtra	121
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	121
कार्य मंत्रणा समिति पच्चासवां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Fiftieth Report	122
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक	University Grants Commission (Amendment) Bill	123
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, और विश्वविद्यालय आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion to consider as passed by Rajya Sabha and Motion re. Annual Reports of University Grants Commission	123
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	123
श्री फ० गो० सेन	Shri P.G. Sen	128
श्री सी० के० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	129
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shrimati Suseela Gopalan	131
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	132
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	133
श्री ओंकारलाल बोहरा	Shri Onkarlal Bohra	135
डा० म० संतोषम	Dr. M. Santosham	137
हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के मुख्य परीक्षण विमान-चालक की विमान दुर्घटना के बारे में चर्चा	Discussion re Air-crash of Chief Test-Pilot of Hindustan Aeronautics Ltd.	138
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	138
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjeet Singh	141
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	142
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	143
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	144
श्री बृजराज सिंह—कोटा	Shri Brij Raj Singh—Kotah	144
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	145

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 12 मई, 1970/22 वैशाख, 1892 (शक)
Tuesday, May 12, 1970/Vaisakha 22, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिच उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उद्योगों में लाभ

*1562. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री सूरजभान :
श्री शारदा नन्द :
श्री अब्दुल गनी डार :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि कौन-कौन से भारतीय अथवा विदेशी उद्योग अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इस प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए गत 6 महीनों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानू प्रकाश सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 1965–66 वर्ष से संबंधित 1333 तथा 1966-67 से संबंधित 1501 गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों की वित्तीय स्थिति तथा कार्य प्रणाली का अध्ययन किया ।उन्होंने 1 965-66 के वर्ष वाली 501 तथा 1966-67 के वर्ष की 701 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों का भी अध्ययन किया । इन अध्ययनों का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में क्रमशः अगस्त, 1969 तथा नवम्बर 1969 में प्रकाशित हो चुका है ।

2. उक्त अध्ययनों में विभिन्न उद्योगों के बारे में कुल तथा शुद्ध लाभ (कुल लागत के प्रतिशत पर कारोपरान्त लाभ) का निकालना भी निहित था। 1966-67 में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों का कुल लागत पर प्रतिशत के रूप में कर के पश्चात् औसत लाभ 8.8 प्रतिशत था, सिल्क तथा रेयन वस्त्रों का प्रतिशत उच्चतम (18.6 प्रतिशत) था, सीमेंट (14.9 प्रतिशत) और रसायनों का (13.9 प्रतिशत) था। उसी वर्ष के लिए प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के मामले में औसत लाभकारी अनुपात लगभग 11 प्रतिशत था, धातुओं, रसायनों तथा उनके उत्पादों का सबसे अधिक था (14.3 प्रतिशत), तत्पश्चात् खाद्य सामग्री, सूती वस्त्रों, तम्बाकू, चमड़ा तथा उनके उपोत्पादों का प्रतिशत (12.5 प्रतिशत) रहा।

3. दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए विभिन्न अभ्युपाय किए गए हैं, जैसे--

(1) मांग को पूरा करने के लिए कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना ; आवश्यकतानुसार आयात बनाये रखना।

(2) बफर स्टाक का निर्माण करना।

(3) सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे खाद्यान, चीनी तथा दुग्ध के मामले में सार्वजनिक वितरण को संगठित करना।

(4) मूल्य नियन्त्रणों को लागू करना या तो सांविधिक रूप में जैसे वनस्पति के मामले में या अनौपचारिक रूप से जैसे टायरों तथा ट्यूबों, माचिस, साबुन आदि का मामला था।

(5) सहकारी माध्यमों द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना जैसे—सुपर बाजार, सहकारी उपभोक्ता भंडार।

(6) अधिक मांग को वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियों द्वारा नियंत्रित करना जैसे मूल्यों में सट्टे से होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए बैंक से अग्रिम धन देने को कठोर बनाना।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has said that Silk and Rayon industry has earned a maximum profit of 18.6 per cent and metals, chemicals and its products gave a maximum profit of 14.3 per cent. But, in fact in these industries and many other industries, the industrialists make manipulations in accounts and show much less profit. They show their personal expenses, conveyance charges and entertainment expenses in the Company's account. Another method is to show inflated salaries of directors. May I know from the Minister whether the Government would enact any legislation to put a ceiling on the profit? Ceiling on profit means, so far as a company is concerned, that maximum perquisite must be such & such, and the maximum salary should not exceed a prescribed limit etc. If the company exceeds the limit, that amount should not be counted while calculating the profit. May I know from the Minister whether the Government will put a ceiling on profits and, if not, why? Under the statement made just now, nothing is going to be achieved.

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shr Fakhruddin Ali Ahmed) : The hon. Member has rightly said that the companies show their profits after deducting the expenses from the total profit such as the amount given to directors, amount given as commission expenditure on perquisites etc. We have issued some instructions by which we have tried to reduce these expenses to a considerable extent. We hope that as a result of this there will be an increase in the income of the companies. But as far as the question of putting a ceiling on profit is concerned, we have to think of various aspects of the problem. It would not be advisable to do it in a hurry, because,

as I said, the average profit of the companies after paying the income-tax comes to about 1 per cent. There are some companies which make profit to the tune of 14 per cent or 12 per cent. Industrial development cannot be achieved to a larger extent by putting a ceiling on the profit of these companies. Therefore we will have to think over it carefully.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has just now said that the Government has issued some instructions not to put the personal expenses in the company's account. But if any of the companies defies the orders, will the Government think of legislation for criminal prosecution? Secondly, every year there is foreign investment to the tune of Rs. 29 crores in the private sector and an amount of Rs. 58 lakhs goes out of the country in the name of royalty etc. The price of commodities is increased due to this foreign collaboration. May I know from the Minister whether Government will make any provision to put an end to foreign collaboration ? Let the Government invite global tenders and strictly instruct to complete the work of the factory, say, within three years and then go away. Thereafter, either the Government may take it over or auction it to Indian capitalists. May I know whether the Government will consider these proposals?

Shri Fakhruddin Ali Ahmed : As far as the first part of the question is concerned, the instructions are issued under the company Law provisions, when a company neglects then it amounts to violation of the company Law and in that suitable action will be taken against it. Regarding prosecution, it is a suggestion and we can think over it.

श्री रंगा : क्या और अधिक अभ्यारोपण लगाने की बात है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैंने कहा कि इस विषय पर गौर किया जा सकता है।

श्री रंगा : क्या यह गौर किये जाने लायक विषय है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जब हम इस पर गौर करते हैं तो या तो हम इस सुझाव को स्वीकार कर सकते हैं या त्याग सकते हैं। यह माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव है और मैं इस पर गौर करने को तैयार हूं।

As far as the second question is concerned, the hon. Member knows that when we give permission for equity participation or foreign collaboration, we see that their share-holdings in existing companies are very limited. We are trying to limit the magnitude of foreign participation. But we are in great need of sophisticated know-how in many respects, and, therefore, we cannot do away with foreign participation altogether. Therefore we welcome it—it is essential for the development of our industry so that our industrial development is not impaired.

Shri K. N. Tiwary : The statement laid on the Table of the House, reads: "The Reserve Bank of India conducted a study on the finance and working of 1333 non-Government public limited companies relating to the year 1965-66 and 1501 such companies relating to the year 1966-67. They also undertook another study of 501 private limited companies relating to the year 1965-66 and 701 such companies relating to the year 1966-67." May I know whether the tractor and tyre companies are also included in the number presented above of private or non-public limited companies? If so, what is their margin of profit? What is their cost of production and what is the price charged from the agriculturists for these?

Shri Fakhruddin Ali Ahmed : Manufacturing companies are included in the list. Apart from this, there is no other information. But I can pass on the information to the Member later.

श्री हेम बरूआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों के फालतू क्षमतावाले क्षेत्रों को पहचानने में सफलता प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने कमियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है ? दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की ये कम्पनियां जिनमें फालतू क्षमता है सरकार को झूठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं, और इसके आधार पर सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण करती है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : हाल में हमने विभिन्न उद्योगों की फालतू क्षमता और उत्पादन में हुई बाधा का पता लगाने की कोशिश की है। इस के लिए मेरे मंत्रालय ने बाकी सारे मंत्रालयों को पत्र भेजे हैं। हम उन के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे यह मालूम हो सके कि सही स्थिति क्या है।

श्री हेम बरूआ : प्रश्न के दूसरे हिस्से अर्थात् झूठे प्रतिवेदन के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : उनके जवाब के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने जो जानकारी दी है वह ठीक है या नहीं।

श्री नन्द कुमार सोमानी : चीजों के मूल्य खुदरा व्योपारी और उत्पादक मनमानी ढंग से लगाते हैं, और साथ ही उपभोक्ताओं को घटिया किस्म की चीजें देते हैं, इसको देखते हुए यह बात स्पष्ट है कि यहां कोई सरकार शासन नहीं करती। आप के मंत्रालय का एक हिस्सा, जिसका नाम है असैनिक संभरण संगठन, उस का कर्त्तव्य यह माना जाता है कि देश में नित्यप्रति उपयोग में लाई जाने वाली चीजों के मूल्यों और किस्मों पर बराबर ध्यान रखे। यह विभाग किस प्रकार अपना कर्त्तव्य वहन करता है इसका उदाहरण प्रधान मंत्री के पुत्र की गोपनीय कहानी सुनकर मालूम हुआ जब उन्हें बजट के दिन पेट्रोल के लिए अधिक मूल्य देना पड़ा (व्यवधान ·····) मैं सरकारी नीतियों की निरर्थकता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रख कर संबद्ध संगठनों को प्रभावशाली कदम उठाने को बाध्य करने के लिए क्या करना चाहती है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : चीजों की किस्म में सुधार करने के लिए हम उत्पादकों पर जोर डाल रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि गत वर्षों की तुलना में, हमारे देश में उत्पादित चीजों की किस्मों में सुधार हुआ है और कई चीजें तो इतनी अच्छी किस्म की बन रही हैं कि विदेशों में उनकी मांग हो रही है। फिर, हम इनमें से अनेक उत्पादकों पर जोर डाल रहे हैं कि वे भारतीय मानक संस्था की छाप स्वीकार करें, ताकि जनता के सामने वे यह प्रमाण पेश कर सकें कि चीज़ बढ़िया किस्म की है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : उचित मूल्य लागू करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जहां तक मूल्यों का संबंध है, हमने कई कदम उठाये हैं। जब उत्पादक लोग नियंत्रण के बाहर जाते हैं, तो आत्यावश्यक पदार्थ संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत, हम मूल्य निश्चित करते हैं और मूल्य नियंत्रण की कोशिश करते हैं। दूसरे, हमने लागत और मूल्य की एक ब्यूरो बनाई है जहां केवल माल की किस्म ही नहीं, बल्कि मूल्य के बारे में भी जांच की जाएगी, और उसके आधार पर हम उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री अमृत नाहाटा : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि एक विदेशी कम्पनी जो यहां कोका-कोला बनाती है, और जिसका कुल पूंजी विनियोजन केवल 3 करोड़ रूपए के करीब है, हर साल 5 करोड़ रूपए का लाभ कमाती है और यह रकम विदेशों में जाती है ? उनका मुख्य कार्यालय रोम में है, और उनके पांच प्रबन्धक हैं जिनके पास बड़े-बड़े बंगले और गाड़ियां हैं। क्या यह एक अत्यावश्यक चीज़ है ? क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि इतनी छोटी पूंजी से इतनी बड़ी रकम विदेशों में कैसे जाने दी जाती है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : यह काम बहुत पहले किए गये सहयोग के समझौते के आधार पर चल रहा है। अतः जो भी रकम बाहर जाती है, उसे रोका नहीं जा सकता।

श्री अमृत नाहाटा : क्या उसे समझौते नहीं बदल सकते ?

Shri Jharkhande Rai : In regard to the list laid on the Table, I would like to know in what industries the profit earned is more than average and what are the industries where the profit is the least ?

Mr. Speaker : It is given there.

Shri Jharkhande Rai : We do not have it with us. Keeping in view the growing imbalance between the agricultural production and industrial production, what step the Government has taken to keep harmony between them and what has been the result ? The public sector is declining. Compared to private sector, public sector earns much less profit. Is it not a fact that the reason for this decline is that the managers of public sector industries have no faith in the public sector?

Shri Fakhruddin Ali Ahmed : The hon. Member can find out from the statement, as to which company is earning profit and which is running at loss.

As far as the second part of the question is concerned, we have taken all necessary steps for controlling the price.

Shri Jharkhande Rai : What about the question regarding the appointment of managers in public sector undertakings ?

Mr. Speaker : That is not relevent.

दिल्ली में हरिजनों के रहन-सहन की हालत

***1564. श्री बलराज मधोक :**

क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 7 लाख लोग, जिनमें अधिकांश हरिजन हैं, दिल्ली में कटरों तथा गन्दी बस्तियों में अत्यन्त गन्दी हालत में रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में समाज-कल्याण की दृष्टि से उनके रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) दिल्ली के कटरों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ख) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में गन्दी बस्तियां उन्मूलन/सुधार योजना के अधीन निम्नलिखित राशियां मंजूर की गई थी :—

1967–68 . .	44.85 लाख रुपये
1968–69 . .	39.00 लाख रुपये
1969–70 . .	"घनी बस्तियां में सुधार" की योजना के अधीन कटरों के सुधार के लिए 40.00 लाख रुपये जमा 25.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

Shri Bal Raj Madhok : This is the Social Welfare Department of the Central Government They talk of socialism, but they do not know how many Katras are there in Delhi and

[Shri Bal Raj Madhok.]

how many people live there. In these circumstances the common man of Delhi or for that matter in any part of the country, cannot expect anything from them.

Mr. Speaker : Please ask your question.

Shri Bal Raj Madhok : Two months have passed since I gave notice of this question. Was it not possible to get information in this regard?

I would like to know whether it is not a fact that about 7 lakhs of people live in Katras and nearly five lakhs in Jhuggis ? Is it not also a fact that in these Katras there is no water facility, no drainage system, and not even the facilities of lavatory? These people are living the life of hell. In the name of social welfare and Harijan welfare, what steps have the government taken during the last three years to improve the conditions of the people living in the Katras and slum areas ? Nothing is going to be achieved by producing some data or by raising some flamboyant slogans.

विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह समाज-कल्याण विभाग के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। यह निर्माण और आवास मंत्रालय से संबंधित है। चूंकि इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी। हमने उस मंत्रालय को इस की जानकारी दे दी। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप निर्माण मंत्री से जवाब मांगें।

Shri Rabi Ray : I have a point of order. The Cabinet has collective responsibility. When he had accepted the question, he should have come prepared to reply. It is not proper to say that this matter is concerned with Housing Department.

अध्यक्ष महोदय : यह मामला समाज-कल्याण विभाग से संबंधित है ।

Shri Bal Raj Madhok: The Delhi Administration has given full ownership rights on land to Harijans living in villages. Will the Central Government also give this right of ownership to the Harijan brethren living in Katras, such as J.J. Colony? Will the Government give facilities of housing to those who are having no land or no house?

श्री गोविंद मेनन : मैं इस प्रश्न के जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री बलराज मधोक : श्रीमान्, मैं आप से संरक्षण की प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न समाज-कल्याण मंत्रालय को भेजा गया था और प्रश्न यह है कि "उनकी स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।" प्रश्न के गठन के हिसाब से मैं समझता हूं कि यह प्रश्न आवास मंत्रालय को भेजा जाना चाहिये ।

श्री बलराज मधोक: "रहन-सहन की स्थिति" का अर्थ है विद्युत, शौचालय तथा अन्य ऐसी ही सुविधायें। इसलिये आप उनसे प्रश्न का उत्तर देने को कहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadav: I have a point of order. When the hon. Minister has accepted this question and is prepared to answer it, he should have collected the information and data from all the concerned Ministries. Clearly it was his responsibility.

श्री हेम बरूआ : प्रश्न का उत्तर न देने की प्रवृत्ति मंत्रियों में बढ़ती जा रही है।

Shri Rabi Ray : When the Ministers get struck up, then they say that that is not their subject.

Shri Bal Raj Madhok: The welfare of Harijans comes under the Social Welfare Department of the hon. Ministers. What has the hon. Minister done for the housing and other

amenities of the Harijans living in slums and Katras, if nothing has been done, would he do something now, and if so, what?

श्री गोविन्द मेनन : मैं अपनी कठिनाई बता चुका हूं.....(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह : वह इस प्रकार उत्तर क्यों देते हैं ? मेरे विचार से उन्हें बाहर चले जाना चाहिये।

Shri A. B. Vajpayee: You will agree, Sir, that the Harijan welfare comes under the Social Welfare Department. Even otherwise Delhi is a Union Territory and it is the responsibility of the Centre. Therefore, if the Minister of Social Welfare is asked to state what arrangements have been done for the housing of the Harijans, then, is not supposed to answer that ?

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने अपनी कठिनाई बता दी है। उनकी कठिनाई क्या है ? ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रश्न को क्यों स्वीकार किया ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय कहें कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में हरिजनों के कल्याण के लिये कोई योजना नहीं है।

श्री बलराज मधोक : वह कहें कि हरिजनों के कल्याण के लिये यहां कोई योजना नहीं है। मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। वह ऐसा कहें तो।

श्री गोविन्द मेनन : हरिजनों के कल्याण हेतु सामान्य व्यवस्था के अतिरिक्त, हरिजनों के मकान बनाने का समाज-कल्याण विभाग के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इस सारे कार्य को निर्माण तथा आवास मंत्रालय करता है। जैसा कि मैंने कहा है, जब यह प्रश्न आया मुख्य उत्तर के लिये जानकारी इस विभाग के पास थी। वह दे दी गई थी। आज प्रात: जब मैं इस बारे में सारा ब्यौरा प्राप्त करना चाहता था तो मुझे मालूम हुआ कि इस कार्य को एक दूसरा मंत्रालय देख रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr, Speaker, Sir, I have got a point of order. Is it not a fact that as regards the welfare of the Harijans and the improvement of the slums, the Central Government has adopted an attitude of criminal negligence. On one side, this subject is dealt with by the Ministry of Works and Housing, and besides that it is looked after by the Social Welfare Department, Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance also. None knows whose subject it is. Therefore, nothing is being done. I want to know.....

Mr. Speaker : I have not permitted you to put question. You rose on a point of order. You cannot convert that into a question.

Shri Kanwar Lal Gupta : My point of order is only whether the Government would bring about co-ordination between these four Ministries and also whether the hon. Minister would himself go and visit those areas ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब प्रश्न किसी विशिष्ट मंत्रालय को भेजे जाते हैं और वह मंत्रालय समझता कि प्रश्न के अमुक भाग का विषय उसके कार्यक्षेत्र के बाहर है तो अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी जानी चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether the hon. Minister take any action to bring about mutual co-ordination among these four Ministries and whether he himself would visit those areas ?

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न का नाम लेकर आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते।

Shri Ram Sewak Yadav : As regards the welfare of the Delhi Harijans which comes under the Social Welfare Department, would the hon. Minister make some arrangements for improvement in their living conditions on priority basis, and also make out a scheme in collaboration with other Ministries?

श्री गोविन्द मेनन : हरिजनों के मामले में हम शिक्षा संबंधी अनुदान आदि दे रहे हैं। गृह-निर्माण के लिये समाज-कल्याण विभाग के पास कोई कार्यक्रम नहीं है ।

Shri Ram Sewak Yadav : I have not said that he has got programme. The Department under the hon. Minister is supposed to look after the welfare and also improve the living conditions of the Harijans. Therefore, will he join with other concerned Ministries to prepare a programme on priority basis ?

Mr. Speaker : This is not relevent.

श्री मोरार जी देसाई : यह अनिश्चितता अनेक बार पैदा होती है क्योंकि माननीय सदस्यों को हमेशा ही यह मालूम नहीं हो पाता कि कौन-सा विषय किस मंत्रालय के अधीन है। जब कोई सदस्य किसी विशिष्ट मंत्री से कोई जानकारी मांगता है और यदि मंत्री वह जानकारी देने में असमर्थ होता है तो क्या यह उसका काम नहीं है कि वह संबंधित मंत्री से वह जानकारी प्राप्त कर ले ? मेरे विचार से अध्यक्ष महोदय सदस्य को संबंधित मंत्रालय के बारे में जानकारी दें ताकि इस प्रकार की चर्चा में समय नष्ट न हो ।

श्री जे० एच० पटेल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 32 के अधीन व्यवस्था है कि :

> "जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे, प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिये उपलब्ध होगा ।"

मंत्री महोदय उत्तर देने से इन्कार कर रहे हैं। आप निर्णय दीजिए कि क्या वह मंत्री होने योग्य हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी शक्तियां मुझे मिल जायें तो मैं सबसे अधिक भाग्यवान आदमी हूंगा। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है और वह कहते हैं कि उनके पास इसके सिवाय और कोई उत्तर नहीं है कि उनका मंत्रालय केवल अनुदान देता है। और आप को क्या चाहिये ? वह विशिष्ट रूप से उत्तर दे रहे हैं।

श्री अ० सिंह सहगल : मैं जानना चाहता हूं कि इस समय उनकी जीवन-दशा सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोविन्द मेनन : उस दिन जब समाज-कल्याण विभाग की मांगों पर चर्चा हुई थी तो, मैंने स्पष्ट किया था कि हरिजनों तथा अन्य लोगों की दशा सुधारने के समाज-कल्याण विभाग ने क्या-क्या किया है। मुख्य काम शिक्षा संबंधी सुविधायें देना तथा विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधायें देना तथा मैट्रिक के बाद छात्र-वृत्तियां देना है। मैंने आज प्रातः कहा कि गन्दी बस्तियों तथा गृह-निर्माण का कार्य समाज-कल्याण विभाग नहीं, निर्माण मंत्रालय करता है। श्री मोरार जी भाई ने सही कहा है मैं यह जानकारी बाद में उस मंत्रालय से प्राप्त कर सकता हूं या फिर उन मंत्री से निवेदन कर सकता हूं कि वह उत्तर दे दें।

श्री रंगा : तो यह प्रश्न शेष रहना चाहिये ।

श्री मनुभाई पटेल : मैं आवास सुविधाओं का या गृह-निर्माण के बारे में प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैं तो वह प्रश्न पूछूंगा जो उनके मंत्रालय के अधीन है। इन विशिष्ट क्षेत्र के लोगों को क्या-क्या शिक्षा सुविधायें दी गई हैं ; बच्चों को कौन-सी स्वास्थ्य सुविधायें दी गई हैं और समाज-कल्याण विभाग और कौन-सी अन्य सुविधायें इस क्षेत्र के लोगों को दे रहा है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैंने पहले ही कहा है कि इस विभाग का मुख्य काम छात्रवृतियां, निशुल्क शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधायें देना है ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो। यहां यह प्रश्न है कि विशिष्ट रूप से दिल्ली क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, उसके उत्तर के लिय मुझे सूचना चाहिए।

Shri Ramavtar Shastri : The hon. Minister has just now stated that this Department provides for educational facilities to the Harijan Students. So, I want to know the amount of scholarships given to the Harijan Students every year during the last 3 years and among how many Harijan Students was this amount distributed?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की सूचना चाहिये।

श्री बसुमतारी : प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दिये गये हैं कि सदस्य इससे विल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हरिजनों तथा आदिवासी लोगों की दशा में सुधार किया जा रहा है; इस लिये सदस्यों के मनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विकास की व्यवस्था के प्रति शेष है। यदि ऐसा है तो सरकार को यह स्वीकार करना चाहिये कि उनकी दशा, आरक्षण में वृद्धि करने पर भी, संतोषजनक नहीं है। क्या यह सच नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कया है ?

श्री बसुमतारी : प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि विभिन्न कार्यवाहियों के ज़रिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का जो विकास किया गया है वह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है ?

Shri Ram Charan : Sir, the condition of Harijan slum-dwellers is very miserable. The Jhuggi-Jhonpri dwellers are being rehabilated outside Delhi, but their condition has not changed. These colonies are as dirty as they were here. May I know whether the hon. Minister will give grants for construction of houses for these Harijan slum-dwellers?

Mr. Speaker : It is the same question relating Mr. K. K. Shah.

Shri Ram Charan : Sir, my point is that houses should be built for these Harijans. Will the department of hon. Minister give some grant for the construction of houses for Harijans living in slums?

Mr. Speaker: The hon. Member has repeated the question which Shri Modhak had asked.

श्री रा० ढो० भण्डारे : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके सचिवालय में कोई ऐसा विभाग है जो सदस्यों को यह बता सकता हो कि उनका अमुक प्रश्न अमुक मंत्रालय से संबंधित है। यह प्रश्न दिल्ली के कटरों में रहने वाले हरिजनों के वारे में है और समाज कल्याण मंत्री का यह कहना ठीक ही है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं · · · · · · · (व्यवधान) मैं यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सदन के कुछ सदस्यों का मन इस पर क्षुब्ध है। अतः हमारे सचिवालय को चाहिए कि वह प्रश्नों का उचित विभाजन करके उसे संबद्ध मंत्री तक भेजे। इस प्रश्न पर आवास मंत्री को ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसका संबंध 'स्लम' क्षेत्रों से गन्दगी हटाने तथा अस्वास्थ्यकर हालतों को दूर करने से हैं। अनुसूचित जातियों के लोगों तथा हरिजनों को शहर से बाहर बसाया गया है और वहां उनकी देख-भाल नहीं हो रही और यहां तक कि स्वास्थ्य तथा आवास मंत्रालय भी उनकी देख-भाल के लिए तैयार नहीं है। समाज कल्याण मंत्री का कहना है कि यह प्रश्न उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है और इसका संबंध आवास-आयुक्त या आवास मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री से है। अतः मैं चाहता हूं कि हमारे सचिवालय में एक ऐसी शाखा अवश्य होनी चाहिए जो मंत्रियों तथा उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निदर्शन उचित मंत्री तक कर सके।

श्री रणजीत सिंह : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने दिल्ली की कितनी गन्दी बस्तियों का दौरा किया है और यहां कुल ऐसी कितनी बस्तियां हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन हरिजनों के जो पीढ़ियों से भूमि के विशेष टुकड़े पर रह रहे हैं, स्वामित्व अधिकार, मकानों तथा सफाई आदि की स्थिति जैसे अत्यावश्यक मद समाज कल्याण विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, या नहीं ?

श्री गोविंद मेनन : मैं इस स्थिति म नहीं हूं कि आज इसका उत्तर दे सकूं।

श्री रणजीत सिंह : क्या कभी उन्होंने बस्तियों का दौरा किया है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। प्रश्न का भाग (क) इस प्रकार :—

"क्या यह सच है कि दिल्ली के 7 लाख लोग जिनमें से अधिकांश हरिजन हैं अत्यधिक अस्वास्थ्यकर स्थितियों में दिल्ली में कटरों व गन्दी बस्तियों में रहते हैं ;"

प्रत्यक्ष रूप से तो यह समाज कल्याण मंत्री से पूछा गया प्रतीत होता है। प्रश्न का दूसरा भाग आंशिक रूप से समाज कल्याण मंत्री से पूछा गया है। यदि आप चाहें तो मैं इस प्रश्न को गृह-निर्माण मंत्री को भेज सकता हूं .... (व्यवधान) अगला प्रश्न ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : महोदय, इससे पूर्व कि आप अगले प्रश्न की अनुमति दें, मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि उन्होंने कभी किसी बस्ती का दौरा किया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का रूप बदलना होगा क्योंकि इसका संबंध आवास या गन्दी बस्तियों को सुधारने से है ।

श्री रणजीत सिंह : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है और मेरा प्रश्न पूछे गए प्रश्न से संगत है ।

श्री चेंगलशया नायडू : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह मंत्रालय हरिजन कल्याण के लिए भी उत्तर-दायी है क्योंकि इसे विधि एवं समाज कल्याण मंत्रालय कहा जाता है और क्या समाज कल्याण मंत्रालय हरिजन कल्याण का भी ध्यान रखता है या नहीं। यदि ऐसा न होता तो हम प्रश्न कैसे पूछ सकते थे। अत: इसका स्पष्टीकरण किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे उनका अनुपूरक सुनने दीजिए । आप बीच में क्यों बोलते हैं । उनका प्रश्न यह था कि क्या मंत्री महोदय ने ऐसी किसी बस्ती का दौरा किया है।

श्री गोविन्द मेनन : जी हां, मैंने कुछ बस्तियों का दौरा किया है और अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कब और कितनी बस्तियों का दौरा किया था ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री बिड़ला ।

लोहे की छीलन के निर्यात पर प्रतिबन्ध

*1565. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय लोहे की छीलन को, जो देश के इस्पात भट्टी उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी व्यापार मंत्रालय विदेशी मुद्रा की हानि के भय से इस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के विरुद्ध है ;

(ग) क्या इस बारे में भारतीय इस्पात भट्टी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में अंतिम रूप से क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क), (ख) और (घ): स्क्रैप की निर्यात-नीति निर्धारित करते समय सरकार यथार्थ घरेलू मांग को ध्यान में रखेगी। विदेश व्यापार मंत्रालय

और यह मंत्रालय संयुक्त रूप से स्क्रैप की निर्यात-नीति का पुनर्विलोकन कर रहे हैं। पुनर्विलोकन किये जाने तक यह फैसला किया गया है कि 31-3-1970 के पश्चात् कुछ प्रकार के स्क्रैप के निर्यात के लिये कोई और वायदे न किये जायं ।

(ग) स्टील फर्नेस एसोसिएशन आफ इण्डिया ने सरकार को अभ्यावेदन किया था जिस में उन्होंने कुछ प्रकार के स्क्रैप को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया था और यह सुझाव दिया था कि जिस प्रकार के स्क्रैप का वे उपयोग करते हैं उसका आगे निर्यात करने पर रोक लगाई जाय ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि सरकार देश में प्रयुक्त होने वाले स्क्रैप का निर्यात नहीं करेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नीति निर्धारण के बाद पिछले एक वर्ष में कितना स्क्रैप और कितनी स्क्रैप से निर्मित वस्तुओं का निर्यात हुआ ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: 1968 में लगभग 5,79,652 टन स्क्रैप निर्यात हुआ किन्तु 1969 में यह निर्यात घट कर 4,51,620 टन रह गया। इससे यह बात जाहिर होती है कि देश में स्क्रैप की मांग बढ़ गई है। जहां तक आन्तरिक खपत का प्रश्न है इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसकी मांग 1967 में 16,264 टन से बढ़कर 1969 में 31,841 टन हो गई। देश में प्रयुक्त होने वाले स्क्रैप से हम निर्मित वस्तुएं तैयार करते हैं।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मेरा प्रश्न अत्यंत स्पष्ट है कि स्क्रैप से निर्मित की गई कितनी वस्तुओं का पिछले वर्ष निर्यात हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न केवल स्क्रैप के बारे में था। कृपया दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मेरा दूसरा प्रश्न है कि देश में कुल कितनी इस्पात की भट्टियां हैं और उनकी निर्धारित क्षमता क्या है। और उनमें स्क्रैप की खपत कितनी है। क्या उनकी केवल 30, 50 या 75 प्रतिशत क्षमता ही प्रयोग में लायी जा रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मेरे पास भट्टियों की संख्या संबंधी ब्यौरा नहीं है । मैं केवल भट्टियों के मालिकों द्वारा बताई गई मांग के बारे में सूचना दे सकता हूं । बताया गया है कि चालू वर्ष में मांग 12,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 77,360 मीट्रिक टन हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न था कि क्या इस्पात भट्टी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । आपने भट्टियों की संख्या के विषय में पूछा । वह आपके प्रश्न का उत्तर देने को तो बाध्य हैं परन्तु आपका प्रश्न केवल अभ्यावेदन के बारे में था ।

श्री तिरूमल राव : मैं आपका ध्यान प्रश्न के भाग (ग) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय का कहना है कि उनके पास भट्टियों का ब्यौरा नहीं है। उन्हें पर्याप्त पूर्व सूचना दी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न की सूचना नहीं दी थी । प्रश्न उनके द्वारा पूछा गया है !

श्री तिरूमल राव : मैंने समझा शायद आपने मुझे अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने इस संबंध में कोई प्रश्न पूछा था ।

श्री बूटा सिंह : इस्पात की बहुत सी भट्टियां कच्चे माल अर्थात् स्क्रैप की कमी के कारण बन्द होने वाली हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय को इस बात का ज्ञान है कि स्क्रैप का काम करने वाले बड़े व्यापारियों ने फैक्टरी से निकाले हुए लोहे को जमा कर रखा है और वह छोटे कारखानों को इसकी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इन छोटे कारखानों को, स्क्रैप और दूसरे ग्रेड का इस्पात दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : स्क्रैप संबंधी समस्त नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है। छोटे उत्पादकों द्वारा जो कठिनाई महसूस की जा रही है उसका हमे पता है और हमें उनकी सहायता करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Om Prakash Tyagi : We earn 60% of foreign exchange from export of engineering goods but we are unable to meet the demand of the engineering industry for steel for there is constent scarcity of steel. In such a situation, which large number of steel furnaces are closing and engineering goods that earn foreign exchange for us are not being manufactured, how the Government have given permission for export of scrap? Do they realise the lapes? When will the export of scrap be completely banned?

Shri Mohd Shafi Qureshi : The Government is not at fault. We are quite alert.

We have stopped exporting scrap because the demand for scrap is increasing day by day in our country. We wish that the demands of those factories which use scrap should be met and the articles which are worth exporting should be exported.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : देशी भट्टियों की आवश्यकताओं को निश्चय ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए उसी सीमा तक निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जिस कीमत पर स्क्रैप के विक्रेताओं को स्क्रैप बेचने के लिए बाध्य किया जाता है वह उनके लिए अलाभप्रद है ? और क्या इस स्थिति का पुनरीक्षण करने का कोई विचार है ताकि उन्हें व्यापार में हानि न हो ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : महोदय, कीमतों के संबंध में कुछ शिकायतें अवश्य प्राप्त हुई है। सरकार इस विषय को सुलझाने के संबंध में विचार कर रही है।

भारत के सीमेंट निगम द्वारा सीमेंट कारखानों की स्थापना का प्रस्ताव

†1566. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सीमेंट निगम ने विभिन्न राज्यों में कुछ सीमेंट कारखाने स्थापित करने के बारे में हाल ही में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1970-71 के दौरान उक्त सीमेंट कारखाने किन-किन स्थानों और किन-किन राज्यों में स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी और कारखानों की स्थापना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने अब तक मंढर (मध्य प्रदेश) तथा कुरकुन्ता (मैसूर राज्ये) में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना को अनुमोदित किया है। सिद्धांत रूप में बोकाजन (आसाम) में अन्य संयंत्र की स्थापना को भी मान लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पौंटा स्थान पर इसी प्रकार के अन्य संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

(ग) मन्ढर (मध्य प्रदेश) सीमेंट कारखाने में जून, 1970 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा जबकि कुरकुन्ता (मैसूर) के कारखाने में 1971 के आरम्भ में परीक्षण के रूप में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

(घ) कारखाना	उत्पादन क्षमता वर्ष	परियोजना लागत
1. मंढर (म०प्र०)	250,000 मी० टन	451.51 लाख रु०
2. कुरकुन्ता (मैसूर)	200,000 मी० टन	442.72 लाख रु०
3. बोकाजन (आसाम) .	200,000 मी० टन	1127 लाख रु०

Shri Yamuna Prasad Mandal : Sir, hon. Minister has just stated that the Government are going to set up cement factories in Mysore, Madhya Pradesh and Assam and have Himachal Pradesh also under consideration. Thus, four new factories will be set up, but can these factories meet the country's demand for cement? In view of the increasing consumption of cement, does the Government proposed to set up a factory in North Bihar also, because there is only one factory in South Bihar. In North Bihar where the population is $2/\frac{1}{2}$ crores, there is no big cement or steel factory.

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : It is an industry where expansions can be done both in the Public and Private sectors. So far as Public sector is concerned, there is no proposal for setting more than four factories, because we do not have the resources. But if somebody is interested in setting up a cement factory in the Private sector, we will certainly consider his case.

Shri Yamuna Prasad Mandal : May I know from the hon. Minister whether he will consider the question of setting up a cement factory in Uttar Pradesh as there is no such factory. It is the biggest State in India but it is backward so far as big and small industries are concerned.

Shri Bhanu Prakash Singh : As the hon. Minister has just stated, the question of setting up four cement factories in the Fourth Five Year Plan is still under consideration. We are prepared to consider application from private sector from anybody in U.P.

श्री क० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, काफी समय पूर्व भारतीय सीमेंट निगम ने मैसूर राज्य में एक सीमेंट का कारखाना खोलने का प्रस्ताव रखा था। मैसूर राज्य सरकार ने कारखाना आरम्भ करने हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है। वहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किन्तु मैसूर राज्य के बार-बार मांग करने पर भी कन्द्रीय सरकार विलम्ब कर रही है और साथ ही विलम्ब के कारण नहीं बतलाए गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कारखाना मैसूर में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में खोला जाएगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसाकि बताया जा चुका है मैसूर राज्य में सीमेंट के कारखाने में 1971 में परीक्षण किया जाएगा। उत्पादन तो इसके बाद ही शुरू होगा।

श्री स० कंडप्पन : यह बड़ी न्यायोचित मांग है अतः इसे पूरा किया जाना चाहिए। जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहां सीमेंट के कारखाने बनाए जाने चाहिएं। भारत सरकार का आयोजन इस प्रकार का है कि कुछ क्षेत्रों में सीमेंट का उत्पादन आवश्यकता से बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए मेरे राज्य में सीमेंट का उत्पादन काफी अधिकता में होता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नए कारखाने स्थापित करने से पूर्व इस बात पर विचार करेगी कि पहले से स्थापित कारखानों में उत्पादित सीमेंट की बर्बादी नहीं हो।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : सीमेंट की मांग बढ़ने की संभावना है । अब इसकी मांग लगभग 1.3 करोड़ टन और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2.1 करोड़ टन हो जाएगी । सीमेंट कारखानों के लिए देश में पर्याप्त क्षेत्र है और सीमेंट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में और नए कारखाने खोले जाएंगे । हमारी नीति यह है कि देश के उन भागों में जहां सीमेंट की कमी है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने के लिए यातायात का काफी खर्च उठाना पड़ता है, वहां कारखाने खोले जाएं । अतः हम उन क्षेत्रों का चुनाव कर रहे हैं जहां सीमेंट की कमी होने के साथ-साथ सीमेंट उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक साधन भी उपलब्ध हों।

Shri Vikram Chand Mahajan : Himachal Pradesh Government had requested the Centre for setting up two cement factories in that State. May I know whether the request has been acceded to, and if not, what are the reasons ?

Shri F. A. Ahmed : As I have said, we have four projects. If more resources are made available, we will consider the opening of more factories.

श्री हेम बरूआ : आसाम के सम्बन्ध में क्या विचार है ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : स्वीकृत तीन परियोजनाओं में एक परियोजना आसाम के लिए भी स्वीकृत की गई है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सप्लाई से सीमेंट की मांग अधिक है और सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि हुई है, क्या सरकार गैर-परियोजना कार्यों के लिए सीमेंट की मांग को पूरा करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक इन चार कारखानों की स्थापना करने से 2.1 करोड़ मीट्रिक टन के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक हमें 2.1 करोड़ मीट्रिक टन सीमेंट की आवश्यकता होगी । इस समय लाइसेंस प्राप्त क्षमता केवल 1.60 करोड़ मीट्रिक टन है । वर्तमान कारखानों का विस्तार किया जा रहा है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में भी नए कारखाने स्थापित होने की संभावना है । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हम चार कारखाने स्थापित कर रहे हैं जिनसे चौथी योजना की अवधि के अंत तक लगभग 8 लाख मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादित होगा । संसाधनों की कमी के कारण सरकारी क्षेत्र में अधिक कारखाने स्थापित करना सम्भव नहीं हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : Sir, hon. Minister has given an evassive answer regarding the question of U.P. He has said that the matter will be considered if somebody will apply for setting up a cement factory in private sector. May I know, firstly, whether anybody has applied for setting up a factory in U.P. ? If so, how many applications have been received ? My second question is, keeping in view the backwardness of U.P., will the Government consider setting up of a cement factory there or not ? ..... *(interruptions)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता । पूछे गए प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में पृथक प्रश्न पूछना होगा ।

श्री रा० बरूआ : उपमंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से ऐसा प्रतीत हुआ कि बोकाजन में सीमेंट कारखाना बनाने के लिए सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दे दी गई है, किन्तु मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा लगता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने की स्थापना पर विचार किया जाएगा ।

हम बड़े ही असंमंजस में हैं । बोकाजन कारखाने के सम्बन्ध में हम मंत्री महोदय से दृढ़ आश्वासन चाहते हैं ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि निगम को प्रस्तावित कारखाने हेतु आवश्यक प्रारम्भिक निदेश दिए जा चुके हैं और वहां प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जांच कर रहा है । प्रारम्भिक खर्चों के लिए औपचारिक स्वीकृति दी जा चुकी है और शीघ्र ही इस कारखाने की स्थापना की जाएगी ।

दक्षिण से प्रस्तावित इस्पात कारखाने के लिए मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को सलाहकार के रूप में नियुक्ति

*1567. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में तीन इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये सरकार ने मैसर्स दस्तूर एण्ड कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो केवल एक फर्म को यह काम सौंपने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : Can the Government say, as has been pointed out in an Estimates Committee Report, whether the Russian Collaborators have not spoken well of Dastur and Company, and have not approved of them ? May I know from the hon. Minister how far it is correct that we are too dependent on the Russian Collaboration, that each and every proposal is subject to their acceptance or rejection.

Shri Krishan Chander Pant : This question is about setting up of three new cement factories with which Russian Collaboration has nothing to do at all.

Shri Yashpal Singh : Sir, can we know who will be its first consultant and with whose advice this work will be carried on ?

Shri K.C. Pant : It will have Indian consultants and Government will have discussion with Dastur and Co. also in regard to the form of their participation in it.

श्री रंगा : लगभग 5 वर्ष पहले हमें यह बताया गया था कि हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन, 'सलाहकार सेना' की स्थापना करने जा रहे हैं ताकि भविष्य में स्थापित किए जाने वाले इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में और उनके निर्माण कार्य के बारे में सलाह ली जा सके । मैं जानना चाहता हूं इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है और क्या तीनों नए इस्पात कारखानों का निर्माण कार्य हम अपनी जानकारी के अनुसार कर रहे हैं ।

श्री कृ० चन्द्र पन्त : हिन्दुस्तान स्टील लि० के सैन्ट्रल इन्जीनियरिंग और डिजायन ब्यूरो ने कुछ 'जानकारी' का विकास किया है । इस समय सैन्ट्रल इनजिनियरिंग डिजायन ब्यूरो तथा दस्तूर एण्ड कम्पनी, इन दो संगठनों में यह काम किया है और मौजूदा परिस्थिति में हम विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं करना चाहते । हम इन दोनों संगठनों से इस बारे में बातचीत करेंगे कि इन इस्पात संयंत्रों की स्थापना के कार्यक्रम में वे हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं ।

Shri Rabi Ray : May I know from the hon. Minister whether it is a fact that the feasibility report in regard to Salem has already been received whereas feasibility reports regarding Vishakhapatnam and Hospet have not yet come. Are the Govt. taking the advice of C.I.D.B. in regard to the feasibility reports about Vishakhapatnam and Hospet ?

Shri K. C. Pant : The feasibility report will be prepared after a decision in regard to consultancy is taken.

अल्प-सूचना प्रश्नों के बारे में

RE : SHORT NOTICE QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : अब अल्प-सूचना प्रश्न को लिया जाये ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 32 है ।

Shri Shri Chand Goyal : Mr. Speaker, Sir, there appears to be no criteria for admitting Short Notice Questions. Importance of the nature of the question is not considered and the Minister allows the question that he likes. I have sent a number of questions relating to very urgent matters, but these have not been admitted whereas this question which did not have that importance has been admitted. I request that such thing should not happen. It appears that partisan attitude is adopted in admitting Short Notice Questions.

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Sir, Short Notice Questions are not being allowed even on very important matters.

Shri Hukam Chand Kachwai : Question from the person who meets the Minister and has a talk with him, is accepted and other questions are rejected.

श्री श्री चन्द गोयल : मैंने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामलों से सम्बन्धित जितने अल्प-सूचना प्रश्न दिये हैं, उनमें से कोई भी स्वीकार नहीं किया गया है । दूसरी ओर मैं देखता हूं कि अनावश्यक प्रश्नों को स्वीकार किया गया है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The main point is that important questions are not accepted. Questions are admitted in collusion with the Minister. (*Interruption.*)

Shri Manubhai Patel : Mr Speaker, Sir,. we are not making any complaint against the Member who has asked this question, but we are referring to the Minister who accepts the questions. We are not saying anything about hon. Member Shri Prem Chand Verma.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr Speaker, Sir, I have no complaint either against hon. Shri Prem Chand Verma or Dr Karan Singh.

The point is that the rules framed are such that the Minister has to admit the Short Notice Questions and you do not come in the picture. Important matters are referred to the Rules Committee. This matter may also be referred to it, *viz.*, that the Speaker should also have his say in regard to Short Notice Questions.

Mr. Speaker : It will be referred to the Committee.

श्री नाथ पाई : श्री वाजपेयी के कथन का मैं समर्थन करना चाहता हूं । इस तरह की बात निरन्तर होती रहती है और इसलिए सत्र के प्रारम्भ होने से पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि

कौन सा विशिष्ट प्रश्न अल्प-सूचना प्रश्न के रूप में स्वीकार किया जाये, इसे अध्यक्ष द्वारा निर्णित किया जाना चाहिए और मेरी इस बात का नियम समिति ने अनुमोदन किया था । संसद्-कार्य मंत्री की अनुमति से इसे पारित किया गया था । लेकिन मंत्रिमंडल ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया । वास्तव में, नियम समिति द्वारा जो पारित हुआ था, उसे सरकार ने 'वीटो' कर दिया । सदन को यह अवश्य पता चलना चाहिये कि वास्तव में क्या बात हुई । जैसा मैंने कहा है, मैंने इस मामले को उठाया, मेरे इस विचार का नियम समिति ने अनुमोदन किया तथा इस निर्णय में संसद्-कार्य मंत्री भी शामिल थे । लेकिन, बाद में, संसद्-कार्य मंत्री हमारे पास आए और हमें बताया कि सरकार ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती है ।

जैसा श्री वाजपेयी ने कहा है, हम डा० कर्ण सिंह अथवा श्री प्रेम चन्द वर्मा के विरुद्ध नहीं हैं । लेकिन इस प्रश्न का क्या महत्त्व है ? इसे अतारांकित प्रश्न की श्रेणी में रखना ही उपयुक्त था । लेकिन इसे अल्प-सूचना प्रश्न के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामलों के अल्प-सूचना प्रश्नों को अस्वीकृत कर दिया गया है । ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप का निर्णय नहीं माना जाता । यदि इन मामलों को आपके निर्णय पर छोड़ दिया जाये तो हमें लगातार इस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि अल्प-सूचना प्रश्नों को स्वीकार किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर आप को दुबारा विचार करना चाहिये ।

श्री पीलु मोडी : श्री नाथ पाई ने जो कुछ कहा है यदि वह सत्य है तथा जब श्री नाथ पाई के सुझाव को नियम समिति ने अनुमोदित किया है तो न मंत्रिमंडल को और न ही सरकार को उस निर्णय को किसी तरह से अस्वीकार करने का अधिकार है । यह संसद् और नियम समिति मंत्रिमंडल या सरकार के निर्णय और उसकी सनक तथा रुचि पर आश्रित नहीं है ।

Shri Rabi Ray : Mr Speaker, Sir, you give your ruling on this point.

Mr. Speaker : Whatever might be the issue you raise a full debate on it.

श्री स० मो० बनर्जी : आप कृपया एक मिनट के लिये मेरी बात भी सुनिये । हम अल्प-सूचना प्रश्नों को इसलिए स्वीकृत कराना चाहते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के लिए अधिक दबाव डाला जाता है और नियमों के अन्तर्गत आप एक दिन में एक से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते । कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामले होते हैं और उन्हें हम अल्प-सूचना प्रश्नों के द्वारा उठाना चाहते हैं । मुझे प्रसन्नता है कि डा० के० एल० राव और डा० कर्ण सिंह अल्प-सूचना प्रश्नों को स्वीकार करते हैं लेकिन अन्य मंत्री स्वीकार नहीं करते हैं । कृपया सभी मंत्रियों को अल्प-सूचना प्रश्नों को स्वीकार करने का आदेश दीजिए । मैं इस विशेष अल्प-सूचना प्रश्न के विरुद्ध नहीं हूं । इसका उत्तर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मुझे याद है, यह प्रश्न उठा था कि मंत्री अल्प-सूचना प्रश्नों को स्वीकार नहीं करते हैं और इसके बारे में हमने विचार-विमर्श किया तथा उसमें यह निर्णय लिया गया था । मंत्री के पास कोई प्रश्न अल्प-सूचना प्रश्न के रूप में भेजे जाने पर मैं रोक नहीं लगा सकता, लेकिन यदि कोई सदस्य मेरे पास आता है और उसके विचार से यदि कोई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन जिसे मंत्री स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हैं, तो उस स्थिति में मैं अपना विवेकाधिकार प्रयोग कर सकता हूं कि वह सदस्य दस दिन का नोटिस देकर इसे प्रश्न संख्या 1 के रूप में रखे । वर्तमान स्थिति

में, मंत्री के पास प्रश्न गया और जब आसान प्रश्न होते हैं तो मंत्री बड़ी खुशी से उनका उत्तर देना स्वीकार कर लेते हैं । डा० कु० ल० राव का सदैव अल्प-सूचना प्रश्नों के प्रति लगाव रहा है और इसी प्रकार डा० कर्ण सिंह का लगाव भी है । मेरी इच्छा है कि सभी अन्य मंत्री भी उन दोनों मंत्रियों का अनुसरण करेंगे ।

Shri Rabi Ray : Mr Speaker, Sir, I am requesting for one thing. What you have said just now is quite correct. But is it a fact that the Cabinet has revoked the decision of the Rules Committee ? The hon. Members are complaining about this and it should be clarified as to how the Cabinet can cancel this decision.

श्री नाथ पाई : मैं बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा ताकि सदन को ठीक स्थिति का पता चल सके । यह सारा मामला इस सत्र के पहले दिन से ही आरम्भ हुआ । आपने हमें इस मामले को नियम समिति में उठाने के लिए कहा । मैं वहां गया तथा इसके बारे में हमने विचार विमर्श किया । यह पहली बैठक थी जो काफी देर तक चली और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अल्प-सूचना प्रश्न की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए । संसद् कार्य मंत्री ने भी यह बात मानी थी । कुछ संशोधन भी सुझाये गये थे । आप ने भी कुछ सुझाव दिया । तब मंत्री महोदय ने आपको सूचित किया कि सरकार इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है । फिर एक दूसरी बैठक हुई । दुर्भाग्यवश मैं उपस्थित नहीं था और सरकार के इस निर्णय को एकाएक नियम समिति के गले उतार दिया गया । और उसने उसे स्वीकार कर लिया वस्तुतः संसदीय कार्य मंत्री से हुए समझौते के पूर्ण विपरीत जाकर नियम समिति द्वारा सरकार की स्थिति को स्वीकार कर लिया गया । अन्य सदस्यों ने पर्याप्त रुचि नहीं ली और यही कारण है कि सरकार को इससे छुटकारा मिल गया ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr Speaker, Sir, I request that this matter may again be referred to the Rules Committee for consideration. The present system is not a perfect system.....(*interruptions*) .

Shri Rabi Ray : This may be again referred to the Rules Committee.

डा० रामसुभग सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरेक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और यदि सरकार ने नियम समिति के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है तो इस पूरे मामले को नियम समिति के पास भेज दिया जाना चाहिए ।

Shri Prem Chand Verma : Even if it has been passed by the Rules Committee, it has not come up in the Lok Sabha for the approval. Therefore, the House or the Minister are not bound by it.....(*interruptions*) .

श्री दत्तात्रय कुन्टे : सदन के समक्ष क्या प्रस्तुत किया जाना चाहिए और किस प्राथमिकता से, यह परमाधिकार अध्यक्ष को ही होना चाहिए और किसी को नहीं । यदि किसी सदस्य का नाम बैलट में नहीं आ सका तो वह अल्प-सूचना प्रश्न पेश कर देता है और मंत्री अनुगृहीत करने के लिए तत्पर हो जाता है । इसके दो विकल्प हैं । यह निर्णय आपको करना है कि पूछा गया प्रश्न अल्प-सूचना प्रश्न है या नहीं । यदि आप इसके पक्ष में हैं और अल्प-सूचना प्रश्न के रूप में ले लेते हैं, तभी यह संबंधित मंत्री के पास यह जानने के लिए भेजना चाहिए कि वह इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं या नहीं । किसी प्रश्न को अल्प-सूचना प्रश्न के रूप में बदल देना एक गलत प्रक्रिया होगी ... (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : अल्प-सूचना प्रश्न इस तरह के होते हैं कि उनके उत्तर शीघ्रता से देने पड़ते हैं और वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी होने चाहियें । कभी-कभी सरल अल्प-सूचना प्रश्न भेजे जाते हैं और वे बड़ी आसानी से लिये जा सकते हैं । मैंने नियम समिति के सदस्यों से निवेदन किया कि अध्यक्ष के लिए यह बड़ा कठिन कार्य हो जायेगा कि किसी एक प्रश्न को अस्वीकार कर दे और दूसरे प्रश्न को स्वीकार कर ले । अतः ये सभी प्रश्न मंत्रियों के पास भेजे जायें और यदि वे प्रश्न स्वीकृत हो जाते हैं तो उन्हें बताना चाहिए । मैं इस मामले को बैठक में दोबारा विचार-विमर्श के लिये रखूंगा । मैं पुनः बैठक को बुलाऊंगा और उसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि अल्प-सूचना प्रश्न कैसा होना चाहिए । हमें इसकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से थोड़ा दुखी हूं कि जो कहा गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ माननीय सदस्यों के मन में यह धारणा है कि पर्यटन एक महत्त्वपूर्ण विभाग नहीं है (**एक माननीय सदस्य** : महत्त्वपूर्ण तो है लेकिन अत्यन्त आवश्यक नहीं है) । कुछ ऐसी परिस्थितियां आ पड़ी हैं कि इस विभाग का मैं गत चार वर्षों से मंत्री हूं और तीन अवसरों पर मेरे मंत्रालय की मांगों पर चर्चा ही नहीं हुई है, और यदि कुछ सदस्य मुझसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनको मैं स्वीकार कर लेता हूं तो मेरे विचार से इस बात पर मेरे यहां के मित्रों को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए ..... (व्यवधान) ।

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३२

देश में पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित किए गए स्थान

32. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भारत में पर्यटन केन्द्रों के रूप में किन-किन स्थानों का विकास किया गया;

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों के विकास पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रमशः कितनी राशि व्यय की गई थी और इस प्रयोजन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि व्यय करने का विचार है तथा किन-किन स्थानों के विकास के लिए यह व्यय किया जायेगा ;

(ग) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कौन-कौन सी परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत में, विशेषतः पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार पर्यटन स्कीमें भौगोलिक अथवा क्षेत्रीय आधार पर नहीं अपितु किसी स्थान के पर्यटकों के लिये वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण को दृष्टि में रखते हुए तैयार व क्रियान्वित करती है । अपेक्षित सूचना देने वाले विवरण सभा-पटल पर रखे जा रहे हैं ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3476/70)

Shri Prem Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, the information given in the statement laid on the Table of the House is comprehensive, but the points raised in parts (b) and (c) of the question asking for the names of the places that have been developed and the amount

spent on the development of hilly areas have not been properly replied. All the States except Himachal Pradesh have an allotment in this regard from Central Government for the Third Plan. Therefore, first of all, I would like to know the expenditure incurred on Himachal Pradesh perticularly as also on other hilly areas during the Third Five Year Plan. It should have been mentioned in the statement, in view of the importance of the hilly areas for the tourists, as to how much expenditure would be incurred for the development of Himachal Pardesh and other hilly areas. Bilaspur, Gobind Sagar, Palampur, Dharamshala, Kulu, Manali and Simla are among the best hill stations, but sufficient attention has not been paid towards their development. I want to know how much money is spent on the development of these areas, particularly on Gobind Sagar ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : No doubt, the hilly areas occupy a place of importance in our country and they are unique in their natural beauty. I also came from a hilly area. Kalidasa has written that the Himalayas, the King of Hills, the soul of Gods, is situated in the north of the country. The Sanskrit literature is full of praise for the beauty of the Himalayas.

I would like to assure the hon. Member that we pay a special attention towards the hills. In the Fourth Five Year Plan, the budget for tourism in Himachal Pardesh has been increased from Rs. 25 lakhs to Rs. 75 lakhs. Besides, the Central Government is spending Rs. 30-32 lakhs. Regarding Gobind Sagar, I would like to tell the hon. Member that an amount of Rs. 10 lakhs has been allocated for Gobind Sagar. A very fine Cafeteria has been set up there. I hope that it will start working after two or three months. I hope that when hon. Member goes there and has his refreshment in that restaurant, he will appreciate the arrangement we have made there.

Besides, it is our desire to have launches so that people could go from Bhakra to Bilaspur. At present, there is some difficulty in getting those launches. These launches are not manufactured in India and an order has been placed abroad. We are pursuading them to make available those launches as early as possible. Besides, 20 lakh rupees have been provided for Kulu and Manali. One youth hostel is to be set up in Himachal Pardesh. It is a Central plan and an additional amount of rupees 75 lakhs has been provided by the State Government.

Shri Prem Chand Verma : My second question has not been replied. However, without emphasising that, I would like to know the total number of beds available for the tourists in the public and in the private sectors. How many beds would be needed after launches start plying and what steps Government have taken in this regard ? I would also like to know how many spare beds are being arranged and at what place ? Also, is there any plan to start any hotel in the Public Sector and what preference this hill area has been given as far as this expension is concerned ? How many beds are proposed to be arranged in private sector or public sector in the hill areas ?

Dr. Karan Singh : It is very difficult to give the figures regarding beds for different places, but our estimate is that during the next four or five years we need 20,000 beds and it is proposed to have these beds in Public Sector as well as in Private Sector. For this purpose we are providing loans to private sector. Hilly areas will be given top priority. In Gulmarg, a vast winter sports project is being started and a hotel is being set up..... (*interruptions*). Gulmarg hasgot its own attraction for tourists. Winter Sports Club

is its speciality and it is unique in the world. As far as accommodation is concerned, we will take special care in Himachal Pardesh.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : राजस्थान में आबू ही एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जो पर्यटकों के लिए दर्शनीय है । गत सात-आठ वर्षों से इस स्थल की हालत सुधारने की बजाय शोचनीय हो गई है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार आबू के विकास के लिए पर्याप्त रुचि नहीं ले रही है ? चौथी पंचवर्षीय योजना में आबू के विकास के लिए कितना धन व्यय करने की योजना बनाई गई है ? राजस्थान कितना व्यय करेगा और केन्द्रीय सरकार कितना धन देगी ?

डा० कर्ण सिंह : इसमें कोई सन्देह नहीं कि आबू एक महत्त्वपूर्ण स्थल है, लेकिन हमें हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि मूल विकास का उत्तरदायित्व आवश्यक रूप से राज्य सरकार का है । जहां तक मुझे पता है, आबू को केन्द्रीय योजना में कोई स्थान नहीं दिया गया है, यद्यपि मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा । इस देश में वास्तु कला सौंदर्य तथा प्राकृतिक दृश्यों के अनेक सुन्दर स्थल हैं, परन्तु इस सबको योजना में शामिल करना संभव नहीं । लेकिन आबू के विकास का सम्बन्ध राज्य सरकार से है । मैं राज्य सरकार के साथ विशेष रूप से यह बात उठाऊंगा । मैं स्वयं वहां जाऊंगा । मैं वहां जा नहीं पाया हूं । अब मैं निश्चित रूप से जाऊंगा और देखूंगा कि राज्य सरकार में रुचि उत्पन्न की जाए

श्री श्रीचन्द गोयल : माननीय मंत्री को यह विदित होना चाहिए कि चन्डीगढ़ न केवल स्वदेशी पर्यटकों बल्कि विदेशी पर्यटको के आकर्षण का केन्द्र बन गया है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पर्यटको को सुविधाएं देने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है । वहां अच्छे होटल नहीं हैं और न ही हवाई अड्डे को विकसित किया गया है । वहां का हवाई अड्डा अब भी रक्षा विभाग के अधीन है और नागरिक इसका आजादी से उपयोग नहीं कर सकते । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए चन्डीगढ़ पर कितना व्यय करेगी और इस सम्बन्ध में सरकार कौनसे साधन जुटा रही है ?

डा० कर्ण सिंह : निस्संदेह चन्डीगढ़ में वास्तु कला की विशेषताएं हैं और यही भारत में एक-मात्र शहर है जिसका निर्माण 'ला कोरबूसियर' ने किया है । जहां तक हवाई अड्डे का सम्बन्ध है, देश में ऐसे कई हवाई अड्डे हैं जो रक्षा विभाग के अधीन हैं, इसका तो समाधान नहीं किया जा सकता । लेकिन चन्डीगढ़ में, जहां तक हमारा ख्याल है, होटलों की संख्या कम होने के कई कारण हैं । वास्तव में एक पार्टी ने किराये पर एक होटल चलाया परन्तु वह घाटे के कारण बन्द हो गया क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं है । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य अधिक से अधिक पर्यटकों को चन्डीगढ़ की ओर आकर्षित कर सकेंगे और जब वे ऐसा कर लेंगे तो सुविधाओं में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अभी तक पर्यटक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों की ओर आकर्षित हुए हैं । यह देखते हुए कि पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप भारतवर्ष निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है और कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति आई है तथा उद्योगों को आधुनिक बना दिया गया है, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार प्रगति के इन आधुनिक मंदिरों को भी पर्यटकों का केन्द्र बनाना चाहेगी जिससे भारत में आने वाले पर्यटक नवीन एवं आधुनिक भारत की झांकी देख सकें ?

डा० कर्ण सिंह : यदि भारत में आने वाले पर्यटक भारत की आधुनिक, आर्थिक, तकनीकी तथा कृषि सम्बन्धी प्रगति की झांकी देख सकें, तो हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात होगी । लेकिन

मेरे विचार में यहां एक बात स्पष्ट करना आवश्यक होगा । हम किसी पर्यटक को वहां जाने के लिए विवश नहीं कर सकते जहां वह नहीं जाना चाहता । हम उसे यह नहीं कह सकते कि उसे अमुक स्थान अवश्य देखना चाहिए । यह पर्यटकों की पसंद की बात है और इस बात को हमें ध्यान में रखना है । उदाहरणार्थ, भाखड़ा भारत की प्रगति के प्रतीकों में से एक है तथा पर्यटको के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण स्थल है । हमें इस बात पर प्रसन्नता ही होगी यदि अधिकाधिक पर्यटक ऐसे स्थानों पर जायें ।

Shrimati Jayaben Shah :Just now hon. Minister told us that Gulmarg is one of the unique places in the world. I would like to know what step does the hon. Minister propose to take for the preservation of the rare species of Gir Lions. Secondly, The Keshode Airport which can cater to tourists who want to go to Gir forest, is under disuse. What action the hon. Minister proposes to take in this regard ? Thirdly, is there any proposal of Central Government to open a hotel to accommodate the middle class people who visit Gir forest ? Fourthly, I would like to know whether Central Govt. is going to take any step to give assistance to Somnath Trust of which the hon. Minister himself is a member ?

Dr. Karan Singh : Gir Lions are of special importance for us. There cannot be two opinions regarding this. Even our Speaker's Chair has carving of two Gir Lions. Gir Lion is our national symbol and, therefore, we are paying special attention towards their preservation. I am the Chairman of the Indian Board of Wiled Life. We not only want that Gir Lions should be preserved, but that some Gir Lions are carried over to other forests also so that the lions are not confined to a single forest but are spread out in almost all forests in India.

In the Fourth Five Year Plan, a provision of Rs. 50 lakhs has been made for the preservation of wild life. Out of that Rs. 5 or 6 lakhs are being provided for Gir Lions. This year also, we were doing to spend Rs. 6 to 8 lakhs on wild life preservation. We shall make arrangements for accommodation of tourists there and it is also very necessary to provide some mini buses.

Hon. lady Member and other Members of the House have written to me about Keshode Airport. I would like to inform them that we are taking steps in this regard. So far as the question of Somnath Trust is concerned, it is a private trust. I did not go there, but I have heard that its management is doing well. We cannot help them directly as they are a private trust.

Shrimati Jayaben Shah : The Somnath Trust is running well, no doubt; but the Central Government should also provide some help as it is a tourist centre.

Dr. Karan Singh : So far, there is no proposal for any assistance . But after visiting the temple, I may think over it.

श्री नम्बियार : बड़े ही खेद की बात है कि सरकार ने दक्षिण के ऐतिहासिक स्थानों और मन्दिरों, विशेषकर त्रिचुनापल्ली के श्री रंगम मन्दिर और मदुराई के मीनाक्षी मन्दिर, की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने की ओर कोई प्रयास नहीं किया है

श्री स० कु० तापड़िया : आप कब से मन्दिरों में विश्वास करने लगे ?

डा० कर्ण सिंह : बड़े ही संतोष की बात है कि माननीय सदस्यों ने दक्षिण भारत के उन मन्दिरों के महत्त्व पर प्रकाश डाला है जो कि पर्यटकों के लिए महत्त्वपूर्ण स्थल हैं। मैं उन्हें माननीय सदस्य की सूचनार्थ मैं बताना चाहता हूं कि त्रिचुनापल्ली, मदुराई, कांचीपुरम तथा चिदाम्बरम् में हमारे पर्यटक-बंगले पहले से मौजूद हैं। श्री रंगम मन्दिर के लिए एक विशेष यूनेस्को परियोजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत इस मन्दिर की मरम्मत का कार्य होगा और मैं अपने प्रचार साहित्य में इस मन्दिर की भव्य वास्तुकला पर प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री वीरभद्र सिंह : पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़ और शिमला के बीच एक हेलीकॉप्टर सेवा चालू करने का प्रस्ताव था। माननीय मंत्री जी ने इसका आश्वासन भी दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि उस सेवा को प्रारम्भ करने का क्या कोई विचार है ?

डा० कर्ण सिंह : जब से मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, मैं हेलीकॉप्टरों में रुचि लेता रहा हूं। भारत में कई ऐसे स्थल हैं जहां विमानों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। परन्तु हमने यह अनुभव किया कि हेलीकॉप्टर सेवा काफी महंगी और खर्चीली है और इस को प्रारम्भ करने में इतना व्यय आता है कि हमारे सामने उन प्रस्तावों को स्थगित करने के सिवा कोई चारा नहीं है।

Shri S. M. Banerjee : Tourism in India has developed to a great extent and I congratulate the hon. Minister for this. He has managed it well and I hope that he would continue his efforts in future. Just as tourists come to visit the art of Khajurao, Konark etc., they also come to visit the remains of the freedom struggle of 1857. Kanpur is one of the cities where trials were held to push out the British from India. There are still marks of Tantia Tope, Maina Devi, Nanaji etc. There is a memorial well also in Kanpur. At one time nobody was allowed to enter in that memorial. I would like to know whether hon. Minister will bring Kanpur also on the tourist map ?

All the industries such as leather, cloth industries and heavy, medium or small industries are located there. On one side these industries are situated and on the other side there is no Birla temple there, but there are signs of our first independence struggle of 1857 In view of this, I would like to know whether honourable Minister will add it in his touris map or not ?

Dr. Karan Singh : I do admit the importance of Kanpur. I will add it to my map It will be upto the tourists to go there or not to go.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : कश्मीर की अपेक्षा केरल कहीं अधिक सुन्दर स्थान है। वहां के तकादी तीर्थ तथा कीवालूम तट आदि ऐसे स्थान हैं जिन्हें अच्छे पर्यटक केन्द्रों में परिणत किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन के पर्यटन विभाग ने इन केन्द्रों का विकास कर उन्हें पर्यटक आकर्षक बनाने के लिए क्या कार्य किये हैं।

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के आरम्भ में ही कहा है कि केरल कश्मीर की अपेक्षा अधिक सुन्दर है। मैं इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि केरल भी उतना ही सुन्दर है जितना कि कश्मीर, इसके अतिरिक्त, मैं यह भी कहूंगा कि हमने केरल को अधिक प्राथमिकता दी है, सर्वप्रथम तो यह कि कीवालूम तट का विकास किया जा रहा है और अगले तीन चार वर्षों में यह विश्व का सब से अच्छा सैरगाह तट बन जायेगा महाराजा का

महल हमें मिल गया है और उसके इर्द गिर्द के समुद्रतट को एक सुन्दर आकर्षण केन्द्र में परिणत किया जा रहा है । यह तो आप जानते ही हैं कि आधुनिक पर्यटन के लिए समुद्र तट का बहुत महत्त्व है । इसके अतिरिक्त पेरीयट तीर्थ स्थान उन प्रमुख पांच छः स्थानों में से है जिन्हें कि हमने वन जीव पर्यटन विकास के लिए चुना है । मैं माननीय सदस्य महोदय को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम केरल की सुन्दरता को भूल नहीं सकते और हम अपने कार्यक्रमों में पहले से ही उसे प्राथमिकता दे रहे हैं ।

Dr. Sushila Nayar : The Honourable Minister is aware of the fact that Jhansi is also having several tourist centres. The fort of Rani Jhansi and Temple of Devgarh are also there. Khajurao is also on the way to Jhansi. Therefore, will the Minister chalk-out any programme to encourage the tourists? Your predecessor along with Deputy Minister had been to that place. All of you to visit that place for a visit but there is no progress of work. Are you having any plan for the progress of the work there ?

Dr. Karan Singh : The name of Rani Jhansi is very famous. I am not aware of the fact that whether there is any tourist centre in Jhansi at present or not. But I want to make it clear that there is no dearth of historical places like Jhansi in our country. It is the duty of the State Government to pay special attention or priority to such places.

Dr. Sushila Nayar : There had been one and only one Rani of Jhansi .

Dr. Karan Singh : She had also passed away but I will send your suggestions to State Government.

Dr. Sushila Nayar : It is not the duty of State Government but it is the duty of Government of India.

Dr. Karan Singh : I will request them to look into these suggestions.

श्री जी० भी० कृपालानी : मेरा अपना कोई प्रांत नहीं है और मैं तो त्यागराजा मार्ग पर रह रहा हूं । त्यागराजा एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था । इसके साथ ही मेरे पड़ोस में विदेश मंत्री भी रहते हैं । प्रत्येक पर्यटक उनसे मिलने का इच्छुक होता है । अतः आप इस सड़क के बारे में क्या कर रहे हैं ?

Mr. Speaker : This question has taken forty minutes. You were saying that it is not important and should not have been admitted. Now you are not going to give it up. I would like to say that I do not take any notice of the honourable members who stand when a question is being answered. They should stand up only when other members are standing. When they stand up in between, the attention of the Minister along with that of mine is diverted.

Shri Inderjit Malhotra : So you have called Dr. Sushila Nayar simply because she used to stand. You should treat all alike.

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, I wish to ask something very interesting. Kurukshetra, where the battle of Mahabharta was fought and sermon of Gita was delivered, has got international status. Pandhu Phindara is forty miles from this place where the battle of warriors was fought. People wish to go there but there is no arrangement for that. At a distance of fifteen miles, there is Sohana. Our President Shri V.V. Giri

visited this place and said that it should be developed as a tourist centre. Besides, there is Badkal Lake and Deek Fort. All these places should not only be added in tourist map but these should be developed so that maximum tourists may visit these places and we may earn foreign exchange. Will the Minister consider it ?

Dr. Karan Singh : It is a good suggestion and I will consider it.

श्री अहमद आगा : माननीय मंत्री महोदय ने गुलमार्ग में एक होटल खोलने का उल्लेख किया है । कुछ वर्ष पूर्व यह सुझाव था कि गुलमार्ग में एक होटल खोलने के साथ-साथ श्रीनगर में भी एक होटल खोला जाना चाहिये क्योंकि जो लोग सर्दियों में कश्मीर जाते हैं वह आगे गुलमार्ग नहीं जा सकते । परन्तु अब सभा को जो उत्तर दिया गया है उससे इस सुझाव के बारे में हमारी चिंता और संशय और बढ़ गया है क्योंकि इस पूर्ण अनुमोदित प्रस्ताव में से श्रीनगर के होटल, रस्सामार्ग, दर्शकों को ले जाने वाली वातानुकूलित गाड़ियों आदि का कोई उल्लेख नहीं किया गया । इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रस्ताव का पहले अनुमोदन किया गया था उसे काट कर कम कर दिया गया है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रीनगर के होटल का प्रस्ताव अभी है या इसे समाप्त कर दिया गया है । दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अमरनाथ धारा तथा कटरा वैष्णवदेवी की यात्रा के लिए जो दर्शकगण जाते हैं उन्हें कुछ सुविधायें देने की भी कोई योजना है या नहीं । प्रथमता तो मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या श्रीनगर में होटल बनाने का प्रस्ताव है या नहीं ।

डा० कर्ण सिंह : मैंने जिस संश्लिष्ट योजना का उल्लेख किया है, वह गुलमार्ग में है और उसमें एक होटल, एक रस्सी रास्ते रेस्तरा तथा एक कार पार्क आदि की व्यवस्था है । संयुक्त संश्लिष्ट योजना के अन्तर्गत जो लोग जहाज़ द्वारा श्रीनगर आयेंगे वह सीधे गुलमार्ग चले जायेंगे । यह तक अलग बात है । इसके अतिरिक्त श्रीनगर में एक होटल बनाने का प्रस्ताव भी है । इस पर विचार किया जा रहा है । इसके लिए विभिन्न सम्भावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है और इसके विभिन्न पहलूओं पर ध्यान दिया जा रहा है । मुझे आशा है कि अगले तीन चार महीनों में हम श्रीनगर में होटल बनाने के प्रस्ताव का पूर्ण अध्ययन कर लेंगे ।

Shri Ghayoor Ali Khan : Is the Minister aware of the fact that the wild animal forests in India, which are a great tourist attraction are coming to an end. The reason being that Military and other officers of the Government do much hunting. I would like to know if the Minister is going to put some restrictions on this hunting so that animals like lion may not disappear in Indian forests.

Dr. Karan Singh : Honourable Member has rightly said that the number of our wild animals are declining day by day. There is strong vigilance on illegal hunting whether the hunter is Government officer or anybody else. But this restriction has to be imposed by States as it is a State subject. I have already written to State Chief Ministers to impose such restrictions so that our wild animals could be saved. It is necessary for the State Governments to take strong action.

Mr. Speaker : This question has already taken one hour but I still see that some members are standing. I have decided that so long as all the Members do not ask their question, the House will not disperse for lunch.

श्री चेंगलराया नायडू : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपया करेंगे कि उन्होंने तिरुपति को पर्यटक नक्शे में शामिल क्यों नहीं किया यद्यपि वह तिरुपति को शामिल करने के इच्छुक भी थे । वह

तिरुपति जाकर प्रार्थना भी करते हैं परन्तु उसे पर्यटक नक्शे में उन्होंने स्थान नहीं दिया । वहां के लोगों ने उन्हें वहां एक हवाई अड्डा बनाने के लिए 25 लाख रुपया भी उन्हें दिया है । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह कब तिरुपति को पर्यटक नक्शे में शामिल करना चाहते हैं और कब वहां हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं ? 25 लाख रुपया लेने के बाद भी वह इस के प्रति उदासीन है । राज्य सरकार ने हवाई अड्डा बनाने के लिए उन्हें भूमि भी दे दी है । क्या सरकार वहां एक साधारण-सा होटल बनाने का विचार भी रखती है या नहीं ?

डा० कर्ण सिंह : तिरुपति हवाई अड्डे के कार्य को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है । देवास्थानाम ने हमें 25 लाख नहीं वर्ण 15 लाख रुपया दिया है । राज्य सरकार 200 एकड़ भूमि भी इस कार्य के लिए दे रही है । इस मामले पर विचार किया जा रहा है । वित्त मंत्रालय ने अभी इसकी स्वीकृति प्रदान की है । जहां तक रहन-सहन के स्थान का सम्बन्ध है मेरे विचार से तिरुपति भारत के उन इने गिने स्थानों में से एक है जहां रहन-सहन के स्थान की व्यवस्था बहुत सुन्दर है । इसीलिए मैं वहां किसी छोटे से होटल की कोई आवश्यकता नहीं समझता । देवास्थानाम की व्यवस्था बड़ी उत्तम है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं यह जानना चाहता हूं कि परम्परागत पर्यटन केन्द्रों के अतिरिक्त सरकार ने अपनी विकास और कार्यक्रमों की योजनाओं में नये स्थान विशेषतया पहाड़ी इलाके कौन-कौन समिल्लित किये हैं ?

डा० कर्ण सिंह : हमारा मत यह है कि जिन इलाकों में पर्यटक जाते हैं वहां भी जो सुविधायें अपर्याप्त हैं । अतः इसी लिए प्रथमतः हमारा उद्देश्य उन इलाकों में सुविधायें उपलब्ध करवाना है जहां कि आजकल पर्यटक जाते हैं । वैश्णों देवी तीर्थस्थान को ही ले लीजिये । यहां 3 से 4 लाख लोग प्रतिवर्ष जाते हैं । जहां लोग जाते हैं हम उनका विकास पहले करना चाहते हैं इसके बाद ही हम नये क्षेत्रों पर कुछ विचार कर सकते हैं । अन्यथा लोगों को व्यर्थ की परेशानी होगी ।

श्री पीलु मोडी : वह पावागढ़ के प्रति द्वेष क्यों बनाये हुये हैं ?

श्री जी० विश्वनाथन : मैं जानना चाहता हूं कि मीनाक्षी मन्दिर, मदुरै में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम का क्या हो रहा है । यह मामला दीर्घावधि से लम्बित पड़ा हुआ है । मैं इस बारे में किये गये कार्यों के बारे में जानना चाहता हूं ।

डा० कर्ण सिंह : हमारी मूल योजना के अनुसार चौथी योजना के अन्तर्गत सोन-ए-लुमियेर कार्यक्रम के लिये केवल दो स्थानों को शामिल किया गया है—पहला श्रीनगर में शालीमार गार्डन्स है तथा दूसरा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है । इन दोनों के अतिरिक्त सरकार मीनाक्षी मन्दिर, मदुरै में भी इस कार्यक्रम को लागू करने के लिये प्राथमिकता दे रही है । कहने का तात्पर्य है कि मन्दिर के अधिकारियों के साथ भी इस मामले पर विचार-विमर्श किया जाकर चौथी योजना के अन्त तक लागू करने का भरसक प्रयास किया जायेगा ।

श्री जी० विश्वनाथन : इस समय तो यह चौथी योजना में नहीं है ।

डा० कर्ण सिंह : चौथी योजना में केवल दो ऐसे स्थलों का ही उपबन्ध है क्योंकि दो स्थलों के लिये ही निधि मिलती है । यदि मन्दिर के प्राधिकारियों ने सहयोग किया तो हमारा चौथी योजना के अन्त तक मीनाक्षी मन्दिर, मदुरै को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा क्योंकि इसके लिये हम विशेष प्रयास कर रहे हैं ।

Shri Onkarlal Bohra : Mr. Speaker, Sir, in whole of India, Rajasthan is a State where the historical, archaeological, mythological and religious places are there in a large number and the Government must arrange not only for foreigners and rich people who go there but also for the common people and middle class people of our country for whom no arrangements for lodging and boarding are there. They come to visit Chittor, Haldighati, Ranthambore and other mythological and religious places in Rajasthan. Thousands of people come to visit these places. Are the Government going to propose any arrangements for them ? The Government of Rajasthan cannot develop these places and make any arrangements for the middle class tourists for want of funds. This is why I would like to know whether the Central Government are going to make any arrangement in this regard at Chittorgarh, Haldighati, Motimagari, Rana Thambam and other places ?

Dr. Karan Singh : Of course, the magnificence of Rajasthan is there and it is extraordinary. We have no words to express our appreciation. The hon. member stated that for want of funds the State Government could not make any arrangements, the same problem is with the Central Government because the amount of Rs. 85 crores had been allotted for these purposes but that amount has been reduced to Rs. 25 crores. Now-a-days tourists from our country and foreign countries go to visit Rajasthan. Udaipur and Jaipur are two particular places where these tourists go. We are making efforts there. We have got our own Hotel at Udaipur. It is impossible to make any arrangements for tourists at the remaining places for which the hon. member has demanded arrangements. But we shall try and if something can be done with the co-operation of the Rajasthan Government, that would be done.

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, the importance of Bihar is no less in any respect. At the same time it is a matter of pleasure that there has been development of tourism, but in spite of that the State is backward. The hon. Minister knows and recently he has toured dozens of tourist centres in Bihar like Raj Gir, Nalanda, Bodh Gaya, Vaishali, Ambapali, Patna etc. but in the absence of proper development of these centres, the Government cannot get the much benefit of foreign exchange which they should get. Especially there are no proper arrangement of lodging and boarding for tourists at Raj Gir and Bodh Gaya. I would like to know whether the Government would pay special attention to developing these tourist centres at Raj Gir, Bodh Gaya, Ambapali, Vaishali and prepare any special programme especially for developing the hotels there ? Janakpur is also an important centre and the attitude of both U.P. and Bihar in this respect is favourable. Would they pay attention for its development ?

Dr. Karan Singh : Yes, Sir. We are paying special attention to this matter of tourism in Bihar. We recently toured that area.

Bodh Gaya, Raj Gir and Nalanda these three places are not only important for our country but they are important at the international level too, because wherever the Buddhists live, these places are of much importance for them. We have allotted an amount of Rs. 20 lakhs for these three places and for Vaishali. We are about to set up our centres at Bodh Gaya, Raj Gir and Nalanda. Besides that, we are going to set up a Tourist Reception Centre at Patna with an amount of Rs. 10 lakhs. Therefore the hon. member may convince himself that we are paying attention towards Bihar and especially in the matter of Buddhist Tourism.

अध्यक्ष महोदय : अब और अधिक प्रश्न पूछने का समय नहीं है । आप प्रतिदिन सब विषयों पर बोलने का अवसर प्राप्त करते हैं । यह आपके लिये विशेष विषय नहीं है ।

श्री हेम बरूआ : नवीनतम 'इल्लसट्रेटेड वीकली आफ इंडिया' में 'फ्लीसिंग दी टूरिस्ट्स' शीर्षक के अन्तर्गत श्री आर० के० नारायण का एक लेख प्रकाशित हुआ था । उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है कि विदेशी पर्यटक भारतीय पर्यटन सामग्री की ओर किस प्रकार आकर्षित होते हैं । मैं यह कैसे जान सकता हूं कि हम मानव शरीर के 9/10 भाग को विकसित होने दे रहे हैं । 'इल्लसट्रेटेड वीकली आफ इंडिया' में मैंने उस प्रकार का एक चित्र देखा है तथा श्री आर० के० नारायण ने इस बात का उल्लेख करते हुये एक लेख लिखा है कि विदेशी पर्यटक भारतीय स्थानों आदि को देखने में अधिक रुचि रखते हैं तथा पाश्चात्य स्थानों आदि को देखने में नहीं, जिसे वे अन्यत्र भी देख सकते हैं ।

अतः क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही की है जिसके अनुसार विदेशी पर्यटक भारतीय सामग्री देखने की ओर आकर्षित हों । उदाहरण के लिये, कुछ विदेशी पर्यटक भारतीय वन्य जन्तुओं में रुचि रखते हैं तथा आसाम इस वन्य जन्तुओं के लिये बड़ा प्रसिद्ध है । वहां बहुत से वन्य जन्तु विहार हैं । अतः क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि आसाम में वन्य जन्तु विहार के विकास के लिये सुविधायें प्राप्त की जायेंगी ?

डा० कर्ण सिंह : लेखक के लेख पर समीक्षा करने के लिये मैं वास्तव में समर्थ नहीं हूं । जहां तक हमारा प्रश्न है, हम विदेशी पर्यटकों के मनोरंजन के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय नृत्य तथा लोक-नृत्य का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं । उदाहरण के लिये अशोक होटल को लीजिये । गत दो-तीन महीनों में उन्होंने सबसे अच्छा शास्त्रीय भारत नाटयम का प्रदर्शन किया है । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि जहां-जहां संभव हो, हमें देशी मनोरंजन की व्यवस्था करनी चाहिये तथा इसे और अधिक अच्छा बनाने के लिये हमारी सामान्य पहुंच यही है कि शास्त्रीय नृत्य, संगीत तथा लोक-नृत्यों का विकास हो ।

जहां तक आसाम का प्रश्न है, हम काजीरंग वन्य जन्तु बिहार का विकास कर रहे हैं। हमने जो पांच-छः स्थल विकास के लिये चुने हैं—उनमें से वह एक है।

Shri Achal Singh : The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world and a scheme had been devised for its round-about development but still not much improvement has been made, an amount of so many crores of rupees has been allotted; I would like to know from the hon. Minister as to when this programme will be completed ?

Dr. Karan Singh : Mr. Speaker, Sir, we have been paying special attention towards the Taj Mahal. Whatever facility we can give with the cooperation of the Archaeological Department, we are giving them. Our hon. Deputy Minister Dr. Sarojini Mahishi recently visited the Taj Mahal and she has set up a sub-committee which would arrange necessary things there, because the Taj Mahal is such a place in India where tourists go in a large number. This is why we have to give priority to the Taj Mahal and we shall pay special attention to it during the Fourth Plan.

श्री पीलू मोडी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि.....

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय सदस्य भारत में पर्यटकों के लिये बड़े आकर्षकों में से एक होंगे। मैं उस बात का आप को विश्वास दिलाता हूं।

श्री पोलू मोडी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गुजरात में केवल पावागढ़ के अतिरिक्त कोई दूसरा पर्वतीय स्थल नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री कोई विशेष प्रयत्न करेंगे, इस बात को देखने के लिये की पावागढ़ का विकास करने के लिये कुछ किया जा रहा है जो कि वास्तव में एक रमणीक स्थल है तथा पर्यटकों के लिये उचित स्थल है।

डा० कर्ण सिंह : हम इस सुझाव को गुजरात सरकार के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर देंगे।

श्री जे० एच० पटेल : यह तो स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक सदस्य यही सोचता है कि जिस राज्य से वह निर्वाचित हुआ है वह अकेला राज्य अधिक सुन्दर तथा अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु मैं ऐसा सोचने वाले सदस्यों में से नहीं हूं। मेरे लिए समस्त भारत बहुत ही सुन्दर तथा महत्वपूर्ण है। मंत्री महोदय यह नहीं समझे कि कश्मीर अधिक सुन्दर है तथा न ही मैं यह सोचने जा रहा हूं कि मैसूर अधिक सुन्दर है। परन्तु पर्यवेक्षक की दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि भारत में केवल मात्र सुन्दर तथा सबसे अधिक गहरा जो जल-प्रपात है, वह है जोग प्रपात। यह शिमोगा के आस-पास है। परन्तु पर्यटकों को जो प्रमुख कठिनाई है वह यह है कि बंगलौर हवाई अड्डे से यह स्थल लगभग 280 मील दूर है। इसलिये, यद्यपि यह देश में एक अत्यन्त सुन्दर स्थल है परन्तु पर्यटक वहां जाने में सक्षम नहीं हो सके हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं वह चौथी योजना के अन्तर्गत कम-से-कम शिमोगा में एक हवाई अड्डा बनाने का प्रबन्ध कर दें जो कि वास्तुकला तथा मूर्तिकला के लिये प्रसिद्ध हेलेबिड तथा बेलूर से समान दूरी पर है, पश्चिमी घाटों के जंगलों तथा वन क्षेत्रों से भी समान दूरी पर है तथा समुद्र के किनारे से भी समान दूरी पर है। यह देश में अत्यंत आकर्षक पर्यटक केन्द्र बनने जा रहा है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं शिमोगा में एक हवाई अड्डा निर्मित कर दिया जाये।

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि समस्त देश प्रत्येक सदस्य का है और किसी एक राज्य को इस रूप में प्राथमिकता प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। हमारी एक कहावत :

'आ सेतु हिमालयपर्यन्तम्'

के अनुसार हिमालय से लेकर सेतु तक समस्त भारत हमारा है और इसलिये किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के व्यय पर अपने राज्य को शालीन बनाने के प्रयास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

जहां तक जोग प्रपात का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि यह एक बहुत ही रमणीक स्थल है। हमने जोग प्रपात के समीप दो डाक बंगले अथवा पर्यटक बंगले बनवा दिये हैं। माननीय सदस्य ने शिमोगा में हवाई अड्डा बनाने का प्रश्न उठाया। मैं पर्यटन मंत्री के साथ साथ उड्डयन मंत्री भी हूं। मैं कह सकता हूं कि हवाई अड्डे बनाने के लिये सीमित निधि के कारण हमें बड़ी किठिनाई है। बिहार तथा उत्तरीय उत्तर प्रदेश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां करोड़ों लोगों को अभी तक एक भी हवाई अड्डे का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। जहां तक हवाई अड्डे बनाने का प्रश्न है, मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक प्राथमिकता देनी है। अतः चाहे मैं कितना ही इस सुझाव की प्रशंसा क्यों न करूं परन्तु कम-से-कम चौथी योजना के अन्तर्गत उनके सुझाव को क्रियान्वित करना संभव नहीं होगा, इसे ध्यान में रखा जायेगा।

श्रीमती इला पालचौधरी : सुन्दकफू, जो कि पर्यटक केन्द्रों में सबसे अधिक रमणीक केन्द्र है, वहां एक पर्यटक बंगला बनाया जाना चाहिये जहां से कोई व्यक्ति एवरेस्ट पर्वत का सुन्दर दृश्य देख सकता है। दार्जीलिंग से सुन्दकफू तक की सड़क में सुधार किया जाना चाहिये। दार्जीलिंग में प्रति वर्ष पर्याप्त पानी की कमी हो जाती है अतः पर्यटकों को उस स्थान तक जाने में कठिनाई होती है, यद्यपि वे दार्जीलिंग तथा वहां से सुन्दकफू जाना चाहते हैं।

मैं पूछना चाहती हूं कि श्री रामकृष्ण के जन्मस्थान कमरपुकुर और श्री चैतन्य के जन्मस्थान नवद्वीप में पर्यटकों के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं। हजारों पर्यटक यहां आते हैं और पूछते हैं, कि वे इन स्थानों को देखने के

लिये जाना चाहते हैं; इसके सम्बन्ध में विवरण कहां से उपलब्ध किये जा सकते हैं। इन स्थानों पर जाने के लिये पर्यटकों को उचित पर्यटन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। मेरे विचार से, उन स्थानों के बारे में, जहां भारत के इन दो सुपुत्रों ने जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि अर्जित की और जिसे समस्त संसार ने आत्मसात किया, कोई ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम (सां-एट् लमिरे) होना चाहिये जिससे विदेशी पर्यटकों को लाभ हो सके।

डा० कर्ण सिंह : ऐसे स्थानों में जहां युवाआवास बनाये जाते हैं, दार्जीलिंग ज़िले को भी चुना गया है। निश्चित स्थान अभी निर्धारित किया जाना शेष है।

जिन अन्य स्थानों के बारे में कहा गया है उनमें श्री रामकृष्ण और श्री चैतन्य की जन्मभूमियों का हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व है। परन्तु मेरे विचार से यह परियोजना राज्य सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिये। यह बहुत ही कठिन है कि केन्द्रीय सरकार ही सभी इच्छित स्थानों के सम्बन्ध में कदम उठाये। पश्चिमी बंगाल सरकार की अपनी भी एक योजना है। इस समय मुझे ज्ञात नहीं है, हो सकता है इन स्थानों को भी उस में सम्मिलित किया जाय। मैं इस विषय पर अवश्य ही ध्यान दूंगा और राज्य सरकार से विचार विमर्श करूंगा।

श्री समर गुह : खेद का विषय है कि आपने मुझे मेरी अनुपस्थिति में बुलाया। मुझे एक प्रविवेदन में संशोधन कराने थे, इसलिये मुझे सदन से बाहर जाना पड़ा और मैं उपस्थित नहीं था। जब मैं आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा था तब मुझे नहीं पुकारा गया और मैंने यह कार्य एक बैरिस्टर सदस्य के लिये छोड़ दिया कि वह आपका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित करे। मुझे खेद है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। इस व्यवहार के प्रति अपने विरोध का रिकार्ड रखने के उद्देश्य से मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कहा है मेरी समझ में नहीं आया।

श्री क० लकप्पा : मैसूर में सुन्दर स्थल हैं। मद्रास में भी एक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय है। हमने मंत्री महोदय से बातें की हैं, भारत के दक्षिणी राज्यों में पर्यटन के सम्बन्ध में उन्हें प्राथमिक ज्ञान भी नहीं है। भारत के दक्षिणी राज्यों में पर्यटन केन्द्र विकसित करने के सम्बन्ध में मंत्रालय ने किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं ली है।

हमें मैसूर शहर का अनुभव है। यह पर्यटकों के लिये एक महत्वपूर्ण एवं सुन्दर शहर है जिसने सारे संसार के पर्यटकों को आकर्षित किया है। परन्तु इस पर्यटन केन्द्र को विकसित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैसूर राज्य के पर्यटन मंत्री और केन्द्रीय मंत्री के बीच विचार-विमर्श हुआ। मैसूर राज्य में पर्यटन विकास के लिये जो बैठक हुई उसके क्या परिणाम यह हैं निकले हैं? और बैठक के संदर्भ को दृष्टि में रखते हुए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

डा० कर्ण सिंह : मेरे विचार से, यह कहना कि सरकार दक्षिणी भारत के पर्यटन केन्द्रों के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है, पूर्णतया गलत है। वास्तव में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हमने दक्षिण में पर्यटन के आकर्षक स्थलों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है। बंगलौर में सरकारी क्षेत्र के अन्दर हम पहला होटल स्थापित करने जा रहे हैं। माननीय सदस्य भी इस विषय से अनभिज्ञ नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इस वर्ष के अन्त तक यह पूरा हो जाना चाहिये।

मैसूर राज्य के हसन, बेलूर और हैलीबिड स्थानों पर हमारे पास पर्यटक बंगले हैं। जहां तक मैसूर शहर का प्रश्न है, हम प्रत्येक सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं। हाल ही में जब मैं मैसूर में था तब वहां के मुख्य मंत्री के साथ वहां के एक अत्यन्त सुन्दर भवन–ललित महल का उपयोग करने की सम्भावना के बारे में, हमारी चर्चा हुई थी। मैंने कुछ सुझाव दिये थे। परन्तु मामले को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यह संगमरमर का एक सुन्दर भवन है। मेरा सुझाव यह था कि यदि सम्भव हो तो पर्यटन के प्रयोजन हेतु भवन का उपयोग एक उत्तम ढंग से किया जाना चाहिये।

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि दक्षिण की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह चर्चा आज समाप्त होगी ही नहीं।

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : आप बहुत ही उदार हैं। क्या मैं भी एक प्रश्न पूछ सकता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कृपया उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दे दें। मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, प्रश्न इधर से किया जाना चाहिये।

Shri Kamble : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister knows that Ajanta and Ellora caves are the specimens of architecture in Marathwada region, then what expenditure you are going to incur during Fourth Five Year Plan for that region ? Aurangabad is very near from this region, what do you propose to do there ?

Dr. Karan Singh : In fact, Ajanta and Ellora have assumed an important position. We have made a special provision for Ajanta and Ellora. Perhaps it is somewhere near 15 or 20 lakhs. I do not exactly remember. Besides this, we want to start an Hotel in Aurangabad. In case they provide us a Hotel there, then with the investment of Rs. 60 to 70 lakhs an Hotel will be started which would fecilitate tourists to visit Ajanta and Ellora.

डा० कर्णी सिंह : मंत्री महोदय ने राजस्थान का भ्रमण किया है और उन्होंने पर्यटन स्थल देखे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राज्य सरकार को किसी ऐसी योजना का सुझाव दिया है जिसके अनुसार पर्यटन स्थलों में कुछ शहर जैसे अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर आदि को सम्मिलित किया जाय; और, क्या होटल सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिये और इन्हें राज्यों को समय-प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के स्तर पर लाने के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ?

डा० कर्ण सिंह : राजस्थान में पर्यटन विकास के लिये हम जो मार्ग अपना रहे हैं पश्चिम दिशा में विमान सेवा विस्तार भी उसमें एक है। आजकल जयपुर तथा उदयपुर के लिये विमान सेवायें उपलब्ध है। हम उनका जोधपुर तक विस्तार करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। बीकानेर भी एक ऐसा ही स्थल है। मैं हाल ही में वहां गया था, वह बहुत सुन्दर स्थान है। जहां तक होटलों की सुविधा का प्रश्न है, माननीय सदस्य का बीकानेर में एक बहुत सुन्दर भवन है, यदि वह मेरे उदाहरण का अनुसरण करें, और इस भवन को होटल के लिये दे दें, तो मुझे विश्वास है कि इस से पर्यटन में सहायता मिलेगी।

डा० कर्णी सिंह : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं महाराजाओं के मध्य नहीं आना चाहता।

डा० कर्ण सिंह : यह मेरे अथवा किसी अभ्यार्थी के घर का प्रश्न नहीं है। यदि देश का विकास इसी बात पर निर्भर है कि व्यक्ति अपने घरों को होटल के लिये दे दें तो आप हमें राज्य वापस क्यों नहीं दे देते ? यदि आप इसका कार्यभार नहीं सम्भाल सकते, तो इसे हमें लौटा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना अब संभव नहीं है।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, the hon. Minister has replied that there are two types of scheme—Part I and Part II in that. Cantral Government is providing funds for the Part I schemes for some of the states. I would like to know as to why a

discrimination has been made as regards Assam and Orissa. because there has been no provision of Part I scheme in these states.

Secondly, does the Government propose to make a passage on the pattern of Marine-Drive on the sea coast from Puri to Konark in Orissa, and the Orissa Government make a proposal to start Air Services direct from Delhi to Bhubneshwar in order to attract tourists in Orissa and there should also be an Aerodrome in Konark ?

Dr. Karan Singh : The hon. Member has said about Part I and Part II schemes. These schemes were originated during 3rd Plan but Part II was deleted during 4th Plan period. Only the Part I scheme, of the 4th Plan are the state and central schemes. So far as the question of Konark is concerned, it would not be proper to make an airport there. It has been suggested by our experts, that if the airport is made nearly then there is the possibility or demolition of this beautiful building. There is a route to reach Konark from Bhubneshwar. We have got a plan for a route along with sea coast from Puri to Konark but that needs a big investment and we will have to study as to whether it can be continued.

श्री विश्वनाथ राय : विशेष राज्यों से सम्बन्धित मामलों और धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को छोड़कर क्या सरकार ने समस्त देश का कोई सर्वेक्षण कराया है जिससे ऐसे नये केन्द्रों को चुना जा सके जो प्राकृतिक आकर्षणों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो विदेशियों को हमारे देश के लिये आकर्षित कर सकें।

डा० कर्ण सिंह : पहले एक प्रश्न के उत्तर में, इस समस्या के प्रति मैंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। पर्यटक जहां तक जाते हैं उन स्थानों पर जो सुविधायें उपलब्ध हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय सुविधाओं की तुलना में उपयुक्त नहीं हैं। हमें नये पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने से पूर्व सबसे पहले उन पर्यटन स्थलों के विकास की ओर ध्यान देना है जहां वर्तमान समय में पर्यटक जा रहे हैं। इसीलिये हम नये स्थलों का विकास करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हमें वर्तमान समय में स्थित पर्यटन स्थलों के विकास का कार्य आरम्भ करना है।

श्री ब्रिजराज सिंह (कोटा) : मंत्री महोदय ऐसी सुविधाओं के विकास के बड़े इच्छुक हैं। पर्यटकों के ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है, जिससे ये लोग कुछ अधिक समय तक भारत में रह सकें ? यदि हमारे यहां 100 पर्यटक आते हैं और एक रात के बजाये वे यहां चार रात ठहरते हैं तो वे २०० पर्यटकों के बराबर हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह राजस्थान के पूर्वी भाग विशेषतया कोटा को इसमें सम्मिलित क्यों नहीं कर रहे हैं ? कोटा एक ऐसा स्थान है जहां चम्बल जैसी सुन्दर नदी बहती है और जो संसार में केवल एक ही ऐसा स्थान है जहां नौका विहार द्वारा वन्यजीवन देखा जा सकता है। इस क्षेत्र के विकास के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : यह सच है कि हम विदेशी पर्यटकों को भारत में अधिक से अधिक समय तक ठहराना चाहते हैं। कोटा के सम्बन्ध में मैंने सबसे पहले जो कार्यवाही की है वह यह है कि कोटा को भारत के विमान सेवा चित्र में प्रस्तुत कराया है। यह सबसे पहली आवश्यकता है; यहां के शेष विकास के लिये हमें माननीय सदस्य के सहयोग की आवश्यकता है।

डा० ब्रिजराज सिंह (कोटा) : मुझे अपना सहयोग देने में प्रसन्नता होगी परन्तु यह विमान सेवा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

श्री कमल नाथन् : तमिल नाडू के लोग सलेम में हवाई अड्डा बनाने के लिये दबाव डाल रहे हैं। वहां एक नया इस्पात कारखाना स्थापित किया जा रहा है और उसके निकट ही भारकन्द एक पर्वतीय प्रदेश है। क्या मंत्री महोदय सलेम में हवाई अड्डा बनाने के सुझाव में विचार करेंगे ?

डा० कर्ण सिंह : कई बार ऐसे सुझाव दिये गये हैं। अब क्योंकि वहां पर इस्पात कारखाना बनाया जा रहा है इसलिये इस मामले का नये सिरे से सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। हम इसका सर्वेक्षण करायेंगे।

श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि अहमदाबाद के निकट नालसरोवर एक स्थान है जहां पाकिस्तान, रूस, चीन तथा ईरान एवं संसार के अन्य भागों से यहां चिड़ियां आतीं हैं और यह बहुत ही सुहावना स्थल है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह स्वयं ही परिस्थितियों का निरीक्षण करें और वहां पर्यटकों के लिये होटल बनवायें।

डा० कर्ण सिंह : क्या उन चिड़ियों के लिये माननीय सदस्य को होटल की आवश्यकता है। मैं उनके सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : बंगाल के मिदनापुर ज़िले में डिधा स्थल पर सुन्दर समुद्र तट है और अब तक लोग विमानों द्वारा कलकत्ता से यहां आते और यहां से कलकत्ता तक जाने के लिए ही इस स्थल का उपभोग करते हैं। मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या वह इस स्थल को कलकत्ता विमान सेवा मार्ग से सम्बद्ध करने के विषय में विचार कर रहे हैं क्योंकि यह कलकत्ता के बहुत समीप है और लोग एक दिन में ही आ और जा सकते हैं। श्री समर गुह यही प्रश्न पूछने का प्रयत्न कर रहे थे।

डा० कर्ण सिंह : पश्चिम बंगाल सरकार ने डिधा स्थल को पर्यटन विकास, आवास तथा तटीय सुविधाऐं प्रदान करने के लिये चौथी योजना में शामिल किया है।

जहां तक विमान सेवाओं का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्तमान समय में वायु सेवाओं के लिये हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है। हम निकट-भविष्य में भी इसे उपलब्ध नहीं कर सकेंगे। परन्तु माननीय सदस्य के सुझाव को निश्चय ही विचाराधीन रखा जायेगा।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, if you have got short notice question accepted regarding the ministries on which no discussion has been made then this question would not have taken so much time and every thing would have gone alright.

प्रश्नो के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिए लाइसेंस देने के बारे में वित्तीय तथा करीय प्रोत्साहन विषयक कार्यकारी दल की सिफारिश

†**1561. श्री सं० कुन्डू** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े राज्यों में उद्योग आरम्भ करने के लिये वित्तीय तथा करीय प्रोत्साहन देने के संबंध में कार्यकारी दल ने सिफारिश की थी कि कुछ निर्धारित क्षेत्रों में नये औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किये जाने चाहिए और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन देने के बारे में कार्यकारी

दल (वांचू समिति) ने जो सिफारिशें की हैं उसमें अन्य बातों के अलावा पहले से विकसित क्षेत्रों में उद्योगों के जमाव को रोकने के लिए प्रोत्साहन न देने की सिफारिश की है। इस बारे में एक और सिफारिश यह थी कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास जैसे कुछ निर्धारित क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने तथा विशेष रूप से बम्बई और कलकत्ता जैसे घने बसे हुए क्षेत्रों में विद्यमान एककों के विस्तार हेतु भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिये। हां, इस मामले पर अभी तक अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए रियायत

†**1563. श्री वेदव्रत वरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1967 में यह निर्णय किया था कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर उसमें लगाई गई पूंजी का 10 प्रतिशत राजसहायता के रूप में दिया जायेगा और 5 वर्ष तक आयकर में राहत दी जायेगी ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् के आग्रह पर उक्त निर्णय को बाद में बदल दिया गया; और

(ग) क्या सरकार ने मंत्रिमंडल के पहले के निर्णय के स्थान पर राष्ट्रीय विकास परिषद् का निर्णय स्वीकार कर लिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :(क) से (ग) : माननीय सदस्य का ध्यान लोक-सभा की प्रक्रिया और कार्य-विधि नियम के नियम 41(2) की धारा (xx) के उपबंधों की ओर आकर्षित किया जाता है।

निर्वाचनों पर व्यय

***1568. श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) सरकार ने 1967 के संसद् और राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के संचालन पर अलग-अलग कुल कितना व्यय किया।

(ख) क्या यह मांग की गई है कि सरकार उन उम्मीदवारों के सारे व्यय को स्वयं वहन करे जो अपनी जमानत की राशि बचाने में सफल हों।

(ग) यदि सरकार कानून के अन्तर्गत अनुज्ञेय अधिकतम सीमा तक होने वाले व्यय की अनुमति दे दे तो ऐसे सब उम्मीदवारों पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) लोक-सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए 1967 में साधारण निर्वाचन कराने में सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 10,95,33,772 रुपये था। लोक-सभा और राज्य विधान सभा दोनों के लिए निर्वाचन चूंकि साथ-साथ कराए गए, इसलिए पृथक्-पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस व्यय को केन्द्र और राज्य ने आपस में 50 : 50 के आधार पर बांट लिया।

(ख) सरकार के पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(ग)

और प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ)

री-रोलिंग मिलों को उत्पादों के मूल्य उचित स्तर पर रखने की सरकार की चेतावनी

*1570. **श्री मयावन :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस्पात री-रोलिंग मिलों को चेतावनी दी है कि वे अपने उत्पादों के मूल्य उचित स्तर पर रखें अन्यथा सरकार को मजबूरन अन्य उपाय करने पड़ेंगें।

(ख) क्या इस चेतावनी के बावजूद इन मिलों ने कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिये क्या अन्य उपाय सोचे जा रहे हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त): (क) जी, नहीं। परन्तु पुनर्वेलकों के साथ हुए एक अनौपचारिक विचार-विनिमय के दौरान उन्हें यह बता दिया गया था कि सरकार उनके उत्पादों के बढ़ते हुए मूल्य से चिंतित है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को घाटा

*1571. **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को उसकी स्थापना से लेकर आज तक भारी घाटा होता रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उपक्रम में अपेक्षित प्रबन्ध कुशलता का अभाव ही इस घाटे का मुख्य कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस उपक्रम को आर्थिक रूप से 'आत्म निर्भर' बनाने की दृष्टि से सरकार का विचार गैर-सरकारी प्रबन्धकों को इस उपक्रम से संबद्ध करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने अपने 13 वर्षों के काम में से 11 वर्षों में लाभ कमाया है।

(ख) जी, नहीं। विगत दो से तीन वर्षों में इंजीनियरी उद्योग की क्षमता के कम उपयोग की सामान्य समस्या से उत्पन्न मशीनी औज़ारों की मांग में अपूर्व कमी के कारण, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों की कुल बिक्री सन्तोषजनक नहीं रही है। परिणामस्वरूप, कम्पनी के पास मशीनी औज़ारों का काफी भंडार हो गया था। भंडारों में अग्रेतर संचय को रोकने के लिए, कम्पनी को उत्पादन पर भी प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। इस स्थिति के परिणामस्वरूप कम्पनी को अपने मशीनी औज़ार निर्माण कार्यक्रम से नुकसान हुआ।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के निदेशक मंडल में चार गैर-सरकारी निदेशक हैं जिनमें से दो गैर-सरकारी क्षेत्र के दो वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिड़ला तथा टाटा उद्योग समूह को उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करना

*1572. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग आरम्भ करने के लिए गत दो महीनों में बिड़ला तथा टाटा उद्योग समूह ने लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने लाइसेंस दिये जाने के लिए और अलग-अलग किन उद्योगों के लिए; और

(ग) सरकार की उन आवेदन-पत्रों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद : (क) से (ग) : बिड़ला उद्योग समूह की कम्पनियों से पिछले दो महीनों (मार्च तथा अप्रैल, 1970) में नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु तीन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, इनमें से एक भी आवेदन-पत्र टाटा ग्रुप की कम्पनियों से प्राप्त नहीं हुआ है। बिड़ला उद्योग समूह से प्राप्त तीनों आवेदन-पत्र केमिकल्स, गियर कटिंग टूल, बिनौले के तेल तथा अन्य खाद्य तेल और कार्यों के उत्पादन करने के बारे में है। इन आवेदनों पर हाल ही में घोषित लाइसेंस नीति में किये गये परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जा रहा है।

रेलवे प्लेटफार्मों पर आरक्षण के चार्टों का लगाया जाना

*1573. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों के पहुंचने से पहिले दो टायर-और तीन-टायर की स्लीपिंग बर्थ और तीसरे दर्जे में बैठने के आरक्षित स्थानों को दर्शाने वाली सूची प्लेटफार्मों पर नहीं लगाई जाती है और वे सूचियां पढ़े जाने योग्य लिखी या टाइप नहीं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर इस सम्बन्ध में शिकायत-कक्ष स्थापित किये जायें ?

रेल मंत्री (श्री नन्दा) : (क) इस आशय की हिदायतें मौजूद हैं कि सभी दर्जों के स्थानों के आरक्षण की स्पष्ट और लिखित अथवा टाइप की हुई सूची प्लेटफार्म पर साफ दिखायी पड़ने वाले स्थान पर गाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान समय से बहुत पहले, लगा दी जायें। इन हिदायतों का रेलों द्वारा, सामान्यतः पालन किया जा रहा है। अनुपालन की दृष्टि से स्थिति की फिर समीक्षा की जायेगी।

(ग) जी नहीं। लेकिन, ऐसी शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की व्यवस्था है।

धातु के बने रेलवे पासों पर रेलवे अधिकारियों के परिवारों द्वारा सैलूनों में यात्रा

*1574. **श्री लोबो प्रभु:** क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे सैलूनों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के पूरे यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के बारे में 7 अप्रैल, 1970 के आंतरांकित प्रश्न संख्या 864 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे अधिकारियों को धातु से बने पासों पर यात्रा करते समय तथा निरीक्षण डिब्बे कहलाये जाने वाले सैलूनों का प्रयोग करते समय आश्रित बच्चों सहित अपने परिवारों को साथ ले जाने की अनुमति दिये जाने के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या रेलवे अधिकारी परिवार के अतिरिक्त ड्यूटी पर साथ जाने वाले अटैन्डैन्ट के साथ-साथ अनेक नौकरों को भी बिना किराये के अपने साथ ले जा सकते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन रेलवे अधिकारियों को अनेक प्रिविलेज पास तथा पी० टी० ओ० भी मिलते हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलगाड़ियों के लगभग सभी श्रेणियों के डिब्बों में स्थानों की कमी होती है तथा उक्त अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है, क्या रेलवे बोर्ड प्रिविलेज पासों तथा पी० टी० ओ० की संख्या को कम करने तथा धातु के बने पासों पर तथा सैलूनों में उक्त अधिकारियों के परिवारों तथा घरेलू नौकरों को बिना किराये यात्रा करने की सुविधाओं को वापस लेने की वांछनीयता पर विचार करेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों को आजकल यात्रा सम्बन्धी जो रियायतें दी जा रही हैं, वे, जब से रेलों का प्रचलन हुआ है, तब से चली आ रही लगभग एक शताब्दी पुरानी विकास-मूलक प्रक्रिया का परिणाम हैं। रेल कर्मचारियों को प्राप्त यह सुविधा रेलों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा और वस्तुत: एअर लाइंज, जहाज़रानी कम्पनियों रोडवेज़ आदि अन्य परिवहन उपक्रमों की परिपाटियों के अनुरूप है।

2. इस परम्परा की पृष्ठभूमि में रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली यात्रा संबंधी रियायतें उनकी सेवा की शर्तों का लगभग एक अंग-सा बन गयी हैं। और इसीलिए रेल कर्मचारियों के संगठन इन सुविधाओं को अपना अधिकार समझते हैं और ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रति उनका रवैया बड़ा भावुकतापूर्ण होता है, जो इस रियायत में उनके हित में प्रतिकूल पड़ने वाला आशोधन करने से सम्बन्धित है।

3. राजपत्रित रेल अधिकारी की ड्यूटी इस तरह की है कि ड्यूटी पर उन्हें प्राय: रेलों पर यात्रा करनी पड़ती है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राजपत्रित रेलवे अधिकारी को एक धातु पास दिया जाता है, जिसे वह केवल ड्यूटी पर की जाने वाली यात्राओं पर ही इस्तेमाल कर सकता है। इस पास पर पास-धारी अधिकारी ड्यूटी पर साधारण सवारी गाड़ी अथवा निरीक्षण डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं और अपने साथ अपने परिवार और तीसरे दर्जे में दो परिचरों को भी ले जा सकते हैं।

4. रेलवे अधिकारियों को क्षेत्र निरीक्षण की ड्यूटी के लिए प्राय: लाइन पर जाना पड़ता है और अपने क्षेत्राधिकार में व्यापक रूप से दौरे करने पड़ते हैं। वे केवल रेल संचालन के हित में, विशेष रूप से सभी संस्थापनाओं । रेल-पथ आदि का संरक्षा सम्बन्धी स्तर सुनिश्चित करने के लिए ही ये दौरे करते हैं। इसलिए, यदि वे चाहें, तो उन्हें ड्यूटी यात्रा के दौरान अपने परिवार और नौकरों को साथ ले जाने की अनुमति देना आवश्यक हो जाता है क्योंकि कभी-कभी तो उन्हें जांच-कार्यों और लाइन निरीक्षण से सम्बन्धित कामों के लिए कई-कई दिनों तक लगातार बाहर रहना पड़ता है और ऐसे स्थानों पर ठहरना पड़ता है जहां खान-पान और रहने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इस तरह से, विशेष रूप से उन स्थानों पर, जहां विश्रामालय और खान-पान की सुविधाओं की व्यवस्था

नहीं है, रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण डिब्बों का इस्तेमाल आवश्यक हो जाता है। यह प्रथा तब से चली आ रही है जब रेलें इस देश में चलनी शुरू हुई थीं।

5. गैर-ड्यूटी यात्राओं के लिए रेलवे अधिकारी एक निर्धारित मान के अनुसार अर्थात् प्रति वर्ष 6 सेट पास और 6 सेट सुविधा टिकट आदेश पाने के पात्र हैं।

6. रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली यात्रा सम्बन्धी रियायतें को सरकार हानि के रूप में नहीं लेती बल्कि वह इन्हें कुछ ऐसी चीज़ समझती है, जिसके लिए कर्मचारी वैध रूप से हकदार हैं। यदि उन्हें उनकी वर्तमान सुविधाओं में से किसी से भी वंचित किया जाता है, तो तनिक भी सन्देह नहीं कि ऐसा करने से उनमें एक ऐसे समय में बड़ी निराशा की भावना फैल जायेगी जबकि परिवहन के क्षेत्र में राष्ट्र को अपना काम पूरा करने के लिए कर्मचारियों को अटूट उत्साह और कर्त्तव्यनिष्ठा की भावना की बड़ी आवश्यकता है।

7. जैसा कि इस सदन को पहले सूचित किया जा चुका है, निरीक्षण डिब्बों के इस्तेमाल के समूचे प्रश्न पर फिर से विचार किया जा रहा है ताकि अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुरूप इनका उपयोग कम से कम हो।

श्री रामनाथ गोयनका के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया मामला

***1575. श्री रवि राय :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 14 फरवरी, 1970 को श्री रामनाथ गोयनका के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग)। केन्द्रीय जांच विभाग ने 14 फरवरी, 1970 को श्री रामनाथ गोइन्का के विरुद्ध, एक अभियोग, भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) तथा धारा 477 क (लेखा कूट करण) के साथ पठित धारा 120ब (आपराधिक षड्यंत्र) के विरुद्ध पंजीकृत किया है।

Lowering of Age for Franchise

†***1576. Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri N. R. Deoghare :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that students are developing a sense of political awakening rapidly;

(b) if so, whether Government would consider to reduce the age of franchise from 21 years to 18 years;

(c) whether keeping in view the importance of education, Government would consider extending the right to vote to matriculate students irrespective of their age; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of Law and Social Welfare (Shri P. Govinda Menon) : (a) It is a matter of opinion.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) The acceptance of this proposal will be tantamount to a discrimination between Matriculate student voters and other voters. Such a discrimination is opposed to the idea of universal adult franchise.

Filling up of Posts by Persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on various Railways

†*1577. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of posts filled by persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Castes during last three years on each Railway, Zone-wise and category-wise, by direct recruitment and also by holding open competitive examinations, separately; and

(b) the complete details in this regard ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

विभिन्न रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों द्वारा रिक्त पदों को भरा जाना

*1577. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में क्षेत्रवार तथा श्रेणीवार गत तीन वर्षों में पृथक्-पृथक् सीधे भर्ती करके तथा खुली प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा कितने पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति की गई; और

(ख) इस बारे में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

फ्लाई ऐश से रोड़ी कंकरीट का उत्पादन करने वाले नये कारखानों को लाइसेंस देना

*1578. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत् केन्द्रों में उत्पादित फलाई ऐश (अवशिष्ट माल) से मद्रास का एक कारखाना सैलुलर कंकरीट का उत्पादन कर रहा है;

(ख) विभिन्न विद्युत् केन्द्रों पर इस अवशिष्ट माल का कुल कितना उत्पादन होता है तथा उक्त मद्रास कारखाने में इसमें से कितनी मात्रा का उपयोग उत्पादन के लिये होगा; और

(ग) क्या किन्ही अन्य कारखानों को, कंकरीट का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिये जायेंगे, और यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कारखाने के 1970 के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ करने की आशा है;

(ख) विभिन्न बिजलीघरों का भलाई ऐश का वार्षिक उत्पादन 35 लाख मी० टन है और इसके निकट भविष्य में 80 लाख मी० टन हो जाने की आशा है। इस कारखाने द्वारा फलाई ऐश की वार्षिक अनुमानित खपत 1 लाख मी० टन है ।

(ग) क्योंकि यह अनुसूचित उद्योगों में से नहीं है अतः यह लाइसेंसीकरण के अधीन नहीं।

उद्योग स्थापित करने के लिए इंजीनियरों को ऋण

1579. **श्री देविंदर सिंह गार्चा : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक योजना के अन्तर्गत बेरोज़गार इंजीनियर बिना किसी ज़मानत के सरकार से किराया-खरीद पद्धति के आधार पर कारखाना स्थापित करने के लिए दो लाख रुपये ले सकता है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) राज्यवार कितने बेरोज़गार इंजीनियरों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है; और

(घ) राज्यवार कितने बेरोज़गार इंजीनियरों के आवेदन-पत्र अभी तक सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) । जुलाई 1967 में स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने प्रशिक्षित उद्यमियों तथा कारीगरों को आर्थिक सहायता देने की एक योजना आरम्भ की थी। इस योजना के अन्तर्गत किसी एक उद्यमी को वित्तीय सहायता 2 लाख तक उपलब्ध है। यदि किसी परियोजना में एक से अधिक उद्यमी हों तो यह सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी उद्यमी की परियोजना अच्छी हो और उन्हें अनुभव अथवा तकनीकी जानकारी, ईमानदारी तथा परियोजना को सफल बनाने की योग्यता हो, तो वह इस योजना के अन्तर्गत सहायता का हकदार है। इस सहायता के लिये उसे कोई ज़मानत नहीं देनी होगी किन्तु उसे इस ऋण से बनने वाली आस्तियों को गिरवी रखना पड़ता है।

(ग) तथा (घ) । जानकारी इकट्ठी की जा रही है। और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बर्दवान में गैंगमैनों और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों में हुई मुठभेड़

*1580. **श्री राम किशन गुप्त :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 15 अप्रैल, 1970 को गैंगमैनों और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों में बर्दवान रेलवे स्टेशन पर हुई मुठभेड़ में कई गैंगमैन मारे गये थे और घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये थे तथा घायल हुए थे; और

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :

(क) जी हां।

(ख) 2 गैंगमैन मारे गये। 29 गैंगमैनों और रेलवे सुरक्षा दल के 4 कर्मचारियों को चोटें आयीं।

(ग) बर्दवान के सहायक डीज़ल-ड्राइवर और रेलवे सुरक्षा दल, बर्दवान के सब-इन्सपेक्टर की शिकायतों पर पुलिस ने दो मामले दर्ज किये हैं और पश्चिम बंगाल का अपराध आसूचना विभाग इनकी जांच कर रहा है।

मध्य प्रदेश में एस्बेस्ट्स बनाने का कारखाना

*1581. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एस्बेस्ट्स' के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और यह कारखाना कहां पर लगाया जायेगा; और

(ग) उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) । प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों द्वारा औद्योगिक एककों से क्रय करना

*1582. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि कुछ राज्य सरकारें राज्य के खाते में क्रय करते समय अपने-अपने राज्यों के औद्योगिक एककों को प्राथमिकता देते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के क्या नाम हैं जो इस प्रकार प्राथमिकता देते हैं और यह प्राथमिकता कहां तक दी जाती है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से समग्र ब्यौरा प्राप्त करके उसे सभा के समक्ष रखेगी; और

(घ) ऐसी प्राथमिकताएं दिये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या रवैया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) । सरकार को पता है कि कुछ राज्य सरकारें राज्य के हिसाब में खरीद करते समय अपने-अपने राज्यों के औद्योगिक एककों को प्राथमिकता देती हैं। सरकार राज्य सरकारों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली इस प्रणाली से उत्पन्न स्थिति पर विचार कर रही है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्राथमिकताओं का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

निर्वाचन लड़ने के लिए राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रीकरण

*1583. **श्री जुगल मंडल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच ऐसी विधि बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है जिसके अन्तर्गत सभी राजनीतिक दलों को देश में निर्वाचन लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग में अपना रजिस्ट्रीकरण कराना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टायरों और ट्यूबों की कमी

*1584. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री काशी नाथ पाण्डेय :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सभी प्रकार के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन सामान्य आवश्यकताओं से बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप इनकी बहुत कमी हो रही है;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि देश में रबड़ का उत्पादन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) । प्रश्न ही नहीं उठते ।

1973-74 के लिये निर्धारित रेलवे सम्बन्धी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना

*1585. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1973–74 के लिए 26.5 करोड़ मीटरिक टन माल यातायात और 270 करोड़ यात्रियों द्वारा यात्रा करने का निर्धारित लक्ष्य उन्होंने अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) प्रत्येक वर्ष में इन संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1973–74 में कुल मिलाकर लगभग 26.5 करोड़ मीटरिक टन प्रारंभिक भाड़ा यातायात आने की संभावना है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुपनगरीय यात्री यातायात में 23 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। लेकिन रेलों के लिए जो रकम आवंटित की गयी है, वह केवल 1973-74 में 25.5 करोड़ मीटरिक टन प्रारम्भिक यातायात की और योजना की अवधि में अनुपनगरीय यात्री यातायात में 20 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकताओं के लिए पूरी पड़ेगी। इन लक्ष्यों को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन योजना आयोग तथा संबंधित आर्थिक मंत्रालय के परामर्श से इनकी आवधिक समीक्षा की जाती रहेगी ताकि इनमें समयानुसार समंजन किया जा सके।

(ख) योजना में रेलों के लिए कुल मिलाकर 1525 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गयी है।

(ग) रेलों के लिए चौथी योजना का इस शर्त पर अनुमोदन किया गया है कि 1525 करोड़ रुपये के कुल खर्च में से 585 करोड़ रुपये सामान्य संसाधनों से उपलब्ध कराये जायेंगे और शेष 940 करोड़ रुपये की व्यवस्था रेलें स्वयं करेंगी। इसमें 525 करोड़ रुपये की वह रकम भी शामिल है, जो रेलें योजना की अवधि में मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान के रूप में देगी। इस स्थूल ढांचे के अन्तर्गत संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, रकम का वर्षानुवर्ष नियतन करने का विचार है।

लेकिन रेलवे वित की वर्तमान विकट स्थिति को देखते हुए, इस बात का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है कि रेलों के अपने संसाधनों से कितनी रकम जुटायी जा सकती है ।

विकासशील देशों को इस्पात का निर्यात

*1586. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ::

(क) क्या यह सच है कि सरकार मूल इस्पात-सेमीस, बिलेट तथा कच्चे लोहे की देश की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति न करते हुए भी इसका विकासशील देशों को निर्यात करते रहने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मदों के लिए किन-किन देशों से जोरदार मांगें प्राप्त हुई हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त): (क) और (ख) : सरकार की नीति कच्चे लोहे, अर्द्ध तैयार इस्पात और तैयार इस्पात के निर्यात को नियमित करने की है जिससे आन्तरिक मांग, निर्यात द्वारा विदेशीमुद्रा अर्जन, और दूसरे देशों विशेषत: विकासशील पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण आर्थिक संबंध बढ़ाने में उचित संतुलन कायम रखा जा सके।

(ग) इस समय भारतीय कच्चे लोहे और पिण्डक की सबसे ज्यादा मांग जापान की है। बिलेट की माग कई देशों की है जिनमें नेपाल, श्रीलंका, थाईलैण्ड, मारिशस और ईरान शामिल हैं।

राज्यों में आश्रम स्कूल

*1587. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सहायता-प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ राज्यों द्वारा चलाये जाने वाले आश्रम स्कूलों की निर्माण लागत अन्य परम्परागत स्कूलों की तुलना में बहुत अधिक है और इसके फलस्वरूप अनेक राज्य इस प्रकार के अधिक स्कूल खोलने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में ऐसे स्कूलों का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) : अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के लिए विशेष रूप से स्थापित किए गए आश्रय की तरह के स्कूल आवासीय स्कूल हैं, जिनमें व्यवसायिक प्रशिक्षण की ओर झुकाव है : आवासियों को भोजन, आवास शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त थी जाती हैं। इसलिए आश्रम स्कूलों को स्थापित करने और उन्हें चलाने पर अन्य सामन्य स्कूलों की अपेक्षा अधिक खर्च आता है। आश्रम स्कूल राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा धन उपलब्ध होने की अवस्था में राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन स्थापित किए जाते हैं।

(ग) यह सूचना राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना में सुधार

*1588. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई नीति की घोषणा के समय से अब तक नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना की स्थिति में कोई स्पष्ट सुधार हुआ रै; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों में सुधार पाया गया है और कितनी पार्टियों ने लाइसेंसों के लिए सरकार से प्रार्थना की है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : चूंकि नई लाइसेंस नीति की घोषणा 18-2-1970 को ही की गई थी। अतः नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना पर नई नीति का कितना प्रभाव पड़ा, इसका निर्धारण करना समय से पूर्व होगा। हां नई लाइसेंस नीति घोषित करने के पश्चात् (अर्थात् मार्च तथा अप्रेल, 1970) विगत दो महीनों में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु 123 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। ये आवेदन पत्र मोटर गाड़ी के टायर तथा ट्यूब, कागज तथा लुगदी, चीनी, ट्रैक्टर तथा कृषि के उपकरण, मेरीन डीजल इंजन, अमोनियम सल्फेट, कास्टिक सोडा तथा वनस्पति आदि जैसे उद्योगों के बारे में है। 1969 की चालू अवधि में ऐसे आवेदनों की संख्या 98 थी।

रायचूर (दक्षिण-मध्य रेलवे) में मीठा तेल-टैंक वैगनों की कम सप्लाई

*1589 **श्री स० अ० अगाड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे पर रायचूर में मीठा तेल-टैंक वैगनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत एक वर्ष से इन वैगनों की औसतन मासिक मांग तथा सप्लाई कितनी रही है; और

(घ) मीठा तेल के निर्यातकों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्ययाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) व्यस्त समय में मीठे तेल के टंकी माल डिब्बों को भेजने के लिए मांग पूरी करने में कुछ विलम्ब होता है लेकिन कुछ समय के भीतर सभी मांग पुरी कर दी जाती है।

(ख) व्यस्तकालीन मांग को पूरा करने के लिए पैट्रोल टंकी लाल डिब्बों की सप्लाई करके सहायता पहुंचायी जाती है।

(ग) 1969-70 में रायचूर में औसत मासिक मांग 53 थी, न्यूनतम 19 और अधिकतम 81। लगभग सभी मांगें पूर्णतः पूरी की गयीं।

(घ) मीठे तेल के निर्यातकों की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है :—

(i) उपलब्ध टंकी माल डिब्बा समूह के अधिकतम उपयोग करने का सतत प्रयास किया जाता है।

(ii) गन्तव्य स्टेशन पर खाली करने के लिए पड़े लदे टंकी माल डिब्बों का अधिक देर तक ठहरे रहना कम करने के लिए व्यपारियों से सहयोग देने का अनुरोध किया जाता है।

(iii) जहां तक व्यवहारिक होता है अन्य क्षेत्रों से टंकी माल डिब्बों की सप्लाई की जाती है।

(iv) पेट्रोल टंकी माल डिब्बों को साफ करके वनस्पति तेल भेजने के लिए मीठा तेल टंकी माल डिब्बों के समूह में मिला दिया जाता है।

(v) वनस्पति तेल के निर्यात यातायात को भी उच्चतर प्राथमिकता दी जाती है।

मद्रास के पहाड़ी क्षेत्रों की आदिम जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की रहन-सहन की स्थिति

*1590. **श्री के० रमानी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तामिल नाडु में वालयार जंगल तथा कोयम्बटूर ज़िले की थलावड़ी पहाड़ियों में रहने वाली पहाड़ी आदिम जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की रहन-सहन की दयनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन्हें भूमि तथा पेय जल की सुविधाएं देकर तथा बेरोज़गारों को काम देकर उनकी दशा सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क), (ख) तथा (ग) : यह सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इंजीनियरों की भर्ती

9291. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय सेवा श्रेणी दो के लिए उन इंजीनियरों की भर्ती कर रही है जिन्होंने परीक्षा में 40 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह मानती है कि जिन इंजीनियरों ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हैं वे सराहनीय और पूर्णरूप से योग्य नहीं हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी एक में भर्ती की प्रतिशतता घटाने तथा केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी दो को पूर्णरूप से समाप्त करने का है क्योंकि बड़े पैमाने पर भर्ती किये जाने से कम योग्यता वाले व्यक्ति सेवा में आ जाते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं के जरिए श्रेणी–2 की किन्हीं केन्द्रीय सेवाओं पदों पर इंजीनियरों की भर्ती से है। इन परीक्षाओं के नियमों में यह व्यवस्था है कि आयोग को परीक्षा के सभी या किसी एक विषय के लिए अर्हक अंक निर्धारित करने का अधिकार है। संघ लोक सेवा आयोग, इन सेवाओं के लिए समय-समय पर जो अर्हक अंक निर्धारित करता है, उन्हें वह गोपनीय रखता है। ऐसी दशा में सरकार इस बारे में अपनी कोई राय व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है।

(ग) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा, श्रेणी–1 में भर्ती का प्रतिशत घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन उम्मीदवारों की कथित कम योग्यता के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से, केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा, श्रेणी–2 और केन्द्रीय बिजली इंजीनियरिंग सेवा, श्रेणी–2 में सीधी भर्ती बन्द कर देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

पंजाब में हरिजनों को तंग किया जाना

9292. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के एक अध्ययन दल ने पटियाला के निकट शहीदगंज गांव का वहां रहने वाले हरिजनों की दशा का अध्ययन करने के लिये कुछ समय पूर्व दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जब हरिजनों को हर तरीके से परेशान किया जाता है तो पुलिस 'मूक दर्शक' बनी रहती है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उक्त क्षेत्रों में हरिजनों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (घ) : राज्य सरकार को इस मामले में लिखा गया है। उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

स्कूटरों की मांग और उनका उत्पादन

9293. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्कूटरों की कुल मांग कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने स्कूटरों का निर्माण हुआ तथा उक्त स्कूटरों के नाम क्या हैं तथा उनके निर्माता कौन-कौन हैं;

(ग) व्यापारियों से कुल कितने अग्रिम आर्डर बुक किये गये और किन-किन मेकर के स्कूटरों के आर्डर बुक किये गये और उनके विरुद्ध कितनी अग्रिम धन राशि ली गई;

(घ) उन स्कूटर निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाने की अनुमति मांगी है और उन्होंने कितना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति मांगी है; और प्रत्येक मामले में मंजूरी देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि निर्माणकर्ताओं को कार्बुरेटर आदि जैसे अत्यावश्यक पुर्जों को आयात करने के लिए लाइसेंस न देने के परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी हो रही है; और

(च) सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करना कहां तक न्यायोचित है जब कि वर्तमान गैर-सरकारी क्षेत्र में सम्भावित विस्तार की अनुमति नहीं दी गई है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रत्येक पिछले तीन वर्षों में स्कूटरों की कुल मांग के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, विगत 3 वर्षों में स्कूटरों की मांग का पता निम्नलिखित आंकड़ों से चलता है जो देश के विभिन्न स्कूटर विक्रेताओं के पास निलम्बित क्रया देशों से लिए गये हैं:—

दिनांक	अनिर्णीत क्रयादेश
31 मार्च, 1967	लगभग 1,86,000
31 मार्च, 1968	लगभग 2,05,000
31 मार्च, 1969	लगभग 2,19,000

(ख) पिछले तीन वर्षों में निर्मित स्कूटरों की कुल संख्या उनके मेक तथा निर्माताओं के नाम सहित नीचे दी जाती है:—

क्रम संख्या	फर्म का नाम	उत्पादन		
		1967–68	1968–69	1969–70
1.	मैसर्स एनफील्ड इण्डिया लि० मद्रास (फन्टाबुल्स) . .	850	581	289
2.	मैसर्स आटोमोबाईल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि० बम्बई (लम्ब्रेटा) .	14,842	17,909	22,466
3.	मैसर्स बजाज ओटो लिमिटेड पूना (वेस्पा) .	17,724	21,119	29,299
4.	मैसर्स एस्कार्टस लिमिटेड फरीदाबाद (राजदूत)	—	—	192
	योग .	33,416	39,609	52,246

(ग) 31 मार्च, 1970 को देश के विभिन्न विक्रेताओं के पास स्कूटरों के लिए निलम्बित क्रयादेशों की संख्या इस प्रकार है:—

लम्ब्रेटा	84,883
वेस्पा	1,76,933
फेन्टाबुलस	न के बराबर
राजदूत	इन स्कूटरों की बिक्री अभी तक व्यावसायिक आधार पर आरम्भ नहीं हुई है।

स्कूटर (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक स्कूटर के क्रयादेश के साथ डाकखाने में जमा कराई 250 रुपये की रकम का होना आवश्यक होता है।

(घ) 24 अक्टूबर, 1969 को जारी की गई सार्वजनिक विज्ञपति के कारण जिसमें देशीय अभिकल्प तथा सामान पर आधारित स्कूटरों के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र मांगे गये थे, मैसर्स बजाज ओटो लिमिटेड एवं मैसर्स ओटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड ने क्रमशः प्रतिवर्ष 1 लाख तथा 60 हज़ार स्कूटरों (तीन पहिये वालों समेत) के बनाने के लिये अपनी क्षमता के प्रसारार्थ आवेदन किया है। सार्वजनिक विज्ञपति के प्रत्युत्तर में अन्य पार्टियों से प्राप्त इसी प्रकार के आवेदन पत्रों के साथ-साथ ही इन फर्मों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) जी नहीं।

(च) मांग तथा पूर्ती में अच्छा सन्तुलन एवं स्वस्थ स्पर्धा बनाये रखने के लिए सरकार ने स्कूटरों के बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने का निश्चय किया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार मेसर्स एशियन केबिल्स के विरुद्ध मामला

9294. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार मैसर्स एशियन केबल्स तथा अन्य तेरह फर्मों के विरुद्ध आवश्यक से अधिक लाइसेंस प्राप्त करने का प्रत्यक्षत: मामला है;

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितनी अधिक मात्रा का लाइसेंस दिया गया और क्या सामग्री खरीदी गई तथा कितनी मात्रा में खरीदी गई, और कितनी कीमत की खरीदी गई;

(ग) क्या यह सच है कि तकनीकी विकास का महानिदेशक और उनके मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के विरुद्ध यह आरोप लगाये गये हैं कि उन्होंने 14 फर्मों को अधिक माल सप्लाई करवाने के लिए उन फर्मों के साथ सांठ-गांठ की, और यह माल काले बाजार में बेचा गया था; और उस पर भारी मात्रा में अवैध लाभ अर्जित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन व्यक्तियों पर आरोप लगाये और आरोपों की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि इस मामले में कोई जांच नहीं की गई तो इस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) : मैसर्स एशियन केबल्स तथा बिजली के तार उद्योग वाली अन्य कुछ फर्मों द्वारा आयातित कच्चे सामान के गलत प्रयोग के आरोपों को अभी भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विचाराधीन हैं। जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

मध्य प्रदेश में उद्योग

9295. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में आरम्भ किये गये नये उद्योगों का ब्यौरा क्या है और उनमें कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) उपर्युक्त उद्योगों में, वर्षवार, कितने श्रमिक नियुक्त किये गये हैं और उन पर कितना व्यय होता है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने और कौन-कौन से बड़े और छोटे उद्योग लगाये जाने का विचार है, और उनमें कुल कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योगों का विकास

9296. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में लघु उद्योगों की संख्या में सही-सही कितनी वृद्धि हुई तथा उनमें 1966 और 1969 में कुल कितने रुपयों का आदान उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले तीन सालों में किसी कमी अथवा अन्य कारणों से कितने लघु उद्योग बन्द हो गये अथवा वे बहुत कठिनाई से चल रहे हैं; और

(ग) लघु उद्योगों की सहायता करने और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या व्यावहारिक कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1969 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में पंजीकृत एककों की संख्या में 53,000 की वृद्धि हुई और यह संख्या 1969 के अंत में 1,71,240 थी। लघु उद्योगों का कुल उत्पादन 1966 में 3017 करोड़ रुपये से बढ़कर 1969 में 3670 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

(ख) तथा (ग) : चूंकि लघु उद्योग क्षेत्र मुक्त क्षेत्र है अतः ऐसे ऐककों की संख्या जिन्होंने काम काज बन्द कर दिया है अथवा जो कठिनाई से चल रही हैं का पता नहीं है। सरकार लघु उद्योग एककों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उन्हें दुर्लभ कच्चे माल की पूर्ति, ऋण सुविधाओं, मशीनों आदि को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए सभी व्यावहारिक पग उठा रही है।

सलेम इस्पात कारखाने में इक्विटी शेयरों की खरीद

9297. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से निवेदन किया है कि तमिलनाडु सरकार को सलेम इस्पात कारखाने के इक्विटी शेयरों को खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी इस प्रकार की प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी संत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं। प्रधान मंत्री को किसी अन्य राज्य से इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उटता।

सरकारी कर्मचारियों को स्कूटर अलाट करना

9298. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 14 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6239 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूटर अलाट करने के सम्बन्ध में मुख्यतः कार्यालय से बाहर कार्य करने वाले अधिकारियों को चिकित्सा अधिकारियों और संयुक्त सचिव तथा उनसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों के निजी कर्मचारियों के बराबर समझा जाता है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि चिकित्सा अधिकारियों और संयुक्त सचिव तथा इससे ऊंचे स्तर के अधिकारियों के निजी कर्मचारियों की अलग सूची बनाई जाती है जबकि मुख्यतः कार्यालय से बाहर कार्य करने वाले अधिकारियों की सूची अलग बनाई जाती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार के कोटे में से स्कूटरों के आवंटन के लिए सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों की छंटाई और व्यवस्था तैथिक आधार पर सात अलग-अलग श्रेणियों में उनके कार्यों और वेतनों को देखते हुए की जाती है। इन श्रेणियों में अन्य बातों के अलावा ये भी शामिल हैं (1) कार्यालय के बाह्य क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका मूल वेतन 500 रु० और 899 रु० के बीच हो, (2) कार्यालय के बाह्य क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका मूल वेतन 300 रु० और 499 रु० के बीच हो।, (3) संयुक्त सचिव तथा इसके ऊपर के समान पदों पर काम करने वाले अधिकारियों के साथ संबद्ध निजी कर्मचारीगण प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित किया गया है तथा जिस श्रेणी के लिए जितना कोटा निर्धारित है उसमें से प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को 'हर तिमाही आवंटन किया जाता है।

सलेम, विशाखापत्तनम और होसपेट में नये इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता

9299. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलेम, विशाखापत्तनम और होसपेट में प्रस्तावित इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त इस्पात कारखानों में किस-किस प्रकार की वस्तुएं बनाई जायेंगी और प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होने का अनुमान है?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) से (ग) : प्रस्तावित नये इस्पात कारखानों में से प्रत्येक कारखाने की लागत उत्पादित वस्तुओं और क्षमता का ब्यौरा प्रत्येक कारखाने का शक्यता प्रतिवेदन तैयार हो जाने के पश्चात् ही मालूम हो सकेगा।

बड़ौदा स्टेशन (पश्चिम रेलवे) का विस्तार

9300. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम रेलवे पर बड़ौदा स्टेशन के पश्चिम छोर पर अतिरिक्त प्लेटफार्म खोलने, जिसकी बहुत समय से भारी मांग थी, की आवश्यकता के बारे में जानकारी है जबकि इस समय केवल पूर्व छोर ही खुला है;

(ख) क्या बड़ौदा नगर का रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर विकास हुआ है और वहां बहुत सी आवास समितियों ने मकान बना लिये हैं और नई समितियां बनती जा रही हैं;

(ग) क्या स्टेशन के एक ओर यात्रियों का भारी यातायात है जिसके कारण यात्रियों और वाहनों की भीड़ भाड़ हो जाती है; और

(घ) क्या बड़ौदा स्टेशन के विस्तार करने की योजना और उस पर खर्च होने वाली धनराशि का अनुमान लगाया गया है यदि हां, तो क्या स्टेशन का विस्तार विद्युतीकरण से पूर्व किया जायेगा?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :

(क) जी हां। केवल अतिरिक्त प्लेटफार्म की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(ख) बड़ौदा शहर का सर्वतोमुखी विकास हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। प्रस्तावों का वास्तविक कार्यान्वयन यातायात सम्बन्धी औचित्य और धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

गुजरात में कम्पनियों का बन्द होना

9301. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में इस समय कितनी कम्पनियां काम कर रही हैं;

(ख) वर्ष 1969–70 में कितनी नई कम्पनियां स्थापित की गईं;

(ग) गत तीन वर्षों में कितनी कम्पनियां दिवालिया हुईं; और

(घ) उपर्युक्त सभी कम्पनियों द्वारा कुल कितनी पूंजी लगाई गयी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 31–3–1970 तक गुजरात राज्य में, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, कार्यरत, हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या एक हज़ार दो सौ चौबीस थी।

(ख) 1969–70 के वर्ष के मध्य, इस राज्य में हिस्सों द्वारा सीमित एक सौ चवालीस कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था।

(ग) इस राज्य में गत तीन वर्षों, अर्थात् 1967–68, 1968–69 तथा 1969–70 के मध्य, इक्यासी कम्पनियों द्वारा कार्य बन्द कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी।

(घ) 31 मार्च, 1969 तक गुजरात राज्य में कार्यरत कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियों का अनुमान 998.8 करोड़ रुपये का था।

1969–70 में पंजीकृत कम्पनियों की अधिकृत पूंजी, 21.00 करोड़ रुपयों की राशि की थी।

उन कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, जिन्होंने 1967–68 से 1969–70 के वर्षों में कार्य करना बन्द कर दिया, 1.32 करोड़ रुपयों की राशि की थी।

गुजरात में ट्रैक्टर कारखाने की स्थापना

9302. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में ट्रेक्टर कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां तो उक्त कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) क्या वह सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) गुजरात में ट्रैक्टर फैक्टरी की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः किसी अन्तिम निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात को लोहे और इस्पात का आवंटन

9303. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1968–69 और 1969–70 में गुजरात को अलग-अलग लोहा और इस्पात कुल वर्ष में आवंटित किया गया ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी करैशी) : गुजरात राज्य को वर्ष 1968–69 और 1969–70 के लिए इस्पात का आवंटन निम्नलिखित है :—

(हज़ार टन)

	काली सादी चादरें (8-14 गेज)	काली सादी चादरें (16-20 गेज)	काली सादी चादरें (20 गेज से पतली)	जस्ती सादी चादरें	जस्ती जालीदार चादरें
1968–69	--	990	439	609	771
1969–70	583	1055	822	901	2373

Companies and firms on approved list and as suppliers of stores to Government offices/ various Government establishments

9304. Shri Bansh Narain Singh : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of limited and other companies which are on the approved list and are suppliers of stores to the various Ministries and offices of the Government of India including the Defence establishments and Railways; and

(b) the capital investment of each firm at the time of its inception and its capital investment at present ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) and (b): Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Arrest of Managing Director of Birla Jute Mills in Calcutta

9305. Shri Deven Sen : Will the **Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 24th March, 1970 the Managing Director of the Birla Jute Mills was arrested in Calcutta on the charge of giving Rs. 1,000 as bribe to a Police Officer for helping him to wilfully misappropriate important documents and files pertaining to 114 firms of the Birlas;

(b) whether it is also a fact that the Birla Group of concerns have removed all the important documents and files pertaining to 114 firms to some other place; and

(c) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c). According to the information so far received from the Government of West Bengal, the Calcutta High Court had passed an interim order of injunction directing the local authorities to take immediate measures for the purpose of removal of all trespassers including squatters from certain Birla office premises and to take appropriate steps to prevent any trespass, restraint or confinement in regard to those premises. It is also understood from the State Government that the Birla officials had removed the records with the assistance of the police, on the night of 24th/25th March, 1970. At the end of the removal operations, one Shri Thirani, the Managing Director of a Birla firm, is alleged to have offered a bribe of Rs. 1,000/- to the Dy. Commissioner of Police supervising the shifting operations, who immediately arrested him. A case has been registered against Shri Thirani and is under investigation. Shri Thirani was later released on bail.

Government has called for a detailed report from the Government of West Bengal on the closure of certain offices of the Birla Group of concerns and the transfer of records from those offices.

लाजपतनगर, नई दिल्ली स्थित कस्तूरबा निकेतन (होम) में रहने वालों के साथ अमानवीय व्यवहार

9306. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपत नगर, नई दिल्ली स्थित कस्तूरबा निकेतन (होम) में रहने वालों के साथ वहां के प्रबन्धकों द्वारा प्रायः अमानवीय बर्ताव बरता जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस होम के चौकीदार ने प्रबन्ध-कर्मचारियों की सांठ-गांठ से वहां रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ ही दिन पूर्व मारा-पीटा था; और

(ग) यदि हां, तो इन दुःखी तथा भाग्यहीन विस्थापित व्यक्तियों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क): नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) नहीं, श्रीमान् । हाल में प्रबन्धकों द्वारा गृह के निवासियों को पीटे जाने अथवा बुरा व्यवहार किए जाने का कोई मामला नहीं हुआ है। अलबत्ता, नियमों को लागू करने के लिए ड्यूटी पर तैनात एक चौकीदार को गृह के एक ऐसे निवासी को वापिस लाना पड़ा था जो बिना इजाजत गृह से बाहर निकलने की चेष्टा कर रहा था।

जेलों में सुधार के उपाय

9307. श्री नन्द कुमार सोमानी
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जेलों में सुधार करने और सुधारात्मक सेवाओं से सम्बन्धित विधियों में संशोधन करने के किन्हीं उपायों के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उस की रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में संसद् में कोई विधान कब तक लाया जायेगा ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क), (ख) तथा (ग) : जेलों में सुधार करने का विषय राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व क्षेत्र में आता है। केन्द्रीय सरकार सुधारात्मक सेवाओं से सम्बद्ध केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के माध्यम से समय समय पर सम्बन्धित जेल कानूनों में परिवर्तनों की आवश्यकता पर राज्य सरकारों को निर्देश देती है। इस विषय पर वर्तमान कानून में संशोधन का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिगरेट के पैकेटों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनी का मुद्रण

9308. श्री यशपाल सिंह: क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिगरेट निर्माताओं से अनुरोध किया गया है कि सिगरेट के पैकेटों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी छापें;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस विषय पर कोई विधान बनाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

भारत का इस्पात उद्योग

9309. श्री राजदेव सिंह : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारत का इस्पात उद्योग 50 वर्षों से अधिक पुराना है और अब तक पर्याप्त टैक्नीकल जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो अब भी यदा-कदा विदेशों से सहयोग का अनुरोध करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या देश में भारी संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों को देखते हुए यह सिद्धांत नहीं अपनाया जाना चाहिये कि देश की समस्याओं का समाधान उसकी जनता द्वारा ही किया जाना चाहिये ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क), (ख) तथा (ग) जी, हां। पर्याप्त तकनीकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे ज्ञान में कोई कमी नहीं है या हमें इस्पात तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में उन देशों से समझौते करके जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त कर ली है। प्रस्ताव रखा गया है कि नए इस्पात संयंत्रों को चलाने का कार्य भारतीय कर्मचारी करेंगे और भारतीय विशेषज्ञों द्वारा ही इन संयंत्रों का प्रबन्ध किया जाएगा। नए संयंत्रों के संबंध में विदेशी सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन भारतीय परामर्श संस्थाओं को ज्ञान की कमी को पूरा करने और सुयोग्य विदेशी दलों से समझौते करके नई जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

महाराष्ट्र की विधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन

9310. श्री देवराव पाटिल : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक 1967 और दूसरी अनुसूची में नई जातियों को सम्मिलित करने पर आपत्ति के बारे में महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के आदिवासी सदस्य से कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 के संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिस में नई जातियों को दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति की गई थी।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के समूचे प्रश्न पर संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने विचार किया था और समिति की रिपोर्ट सदन के सामने है।

Payment of Royalty for Technical Know-how

9311. Shri Om Prakash Tyagi : Will the minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the present policy of Government for paying royalty for technical know-how received from foreign countries and the manner in which it is paid;

(b) whether it is a fact that the policy of Government is different from the prevalent international policy;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the effect of the said policy of Government on acquiring technical know-how in 1969 ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The import of advanced foreign technology particularly in sophisticated fields of manufacture is permitted on the basis among others, of payment of royalty. Each such case is considered on its merits in the light of the essentiality of the know-how to be imported. The strong industrial base that has been set up in the country, the need for stepping up exports of our manufactured products and the need for the development of indigenous research and consultancy facilities and services are among the factors borne in mind.

(b) and (c) : By and large, Governments' policy is on the same lines as those followed in other countries.

(d) 135 applications for foreign collaboration in various fields of industry were approved by the Government in 1969 as compared to 132 approved in 1968.

Crippling of small children for begging purposes

9312. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the number of beggars at present in the country;

(b) whether Government are aware of the existence of gangs which cripple small children for begging purposes; and

(c) if so, the steps Government propose to take to liquidate such gangs ?

Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare [Dr. (Smt.) Phulrenu Guha] : (a) No national survey has been made recently. However, according to the census report of 1961, the number of persons grouped occupationally as beggers or vagrants is 9,61,793.

(b) and (c). An Expert Committee to go into all aspects of kidnapping of children and using them as beggars was set up in August 1968. According to the data collected for the years 1964-67 regarding the incidence of the offences of kidnapping of children by the said Committee, no case of maiming of a kidnapped child for the purposes of beg ging had been reported.

केरल में सूक्ष्म औजार बनाने का कारखाना लगाने के लिये भूमि का अर्जन

9313. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री के० रमानी :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वर्ष 1962 में आपातकालीन उपबन्धों का उपयोग करके कई काश्तकारों से कुछ भूमि अर्जित की थी और सूक्षम औज़ार बनाने का कारखाना लगाने के लिए भारत सरकार को सौंप दी थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि औज़ार बनाने का कारखाना लगाने वाले अधिकारियों ने किसी अन्य व्यक्ति को यह भूमि दे दी है;

(घ) यदि हां, तो वह भूमि किस को दी गई है, और इसके कारण क्या हैं, और

(ङ) यदि कारखाना स्थापित करने के लिए उस भूमि की आवश्यकता नहीं है तो क्या सरकार उपर्युक्त भूमि को उसके मूल मालिकों को लौटाने में विचार करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : 1962 में केरल सरकार ने पालघाट में 588.22 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। इस में से 586.10 एकड़ भूमि इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० को पालघाट में मशीनी औज़ारों के संयंत्र की स्थापनार्थ सौंपी गई थी।

(ग) तथा (घ) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० के पालघाट एकर्क के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय किया गया है। इसी कारण केरल सरकार के अनुरोध पर मशीनीं औज़ार संयंत्र के लिए आवन्टित भूमि सहकारी चीनी मिल, चित्तूर को गन्ने की बोआई के लिए इस शर्त पर पट्टे पर दी गई है कि जब भी कम्पनी को आवश्यकता होगी उक्त भूमि उसे लौटा दी जाएगी इस प्रकार भूमि का भी अच्छा प्रयोग हो जाएगा और समिति भी अपने गन्ने के सम्भरण में वृद्धि कर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बन जाएगी।

(ङ) पालघाट में मशीनी औज़ार संयंत्र की स्थापना के प्रश्न पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में सर्वीक्षा की जाएगी।

Import of Foreign Technical Know-how

9314. Shri Om Prakash Tyagi : Will the **Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange paid by India to various countries (country-wise) for importing technical know-how from them during each of the last three years;

(b) whether it is a fact that the technical know-how imported from other countries does not become part of the property of the entire country but it becomes the property of a particular firm or a company, and as a result of which the required benefit is not derived therefrom;

(c) whether it is also a fact that different companies are paying royalty for one particular type of technical know-how; and

(d) if so, whether Government propose to formulate a policy according to which the technical know-how imported from foreign countries does not become the personal property of a particular firm but on the contrary it becomes the property of the entire nation ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) A statement is attached.

(b) and (c) : Ordinarily, foreign technical know-how obtained by Indian firms belongs to the particular firm which has paid for it. Government, however, seek to ensure that there is a provision in the agreement which permits the sublicensing of such technical know-how to other Indian parties, should it become necessary, on terms and conditions, as are mutually agreed by all the parties concerned, including the foreign collaborator, and subject to the approval of the Government.

(c) : Yes, Sir. There have been some cases in the past where different Indian firms were allowed to import know-how for the same or similar item of manufacture. All such cases had not however been approved at the same point of time. However, with a view to avoiding repetitive import of technology, Government has endeavouring to ensure that coordinated negotiations should be conducted with foreign parties when a number of new units are proposed to be set up for the manufacture of the same item in the country at about the same time.

[*Placed in the library. See L.t. No.* 3477/70.]

खुरदा रोड रेलवे कालोनी (दक्षिण-पर्व रेलवे) म अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले कर्मचारियों से किराये की वसूली

9315. श्री स० कुन्दु : क्या रेलवे मंत्री खुरदा रोड रेलवे कालोनी में बहुमंजली इमारत के बारे में 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1816 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे की खुरदा रोड रेलवे कालोनी में अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले कर्मचारियों से कितना किराया वसूल किया है;

(ख) क्या दण्ड के रूप में किराया वसूल करते हुए कर्मचारियों के बीच भेदभाव किया गया था और क्या इस प्रकार के किसी विशेष आरोप की जानकारी रेलवे अधिकारियों, विशेषकर खुरदा रोड के डिवीज़नल सुपरिनटैंडैंट को मिली है; और यदि हां, तो ऐसे आरोपों की मुख्य बातें क्या हैं और इस गलती को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) खुरदा रोड कालोनी में बहुमंज़ली इमारत को अलाट न करने के लिये अधिकारियों पर कोई दायित्व निर्धारित किया गया है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रगति क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा): (क) 27 यूनिटों का आवंटन मार्च, 1968 में और बाकी 27 यूनिटों का आवंटन अक्तूबर, 1968 में नियमित किया गया और इन मकानों में रहने वाले सभी लोगों से अद्यतन सामान्य किराया वसूल कर लिया गया है।

मार्च/अक्टूबर, 1968 से पहले के अनधिकृत कब्ज़े के सम्बन्ध में अब तक 8458 रु० वसूल हो चुके हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिये जाने के कारण मकानों का आबंटन नहीं किया जा सका। इसलिए आवंटन न करने की ज़िम्मेदारी निश्चित करने का सवाल नहीं उठता।

उड़ीसा तथा राजस्थान में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा लोहा तथा इस्पात के लिये माल गोदाम (स्टाक यार्ड) खोलना

9316. श्री स० कुन्दू: क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा उड़ीसा तथा राजस्थान में लोहे तथा इस्पात के लिये कोई माल गोदाम खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस-किस स्थान पर खोला जायेगा और उन्हें कब तक खोला जायेगा;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने निर्णय कब किया था;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का कोई अधिकारी भुवनेश्वर तथा कोटा गया था और यदि हां, तो उसकी यात्रा का क्या परिणाम निकला और क्या सरकार अथवा/और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कोई रिपोर्ट दी गई है;

(ङ) क्या उपरोक्त अधिकारी इन दो स्थानों में यथा स्थिति सरकार तथा लघु उद्योग संस्थाओं अथवा मंडलों के प्रतिनिधियों से मिला था; यदि हां, तो किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): : (क), (ख) और (ग): हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने उड़ीसा में भुवनेश्वर नामक स्थान पर एक माल गोदाम खोला है जहां से मार्च,

1970 से वितरण प्रारंभ हो चुका है। इस गोदाम को खोलने का निर्णय 1969 में किया गया था। राजस्थान में कोटा के स्थान पर एक गोदाम खोलने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है और हिन्दुस्तान स्टील लि० शीघ्र ही इस पर निर्णय कर लेगी। इसके लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

(घ), (ङ) और (च) : माल गोदाम का स्थान निश्चित् करने से पहले हिन्दुस्तान स्टील के अधिकारी माल गोदाम खोलने के लिये उपयुक्त विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं। किसी विशेष स्थान पर माल गोदाम खोलने के लिये संभावित स्थानों पर दौरे के समय अधिकारी विभिन्न सरकारी अभिकरणों और स्थानीय उद्योगों से बाजार की संभावनाओं और अन्य संबंधित सूचनाओं के विषय में बातचीत करते हैं। इन दौरों के पश्चात् प्रतिवेदन पेश किये जाते हैं और सिफारिशों के आधार पर निर्णय किये जाते हैं। भुवनेश्वर और कोटा के विषय में भी इसी पद्धति को अपनाया गया था।

भिक्षावृत्ति में वृद्धि

9317. श्री स० कुन्दू : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विशेषकर महानगरों में भिखारियों की संख्या गत तीन वर्षों में बढ़ गई है और यदि हां तो इन की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या भिखारियों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि के कारण जानने के लिये कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो यह कब किया गया था और उसकी मुख्य टिप्पणियां क्या हैं;

(ग) यदि इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है तो क्या सरकार का ऐसा अध्ययन करने का विचार है; और

(घ) ऐसे भिखारियों के पुनर्वास के लिये क्या सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं और गत तीन वर्षों में इस पर कितनी राशि व्यय की गई।

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह] : (क), (ख) (ग) तथा (घ) : अपेक्षित जानकारी सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Amount ear-marked for Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes in Fourth Five Year Plan.

9318. Shri Bansh Narain Singh :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by Government for each State for the economic, social and educational development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Fourth Five Year Plan; and

(b) the State-wise details of the schemes to be launched for the utilization of the said amount ?

Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare [Dr. (Smt.) Phulrenu Guha] : (a) & (b). The Planning Commission have tentatively

fixed the following outlays for each State for the Welfare of Backward Classes during the Fourth Five Year Plan period (1969—74):—

(Rupees in lakhs)

S. No.	Name of State	State Sector Schemes	Central Sector	Total
1.	Andhra Pradesh	690.00	302.80	902.80
2.	Assam . .	500.00	440.00	940.00
3.	Bihar .	590.00	580.25	1170.25
4.	Gujarat	400.00	507.00	907.00
5.	Haryana .	200.00	19.50	219.50
6.	J. & K. . .	60.00	32.00	92.00
7.	Kerala . .	150.00	65.75	215.75
8.	Madhya Pradesh	1200.00	954.50	2154.50
9.	Maharashtra	598.00	547.25	1145.25
10.	Mysore	500.00	105.25	605.25
11.	Nagaland	Nil	117.00	117.00
12.	Orissa .	385.00	588.50	973.50
13.	Punjab .	200.00	45.00	245.00
14.	Rajasthan	365.00	186.75	551.75
15.	Tamil Nadu .	850.00	263.25	1113.25
16.	Uttar Pradesh . .	720.00	377.75	1097.75
17.	West Bengal	425.00	239.00	664.00

The details of the schemes under the State Sector and Centrally Sponsored Programmes.

A. State Sector Schemes : The shape and substance of schemes vary from State to State. However, broadly the schemes, which are designed and executed by the States, under this programme are as follows :

I. Education : (*i*) Pre-matric scholarships and stipends;
(*ii*) Exemption from tuition/examination fees;
(*iii*) Provision of educational equipments;
(*iv*) Provision of mid-day meals;
(*v*) Setting up of Ashram Schools;
(vi) Grants for the construction of school and hostel buildings.

II. Economic Development : (*i*) Provision of land and irrigation facilities;
(*ii*) Supply of bullocks, agricultural implements, seeds and manures ;
(*iii*) Development of cottage industries;
(*iv*) Co-operation;
(*v*) Development of communications;
(*vi*) Colonisation of shifting cultivators;
(*vii*) Supply of poultry, sheep, pigs, goats etc.

III. Health, Housing, and Others	(*i*) Medical facilities; (*ii*) Water supply schemes; (*iii*) Provision of houses and house-sites; (*iv*) Provision of legal aid; and (*v*) Grants to non-official agencies working at the State level;

B. Centrally Sponsored Programmes :

1. Post-Matric Scholarships.
2. Girls' Hostels.
3. Career Planning including Pre-examination coaching.
4. Tribal Development Blocks.
5. Cooperation including Marketing-cum-consumer Cooperatives and Forest Co-operative Societies.
6. Research, Training and Pilot Projects.
7. Improvement of working and living conditions of sweepers and scavengers, etc.
8. Welfare of Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Tribes.

[F. No. 9-48/70-SCT.II]

Amount ear-marked and Facilities provided for Welfare of Harijans of Muzaffar Nagar and Meerut (U.P.)

9319. Shri Bansh Narain Singh :
Shri Narayan Swaroop Sharma :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total amount sanctioned by Government in the Fourth Five Year Plan for the welfare of Harijans in Meerut and Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh;

(b) the details of the scheme in this regard;

(c) whether it is a fact that 90 per cent of the Harijans in the said Commissionary take their children along with them to the kilns where they work and thus they are unable to give education to their children;

(d) if so, whether Government propose to make arrangements for the education of the children of the Scheduled Castes under the Compulsory Primary Education Scheme; and

(e) whether Government propose to set up some cottage industries there for the Harijans so as to provide employment to the maximum number of Harijans in the factories and, if so, the details of the proposed scheme in this regard?

Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare [Dr. (Smt.) Phulrenu Guha] : (a) to (e). The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha as soon as available.

[F. No. 9/47/70-SCT. (II)]

Programme for uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Uttar Pradesh

9320. Shri Bansh Narain Singh :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narayan Swaroop Sharma :

Will the Minister of **Law and Social Welfare be** pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Uttar Pradesh could not get as much benefit as they ought to have got in the first three Five Year Plans;

(b) if so, whether Government have drawn up any special programme for the economic, social and educational development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Uttar Pradesh in the Fourth Five Year Plan so as to make up the deficiency of the first three plans in this regard; and

(c) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare [Dr. (Smt.) Phulrenu Guha] : (a) No, Sir. Scheduled Tribes were listed in Uttar Pradesh in 1967. However, schemes for their welfare were undertaken during the Second and Third Five Year Plans and an expenditure of Rs. 7·00 lakhs and over Rs. 100.00 lakhs was incurred respectively. Similarly for the welfare of Scheduled Castes there was increase in expenditure in each Plan period as indicated below:—

First Plan — Rs. 242.72 lakhs
Second Plan — Rs. 537.67 lakhs
Third Plan — Rs. 706.38 lakhs

(b) and (c) : In the Fourth Five Year Plan period a sum of Rs. 1745.80 lakhs will be spent on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as shown below:—

(Rs. in Lakhs)

	State Sector	Central Sector	Non-Plan (Post-matric)	Total
Scheduled Castes	598.50	240.30	767.00	1605.80
Scheduled Tribes . .	71.50	62.45	6.05	140.00
		GRAND TOTAL		1745.80

A statement showing the schemes to be undertaken in the Fourth Plan is attached. [*Placed in the Library, See L.T. No. 3478/70*].

Allocation for Welfare of Harijans of Meerut (U.P.) in Fourth Five Year Plan

9321. Shri Bansh Narain Singh :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total amount sanctioned by Government in the Fourth Five Year Plan for the welfare of the Harijans of the Meerut Commissionary, Uttar Pradesh;

(b) whether it is a fact that the economic and social condition of the Harijans and educational facilities provided to them have not improved to the extent it was necessary during the last three Five Year Plans; and

(c) the details of the scheme chalked out for improving the lost of the Harijans of the Meerut Commissionary during the Fourth Five Year Plan?

Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare [Dr. (Smt.) Phulrenu Guha] : (a), (b) and (c) : The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha as soon as available.

फर्मों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

9322. **श्री सूरज भान :**
श्री शारदानन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है; और

(ख) औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य वभाग ने इनमें से प्रत्येक मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए कब भेजा और किस आधार पर ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय की प्रेरणा पर, केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच-पड़ताल के अन्तर्गत कम्पनियों की बाबत, अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशनों के पास सड़कों की देखभाल

9293. **श्री बलराज मधोक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सड़कें हज़रत निजामुद्दीन और दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशनों के निकट रेलवे भूमि में से गुजरती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम पर नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उचित मुरम्मत आदि के द्वारा उनको ठीक रखने के सम्बन्ध में रेलवे अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा): (क) जी हां। एक निजामुद्दीन स्टेशन पर और तीन दिल्ली कैंट स्टेशन पर।

(ख) जी हां, लेकिन सड़क के केवल उसी हिस्से की जो रेलवे सीमा के अन्दर पड़ता है।

(ग) सड़कों का जो हिस्सा रेलवे सीमा के अन्दर पड़ता है, उसे अच्छी हालत में रखने के लिए नियमित रूप से मरम्मस की जाती है।

राज्यों में आर्थिक अराजकता से आन्तरिक व्यापार में बाधा

9324. **श्री बलराज मधोक** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारें अपनी औद्योगिक तथा व्यापार नीतियों में आर्थिक अराजकता की ओर बढ़ रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रवृत्ति से देश में आन्तरिक व्यापार के अबाध प्रवाह में अस्वाभाविक तथा अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस अलाभकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं । किन्तु कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य क्षेत्र में निर्मित उत्पादों को वरीयता दे रही हैं ।

(ख) और (ग) : इस मामले पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

भारतीय रेलवे में डीजल के इंजन चलाना

9326. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कोयले के स्थान पर डीजल के इंजन चलाने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई प्रस्ताव रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय प्रतिवर्ष कितने डीजल इंजन बनाये जाते हैं ; और

(घ) चौथी योजना में डीजल इंजन बनाने का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) रेलवे विकास कार्यक्रम में अधिक घनत्व वाले मार्गों पर उत्तरोत्तर डीजल कर्षण के प्रयोग की व्यवस्था की गई है । योजना के प्रारम्भ में भारतीय रेलों के 20,000 मार्ग किलोमीटर पर डीजल कर्षण का उपयोग हो रहा था । इस कार्यक्रम में योजना अवधि के दौरान 3000 मार्ग किलोमीटर की अतिरिक्त लम्बाई में डीजल कर्षण के विस्तार का विचार है, जिसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ग) 1969-70 में डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी ने मुख्य लाइन के लिए बड़ी लाइन के 58 और मीटर लाइन के 24 डीजल रेल इंजनों का और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने ने बड़ी लाइन के 31 डीजल शन्टरों का उत्पादन किया ।

(घ) आशा की जाती है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में दोनों कारखाने मिलकर मुख्य लाइन के लिए 430 बड़ी लाइन के, 218 मीटर लाइन के और 10 छोटी लाइन के डीजल रेल इंजनों और बड़ी लाइन के 160 डीजल शंटरों का उत्पादन करेंगे ।

दिल्ली और अम्बाला के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी की व्यवस्था

9327. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8.30 बजे और 1 बजे पानीपत से होकर जाने वाली दिल्ली और अम्बाला के बीच कोई डाक गाड़ी अथवा यात्री गाड़ी नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इतने समय के बाद 1 बजे वाली फ्लाइंग मेल में स्थान प्राप्त करने में यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिये उपयुक्त समय के बीच दिल्ली और अम्बाला के बीच एक अन्य गाड़ी चलाने के लिये यात्रियों ने कई बार सुझाव दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । नयी दिल्ली से 11–40 बजे छूटने वाली वातानुकूल पश्चिम एक्सप्रेस हफ्ते में पांच दिन फ्लाइंग मेल से छूटने से पहले उपलब्ध रहती है । फ्लाइंग मेल नयी दिल्ली से 12–50 बजे छूटती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) फिलहाल दिल्ली-अम्बाला खण्ड पर लाइन क्षमता की कमी के कारण कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक इकहरी लाइन वाला खण्ड है और इस खण्ड पर अधिकतम संख्या में गाड़ियां चल रही हैं ।

Female Employees working in Railway Ministry

9328. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of the female employees working on different posts in his Ministry, category-wise; and

(b) the highest post in his Ministry on which a female officer has been appointed ?

Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) There are 62 female employees working in the Ministry of Railways, category-wise position being as follows :—

Gazetted Posts

1. Assistant Economic Adviser	1
2. Senior Research Officer	1
3. Section Officer (Hindi)	1

Non-Gazetted (Class III)

1. Assistants . . .	10
2. Upper Division Clerks	2
3. Lower Division Clerks	26
4. Stenographers	3
5. Steno-Typists	5

6. Cipher Assistants . .	2
7. Cipher Operators .	2
8. Telephone Operators .	3
9. Receptionists . .	2

Class IV

1. Sweepers .	2
2. Cleaners .	2

(b) The highest post held by a female officer in the Ministry of Railways is that of Assistant Economic Adviser, Grade Rs. 1100—1400.

Factory in Rae-Bareli

9329. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether suggestions were received during the recent past for establishing some factories in Rae-Bareli District of Uttar Pradesh and if so, the details thereof;

(b) whether the survey work for establishing the factories on the above basis has already been completed by the officers but no work for establishing the factories has been started so far; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) : Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Stoppage of Howrah-Amritsar Mail at Bachhrawan station (Northern Railway)

9330. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some suggestions have been received by Government for providing a stoppage of the Howrah-Amritsar Mail at Bachhrawan station between Lucknow and Rae-Bareli stations of the Northern Railway;

(b) if so, the action taken thereon and if no action has been taken the reasons therefor; and

(c) whether a stoppage of the mail train will be provided at the above station so that the time of the people may be saved by travelling by this fast running train ?

Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The stoppage of 5Up/6Dn Howrah-Amritsar Mail at Bachhrawan is not justified having regard to the meagre offering of long distance traffic at this station.

दक्षिण भारत में प्रस्तावित कारखानों के लिये भारी इंजीनियरी निगम की मशीनरी

9331. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरी निगम, रांची दक्षिण भारत में प्रस्तावित तीन इस्पात कारखाने के लिये मशीनरी की सप्लाई नहीं कर सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन तीन कारखानों की आवश्यकता पूरी करने के लिये इस निगम के उत्पादन कार्यक्रम में विविधता लाने का विचार है ; और

(ग) इस मशीनरी की कब तक आवश्यकता पड़ेगी और भारी इंजीनियरी निगम उसे कब तक उपलब्ध कर सकेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ये ब्योरे अभी तैयार किये जाने हैं । भारी इंजीनियरी निगम ऐसे साज-सामान की सूची तैयार करेगा जिसका वह नये इस्पात कारखानों के लिए निर्माण कर सकेगा और अपनी क्षमता और वचन वद्धता को देखते हुए उत्पादन कार्यक्रम तैयार करेगा । इस्पात कारखानों के निर्माण कार्यक्रम को अन्तिम रूप देते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा ।

बड़ौदा हाउस (उत्तर रेलवे) में कम्प्यूटरों का विभागीय चुनाव

9392. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

श्री विद्याधर वाजपेयी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1969 को बड़ौदा हाउस में कार्यालय के समय में कम्प्यूटर के पद के लिए एक विभागीय चयन किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिस कमरे में चयन किया गया था वह बड़ा नहीं था तथा वह नियमित कर्मचारियों से पूरी तरह से भरा हुआ था;

(ग) क्या यह भी सच है कि नियमित कर्मचारियों तथा परीक्षार्थियों को काम करने तथा परीक्षापत्र हल करने को एक ही मेज पर बिठाया गया था तथा नियमित कर्मचारी निरीक्षकों की हिदायतों पर अपने सहयोगियों की सहायता कर रहे थे;

(घ) क्या एक को छोड़ कर शेष सभी कर्मचारी जिन्हें लिखित परीक्षा में अर्ह घोषित किया गया है, ड्राइंग आफिस के हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन अनियमितताओं को विनियमित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे में अधिकारियों के अस्थायी पदों की अवधि

9333. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री 24 मार्च, 1970 के रेलवे के अधिकारियों के वरीयता के निर्धारण के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 3965 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 'नितांत अस्थाई पदों' की अवधि क्या है जिन पर तथाकथित अस्थाई अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ;

(ख) क्या इस बात की सम्भावना है कि तथाकथित अस्थाई पद तीस वर्ष की अवधि तक भी बने रह सकते हैं जोकि सरकारी अधिकारियों की सेवा-अवधि का सामान्य काल है ; और

(ग) यदि हां, तो अस्थायी अधिकारियों की क्या स्थिति होगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अस्थायी पदों की नियुक्ति किसी विशिष्ट पदों के लिए नहीं की गई थी । वास्तव में, उनकी नियुक्ति उन अस्थायी पदों को पूरा करने के लिए की गई है जिनकी मंजूरी समय-समय पर नई परियोजनाएं बनाने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी गई थी ।

(ख) ऐसे अस्थायी पद, जोकि विशिष्ट परियोजना या आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, केवल उसी समय तक रहते हैं जब तक परियोजना आदि का कार्य, जिसके लिए इन पदों की मंजूरी दी गई थी, समाप्त नहीं हो जाता । ये अस्थायी पद आवश्यक रूप से थोड़ी अवधि के लिए हैं ।

(ग) प्रथम श्रेणी की सेवाओं के लिए रखे गए रिक्त स्थानों के वार्षिक कोटे में से अस्थायी अधिकारियों को स्थायी पदों पर नियुक्ति करने के योग्य समझा जाता है । वे 700–1250 रुपये के उच्च वेतनमान पाने के अधिकारी हैं ।

श्री ज्योति बसु के लिये कलकत्ता से पटना तक की यात्रा के लिए आरक्षण

9334. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1970 को जब श्री ज्योति बसु ने कलकत्ता से पटना तक की यात्रा की तो आरक्षण केवल उन्हीं के लिए था अथवा उनके परिवार और/या मित्रों के लिए भी ; और

(ख) उनके साथ कितने व्यक्तियों ने यात्रा की ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : 31-3-1970 को नहीं, बल्कि 30-3-1970 को हावड़ा से चलने वाली 11 अप हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी के चार शायिकाओं वाले डिब्बे में पहले दर्जे की एक निचली शायिका हावड़ा से पटना तक श्री ज्योति बसु के लिए आरक्षित की गयी थी । श्री वसु के अलावा उसी डिब्बे में हावड़ा से तीन अन्य यात्रियों का भी आरक्षण था । श्री ज्योति बसु की ओर से आरक्षण की मांग केवल अपने ही लिये थी ।

थाना बिहपुर से कटिहार (पूर्वोत्तर रेलवे) तक यात्री गाड़ी चलाना

9335. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिदिन कटिहार जाने वाले बहुत से यात्रियों की सुविधा के लिये थाना बिहपुर से कटिहार (पूर्वोत्तर रेलवे) तक प्रातः और कटिहार से थाना बिहपुर तक सायं एक यात्री गाड़ी चालू करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) थाना बिहपुर और कटिहार खण्ड पर लाइन क्षमता की कमी के कारण अतिरिक्त गाड़ी चलाना सम्भव नहीं हो सका है, विशेष रूप से कढ़ा गोला रोड—कटरा इकहरी लाइन खण्ड पर क्षमता की कमी है क्योंकि असम, पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र आदि के सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों से सम्बद्ध पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से आने-जाने वाले यातायात के लिए इस खण्ड का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है ।

कटिहार में डी० एस० कालिज को वार्षिक अनुदान

9336. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे गौहाटी स्थित एक कालिज को इस आधार पर वार्षिक अनुदान देती है कि उसमें रेलवे कर्मचारियों के बहुत-से बच्चे पढ़ते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे कटिहार स्थित डी० एस० कालिज को जिसमें रेलवे कर्मचारियों के बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार की सहायता देने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

श्री ज्योति बसु के लिये पटना स्टेशन पर की गई सुरक्षा व्यवस्था

9337. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **रेलवे** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 को जब श्री ज्योति बसु पटना पहुंचे, तो वह किस श्रेणी में यात्रा कर रहे थे ;

(ख) क्या गाड़ी वहां ठीक समय पर पहुंची थी अथवा देरी से ;

(ग) क्या घटना रेलवे परिसर में हुई थी अथवा उसके बाहर ; और

(घ) क्या रेलवे पुलिस को श्री ज्योति बसु के आगमन के बारे में जानकारी प्राप्त थी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुरक्षा उपाय किये गये थे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) पहले दर्जे में ।

(ख) गाड़ी 13 मिनट देर से पहुंची ।

(ग) रेलवे परिसर में ।

(घ) जी नहीं ।

Nomination of Members to D.R.U.C.C. (Railway Users' Committee), Kota Division

9338. **Shri Sharda Nand :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are some such members in the D.R.U.C.C. (Railway Users' Committee) Kota Division who had no connection with the Kota Division;

(b) whether it is also a fact that some members live in Calcutta and Kanpur and there are corruption charges against some others and yet they have been nominated as members to enable them to have all the facilities as members of the said Committee; and

(c) the benefit which the Railway Board will get by selecting such members ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) On the Divisional Railway Users' Consultative Committee, Kota, there are two Members of Parliament whose places of residence are at Bombay and Calcutta. These Members have been nominated by the Minister for Parliamentary Affairs to represent the Parliament.

One member is such against whom it was complained that he misused the card pass issued to him in the year 1965 in his capacity of his being the Member of the Zonal Railway Users' Consultative Committee of the Western Railway. This member has been given representation on the Divisional Railway Users' Consultative Committee, Kota Division.

(c) So far as Members of Parliament are concerned, their nomination is made keeping in view the general background of all Railways as a whole. As regards the other member, the benefit expected is on account of the zeal and interest with which the member engages himself in public work.

रांची के भारी इंजीनियरिंग निगम में तालाबन्दी

9339. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में भारी इंजीनियरिंग निगम के विभिन्न एककों में तालाबन्दी हो गई है ;

(ख) तालाबन्दी के कारण कितने एककों पर कुप्रभाव पड़ा है ;

(ग) तालाबन्दी के क्या कारण हैं ;

(घ) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक एकक में कितने उत्पादन का घाटा हुआ है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रवैया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं । सहायक उद्योग एककों में, जो भारी इंजीनियरी निगम के अंग नहीं हैं और जिनका सम्बन्ध राज्य सरकार से है, तालाबन्दी की गई है ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते ।

नये इस्पात कारखानों के लिए तकनीकी कर्मचारी

9340. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में तीन इस्पात कारखाने स्थापित करने से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त रोजगार-क्षमता का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्तियों का विभिन्न श्रेणीवार ब्यौरा क्या है तथा उनकी भर्ती किस एजेंसी के माध्यम से की जायेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख)। प्रस्तावित नये इस्पात कारखानों की स्थापना से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त रोजगार-क्षमता का मूल्यांकन प्रत्येक कारखाने के विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन में किया जाएगा। यह कार्य जल्दी ही हाथ में लिया जायेगा।

राष्ट्रीयकरण की आशंका से उद्योग की धीमी प्रगति

9341. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी न किसी उद्योग को राष्ट्रीयकृत किये जाने की सतत आशंका के कारण देश में उद्योग की प्रगति में बाधा आ रही है;

(ख) क्या उद्योग प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया है कि उद्योग राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर केवल राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिये और उद्योग की प्रगति में बाधा डालने तथा औद्योगिक क्षेत्र में नये व्यक्तियों द्वारा धन लगाने को रोकने के लिये राष्ट्रीयकरण की बार-बार चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग)। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर प्रतिनिधि हितों द्वारा अनेक विचार प्रकट किए गये हैं। सरकार की औद्योगिक नीति, ऐसे पुनर्नवीकरण को जो औद्योगिक लाइसेंस नीति में हाल में किये गये परिवर्तनों के अनुसार हुआ है तथा सरकारी क्षेत्र के महत्त्व को बढ़ाने की सरकार की इच्छा को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अनुसार, बनाई जाती है। किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर इससे सम्बन्धित तथ्यों तथा परिस्थितियों के सन्दर्भ में ही विचार करना होता है।

Electric train from Amritsar to Delhi *via* Saharanpur

*9342. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a long term scheme to run electric trains from Amritsar to Delhi *via* Saharanpur and if so, when the scheme will be implemented; and

(b) the time by which the track between Saharanpur and Ghaziabad would be doubled keeping the above fact in view ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) There is no proposal to double the line at present.

अजमेर तथा दिल्ली (पश्चिम रेलवे) के लेखा विभागों में सब-हैडों के पदों की प्रतिशतता

9343. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर तथा दिल्ली में पश्चिम रेलवे के लेखा विभागों के विभिन्न कार्यालयों में सब-हैडों के कितने प्रतिशत पद हैं;

(ख) क्या वर्तमान प्रतिशतता उपरोक्त सभी कार्यालयों में समान है तथा क्या यह शंकर सरन समिति के सरकार द्वारा स्वीकृत रूप में पंचाट के अनुसार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस कमी को कब दूर करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :(क) से (ग)। शंकर सरन तदर्थ अधिकरण ने लेखा विभाग के लिए 210–380 रु० (अधिकृत वेतनमान) में सब-हैड के पद सृजित करने के लिए किसी प्रतिशत की सिफारिश नही की थी ।

यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर के ग्रेड I की क्लर्कों की पदोन्नति के लिये रेलवे बोर्ड के आदेशों का कार्यान्वित किया जाना

9344. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई० (एन०जी०)69/पी० एम० आई०/20 दिनांक 25 जुलाई, 1969 में निहित पदोन्नति के लाभ को उन सभी कर्मचारियों के लिये पूरी तरह लागू कर दिया गया है जिन्होंने एक बार ऊंचे ग्रेड में अर्थात् क्लर्क ग्रेड I, विशेषकर यातायात लेखा कार्यालय अजमेर के सम्बन्ध में पदों पर लगातार तीन वर्ष की अवधि से अधिक तक काम किया था;

(ख) यदि कर्मचारियों की लगातार तीन वर्षों तक कोई पदोन्नतियां हुई हैं तो उसका ब्यौरा क्या है और जिन पर उपर्युक्त पत्र का प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को जिन्हें लेखा उप-मुख्य अधिकारी (टी० ए०) अजमेर ने उपरोक्त भाग (ख) में लिखित कारण से उपर्युक्त पत्र का लाभ नहीं दिया था अब पदोन्नत करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) (i) अजमेर के यातायात लेखा कार्यालय में सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी नियमित लाइन में निरन्तर तीन वर्षों से अधिक समय तक स्थानापन्न क्लर्क ग्रेड-I के रूप में काम किया था, पदोन्नति का लाभ दिया गया है ।

(ii) रेलों के लेखा विभाग में इन आदेशों के कार्यान्वयन के विषय में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख)(i)(क) अजमेर, यातायात लेखा कार्यालय में वे कर्मचारी जो वरिष्ठता का नियतन गलत होने के कारण भूल से क्लर्क ग्रेड-I के रूप में पदोन्नत किये गये थे और बाद में वरिष्ठता के सही नियतन के फलस्वरूप पदावनत किये गये थे ।

(i)(ख) वे कर्मचारी जिन्होंने निर्माण/प्रायोजना या अपनी नियमित लाइन के बाहर स्थानापन्न क्लर्क ग्रेड-I के रूप में काम किया था ।

(ii) अन्य रेलों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ)। जी नहीं । वर्तमान नियमों के अन्तर्गत ये कर्मचारी क्लर्क ग्रेड-I के रूप में पदोन्नति का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं ।

पश्चिम रेलवे के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की वरीयता के मामले में समय-सीमा सम्बन्धी विनियमों का पालन न किया जाना

9345. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी श्रेणी के अराजपत्रित कर्मचारियों की आरम्भिक वर्ग।संवर्ग में निर्धारित वरीयता को किस समय सीमा के अन्तर्गत परिवर्तन किया जा सकता है;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय द्वारा इस समय सीमा का यथा संशोधित रूप में पालन किया गया है; और

(ग) क्या पश्चिम रेलवे सिब्बन्दी पुस्तिका में निर्धारित समय सीमा सम्बन्धी विनियमों में परिवर्तन अधिकृत रूप से किया गया है, यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) ऐसी कोई समय सीमा नहीं है ?

(ख) और (ग)। सवाल नहीं उठता ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन में कमी

9346. श्री जय सिंह :

श्री हरदयाल देवगुण :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले वर्षों की तुलना में वर्ष 1969-70 में गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान किसी ऐसी कठिनाई की ओर दिलाया गया है जिसके कारण उत्पादन में कमी हुई है ; और यदि हां, तो वे कठिनाइयां किस प्रकार की हैं; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० का विक्रेय इस्पात का उत्पादन वर्ष 1968-69 के 1.465 मिलियन टन से घट कर वर्ष 1969-70 में 1.440 मिलियन टन रह गया । इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० का विक्रेय इस्पात का उत्पादन वर्ष 1968-69 के 0.656 मिलियन टन से घट कर वर्ष 1969-70 में 0.568 टन रह गया ।

(ख) टिस्को के उत्पादन में गिरावट का कारण कोक भट्ठियों को मरम्मत के लिये बन्द करना था और इस्को में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न थे ।

(ग) सरकार इस्पात कारखानों की समस्याओं के प्रति जागरूक है ।

(घ) यद्यपि सरकार सभी प्रकार की उचित सहायता जो उससे अपेक्षित है देने को तैयार है, फिर भी उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित सभी कठिनाइयों का सामना करना इस्पात कारखानों का अपना काम है ।

साम्प्रदायिक दंगों में क्षतिग्रस्त हुई अहमदाबाद की मस्जिद की मरम्मत

9347. श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वक्फ परिषद् ने केन्द्र सरकार तथा गुजरात सरकार से गत वर्ष अहमदाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई मस्जिदों की मरम्मत कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सरकार की नीति क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख)। 11-4-70 को हुई केन्द्रीय वक्फ परिषद् की बैठक में ऐसा अनुरोध करने का निर्णय किया गया था परन्तु वस्तुतः अभी तक ऐसा अनुरोध नहीं किया गया है ।

(ग) कानून और व्यवस्था का प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित है । कानून और व्यवस्था को तोड़ने से सम्बन्धित निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं और उन्हें लागू करना भी उन्हीं का काम है । क्षतिग्रस्त मस्जिदों की मरम्मत राज्य सरकार अथवा विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा की गई है । केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध प्रायः उन स्थानों से होता है जिनका पुरातत्त्वीय या ऐतिहासिक महत्त्व है ।

इस्पात का उत्पादन

9348. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री गाडिलिंगन गौड :

श्री एस० आर० दामानी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात की बढ़ती हुई आवश्यकता और पड़ोसी देशों में भारी मांग पूरा करना कठिन दिखाई देता है;

(ख) क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि इस का मुख्य कारण कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग न किया जाना है अथवा इसके अन्य क्या कारण हैं; और

(ग) देश में इस्पात का उपयोग करने वाले कुछ उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए इस वर्ष कितने इस्पात का आयात किया जाना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) कमी का एक कारण यह है कि कुछ इस्पात कारखाने अपनी निश्चित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं । मंदी के पश्चात् मांग में उछाल और देश के आर्थिक कार्यक्रम में तेजी भी कमी के कारण बने हैं ।

(ग) आयात की आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अनुमान लगाने से पहले ही कार्यवाही की जा रही है । इंजीनियरी सामान के निर्यात क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान लि० ने 34,000 टन दुर्लभ किस्म के इस्पात के आयात के लिये पहला आर्डर दे दिया है और माल आना भी शुरू हो गया है । इंजीनियरी-निर्यात-उद्योग और लघु उद्योग क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिये भी उन्हें 11.5 करोड़ रुपये के मूल्य का इस्पात आयात करने की स्वीकृति दे दी गई है । विभिन्न वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये गये दुर्लभ किस्म के इस्पात के आयात-लाइसेंस के मूल्य भी बढ़ा दिये गये हैं जिससे वे अधिक मात्रा में माल का आयात कर सकें ।

संकेत तथा दूर संचार विभाग में छुट्टी रिजर्व तथा विश्राम देने वाले कर्मचारी

9349. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में संकेत तथा दूर संचार विभाग में रेलवे प्रशासन उचित संख्या में छुट्टी रिजर्व तथा विश्राम देने वाले कर्मचारी रख नहीं सका, उदाहरणार्थ सिगनल इन्सपैक्टर (पूर्वोत्तर रेलवे) दिल्ली के अधीन 101 खलासियों के लिये केवल 6 छुट्टी रिजर्व कर्मचारी तथा एक विश्राम देने वाला कर्मचारी रखा गया है जो रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित संख्या से बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को समय पर साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिल पाती;

(ख) क्या सभी भारतीय रेलों की संकेत तथा दूर संचार कर्मचारियों के लिये छुट्टी रिजर्व और विश्राम देने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी ही स्थिति है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में प्रशासन का क्या और कब कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क), (ख) और (ग)। सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

संघों के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों की स्वीकृति

9350. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के प्राधिकारियों ने रेलवे दुर्घटना जांच समिति, 1968 द्वारा संघों के पदाधिकारियों के बारे में प्रतिवेदन के भाग II के पैरा 25 में की गई सिफारिश को सिद्धांतरूप में स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण भारतीय रेलवे में कोई ऐसी कर्मचारी संस्था अथवा संघ है जिसके नेता रेलवे के कर्मचारी हैं तथा बाहर का कोई व्यक्ति उसका पदाधिकारी नहीं है; और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन ने उनकी अपनी नीति को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग)। रिपोर्ट के जिस पैरा का जिक्र किया गया है उसमें समिति का केवल यह विचार व्यक्त किया गया है कि वास्तविक नेतृत्व, जिसमें रेलवे ट्रेड यूनियनों के सभी पदाधिकारी शामिल हैं स्वयं रेल कर्मचारियों का होना चाहिये और समिति ने इस बात को ध्यान

में रखते हुए इस पहलू पर आगे कोई निश्चित सिफारिश नहीं की कि श्रमिकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग ने विस्तृत सन्दर्भ में इस समस्या पर विचार करके अपने मुख्य निष्कर्षों एवं सिफारिशों के पैरा 132(क) में कहा था कि यूनियनों की कार्यकारिणी में गैर-कर्मचारियों द्वारा किसी पद को ग्रहण करने पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिए । इसे देखते हुए यूनियनों की मान्यता के विषय में वर्तमान नीति में परिवर्तन आवश्यक नहीं है, हालांकि सरकार की सदैव ही यह इच्छा रही है कि रेलवे ट्रेड यूनियनों के कार्यों का प्रबन्ध स्वयं रेल कर्मचारियों द्वारा किया जाये ।

इलैक्ट्रिकल सिग्नल मेनटेनर्स/मैकेनिकल सिग्नल मेनटेनर्स के सम्बन्ध में रोजगार के घंटे सम्बबन्धी विनियमों की क्रियान्विति

9351. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 26/27 सितम्बर, 1969 के पत्र संख्या ई०(एस०डब्ल्यू०8') 66/एच०ओ०ई०आर०/28 में जारी की गई हिदायतों पर रेलवे रोजगार के घंटे सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत उत्तर रेलवे में तथा अखिल भारतीय रेलवे में 175–240 रुपये के वेतनमान में इलैक्ट्रिकल सिग्नल मेनटेनर्स/मैकेनिकल सिग्नल मेनटेनर्स के कितने पदों का वर्गीकरण किया गया है;

(ख) उपरोक्त वर्गों के लिये भारतीय रेलवे में सभी वर्तमान पदों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड की उक्त हिदायतों की क्रियान्विति में कितना समय लगा; और

(ग) वर्तमान गलत वर्गीकरण के कारण इलैक्ट्रिकल सिग्नल मेनटेनर्स/मैकेनिकल सिग्नल मेनटेनर्स के वर्गों को राहत देने के लिये रेलवे अधिकारी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क), (ख) और (ग)। कुछ रेलों पर 175–240 रु० ग्रेड के बिजली सिग्नल अनुरक्षकों/यांत्रिक सिग्नल अनुरक्षकों का जो वर्गीकरण कार्य घंटा विनियमों के अन्तर्गत पहले से नियत है वह रेलवे बोर्ड के ता० 26/27-9-69 के पत्र सं० ई०(एल०डब्ल्यू०ए०)66/एच० ई०आर०/28 द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार है, जबकि अन्य रेलों पर कर्मचारियों की उपर्युक्त कोटियों के कार्यभार का विश्लेषण पूरा करने के लिये पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि जहां-कहीं औचित्य हो, पुनर्वर्गीकरण किया ज़ा सके । चूंकि यह एक भारी भरकम काम है इसलिए इसमें कुछ समय लगना अनिवार्य है ।

ट्रेन्स क्लर्कों में पदों का दर्जा बढ़ाने की प्रतिशतता में वृद्धि

9352. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय ट्रेन्स क्लर्क संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई ट्रेन्स क्लर्कों की इन मांगों का पता है कि उनके पदों का दर्जा बढ़ाने का अनुपात 4 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाये, उन्हें "सी" ग्रेड के गार्डों पद पर नियुक्त किया जाये, यातायात सम्बन्धी सभी पदों के लिये चयन तथा पदोन्नति का पात्र माना जाये, उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जाये आदि; और

(ख) यदि हां, तो इन मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण (अनुबन्ध क) संलग्न है जिसमें गाड़ी क्लर्कों की मुख्य मांगें और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया बताई गई है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3479/70).

मानसी स्टेशन के चार्जमैन के विरुद्ध रेलवे सम्पत्ति (पूर्वोत्तर रेलवे) की चोरी का मामला

9353. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के मानसी स्टेशन में एक चार्जमैन के विरुद्ध रेलवे सम्पत्ति की चोरी के मामले की रेलवे पुलिस दल के एक निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) क्या इस चार्जमैन को अभी तक निलम्बित अथवा स्थानान्तरित नहीं किया गया है और दूसरी ओर एक खलासी की बदली की गई है जिससे जांच में बाधा पड़ती है क्योंकि उपरोक्त खलासी चोरी के इस मामले में पुलिस की ओर से एक गवाह है; और

(ग) यदि हां, तो क्या जब तक यह मामला पूरी तरह से निपटाया नहीं जाता, उपरोक्त चार्जमैन को निलम्बित करने तथा खलासी के स्थानान्तरण आदेश को रद्द करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :(क) जी हां ।

(ख) जांच अभी हो रही है । ऐसी स्थिति में चार्जमैन को निलम्बित।स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता । खलासी को अन्य कारणों से स्थानान्तरित किया गया था ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के सिग्नल विभाग के सहायक स्टेशन मास्टर का स्थानान्तरण

9354. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर (सिग्नल विभाग) के सहायक स्टेशन मास्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कई शिकायतें की गई थीं जिसमें कर्मचारियों को मारपीट सम्बन्धी मुकदमेबाजी आदि भी सम्मिलित हैं;

(ख) क्या गत वर्ष समस्तीपुर के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उस अधिकारी के स्थानान्तरण के आदेश दिये थे किन्तु अभी तक वह किसी तरह स्थानान्तरित किये जाने से बचा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) समस्तीपुर के किसी सिग्नल कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं मिली है । लेकिन, समस्तीपुर के मण्डल अधीक्षक को 30-3-1970 को एक अभ्यावेदन मिला था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि दो बिजली सिग्नल अनुरक्षकों (न कि सहायक स्टेशन मास्टरों) ने एक ट्रालीमैन और एक खलासी को मारा पीटा है । इसकी जांच की जा रही है । लेकिन, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी पक्ष द्वारा कोई मुकदमेबाज़ी शुरू हो गई है ।

(ख) और (ग)। मण्डल सिग्नल और दूर-संचार इंजीनियर ने समस्तीपुर जंक्शन के एक बिजली सिग्नल अनुरक्षक को मई, 1969 में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया था, लेकिन उक्त कर्मचारी के अभ्यावेदन पर करुणामूलक आधार पर जुलाई, 1969 में आदेश रद्द कर दिया गया ।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड दरभंगा को पुनः चालू करना

9355. श्री भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री अशोक पेपर मिल्स दरभंगा को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में 14 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न सं० 6317 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उस प्रश्न के उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ली गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) कागज कारखाने को आसाम में ले जाने तथा स्थापित करने में $1\frac{1}{2}$ वर्ष से 2 वर्ष की देरी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार है कि वर्तमान स्थापित कारखाने में आयातित लुगदी से कागज का उत्पादन आरम्भ कर दिया जाय तथा आसाम को केवल लुगदी की मशीन ले जाई जाय; और

(ग) यदि नहीं, तो आयातित लुगदी से चार महीनों की अवधि में कागज का उत्पादन आरम्भ न होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । बिहार सरकार ने सूचित किया है कि कुछ विधायकों तथा संसद् सदस्यों ने दरभंगा में हाल ही में हुई बैठक में अपना रोष व्यक्त किया है और वे मशीनों को हटाये जाने के विरुद्ध हैं । बिहार सरकार ने आगे यह सूचना भी दी है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के पग उठाये जा चुके हैं और नया निदेशक मण्डल गठित किया जा चुका है ।

(ख) तथा (ग)। अशोक पेपर मिल्स के पुनःस्थापन का प्रश्न बिहार सरकार से सम्बन्धित है और वह आसाम सरकार के सहयोग से कर रही है । दोनों राज्य सरकारों में से किसी से भी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Law suit filed by a Guard of Saharsa for recovery of outstanding dues from Railways

9356. Shri Gunanand Thakur : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some employees of the North Eastern Railway had applied to the Zonal Officer, Saharsa (North Eastern Railway) for the payment of amount due, after being dejected from the Administration;

(b) whether it is also a fact that a Guard of Saharsa has filed a suit in the Court of Munsif of Saharsa for the recovery of outstanding dues; and consequently the Railways are required to spend thousands of rupees in the court proceedings due to the fault of the Railway employees in delaying the payments due;

(c) whether it will not be justified if the loss to the Railways is borne by the defaulting employees; and

(d) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Supply of winter uniforms to Gangmen under P.W.I. Saharsa (North Eastern Railway)

*9357. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than fifty per cent gangmen working under the Permanent Way Inspector, Saharsa in the Samastipur Division of the North Eastern Railway have not been given winter uniforms for the last many years though they are entitled to get them; and

(b) if so, the action Government propose to take in this regard ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) Does not arise.

भद्रावती इस्पात परियोजना का लाभ

9358. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रावती इस्पात परियोजना को भविष्य में लाभ होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसे कितना लाभ होने की संभावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) । जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

लुधियाना-अम्बाला लाइन में मालडिब्बों में आग

9359. **श्री गाडिलिंगन गौड :**

श्री चेंगलराय नायडू :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अप्रैल, 1970 को लुधियाना-अम्बाला लाइन में मालडिब्बों में लगी आग के मामले में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में रेलवे को लगभग कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) । 14-4-70 को ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई । लेकिन 13-4-70 को उत्तर रेलवे के लुधियाना-अम्बाला कट खण्ड पर, लुधियाना और ढंडारी कलां स्टेशनों के बीच मालगाड़ी नं० डी 24 डाउन के दो खुले मालडिब्बों में, जिनमें भाबर घास लदी हुई थी, आग लग गयी । प्रत्यक्षत: आग एक सिगरेट के टुकड़े से लगी थी जिसे किसी ने लापरवाही से गाड़ी के पुल के नीचे से गुज़रते समय, फैंक दिया था । रेल सम्पत्ति को कोई हानि नहीं हुई ।

जांच आयोग द्वारा की गई जांच के विरुद्ध बिड़ला बन्धुओं का अभ्यावेदन

9360. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा सम्वाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला फर्मों ने सरकार को जांच आयोग द्वारा उनके विरुद्ध जांच न किये जाने के लिये अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोका-कोला उत्पादन करने वाली कम्पनी का राष्ट्रीयकरण

9361. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत कोका-कोला का उत्पादन करने वाली कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) । जी, नहीं ।

(ग) इस समय सरकार देश की कोका-कोला उत्पादन करने वाली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में अधिक औचित्य नहीं समझती ।

रेलवे अधिकारियों तथा रेलवे में उप-मुख्य-लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य कर रहे भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण डिब्बों का प्रयोग

9362. श्री लोबो प्रभु : क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे सैलूनों को प्रयोग करने वाले रेलवे अधिकारियों को पूरे यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के दिये जाने के बारे में 7 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 864 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यय में मितव्ययता को सुनिश्चित करने तथा यात्रा करने वाले लोगों के लिए अधिक स्थान की व्यवस्था करने की वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप रेलवे अधिकारियों तथा रेलवे में उप-मुख्य लेखा परीक्षकों/मुख्य लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य कर रहे भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण डिब्बों का प्रयोग किये जाने के मामले पर पुनर्विचार का क्या परिणाम निकला है;

(ख) रेलवे अधिकारियों के कौन-कौन से वर्ग ड्यूटी पर यात्रा करते समय तथा प्रथम दर्जे और वातानुकूलित कोच के किरायों के अन्तर का भुगतान कर वातानुकूलित कोचों में यात्रा करने के हकदार हैं और उनको यह सुविधा दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सम्बन्धित नियमों अथवा इस सम्बन्ध में स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात् रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों की, जो कि अभी भी लागू है, एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 'क') ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3480/70)

(ख) केवल प्रशासकीय ओहदे वाले अधिकारी ही ड्यूटी पर वातानुकूल दर्जे में मुफ्त यात्रा करने के पात्र हैं । अन्य अधिकारी ड्यूटी पर, यदि वे चाहें, तो पहले दर्जे और वातानुकूल दर्जे के किरायों के बीच के अन्तर के $\frac{1}{3}$ हिस्से का भुगतान करके वातानुकूल दर्जे में यात्रा कर सकते हैं । जो यात्राएं ड्यूटी से सम्बन्धित

नहीं होतीं, उनके लिए सभी अधिकारियों को, यदि वे वातानुकूल दर्जे में यात्रा करना चाहते हैं तो, इस निर्धारित अन्तर का भुगतान करना पड़ता है।

1-4-1955 से भारतीय रेलों में पहले दर्जे के पुराने डिब्बों को हटा देने के फलस्वरूप पुराने दूसरे दर्जे के डिब्बों को वर्तमान पहले दर्जे के डिब्बों के रूप में फिर से वर्गीकृत कर दिया गया और पुराने पहले दर्जे और वातानुकूल दर्जे के किरायों के बीच के अन्तर की अपेक्षा वर्तमान पहले दर्जे और वातानुकूल दर्जे के किरायों के बीच का अन्तर अधिक हो गया।

(ग) इस समय स्वतंत्रता के पूर्व जारी किये गये आदेश की प्रतिलिपि अब उपलब्ध नहीं है। इस समय जो आदेश लागू हैं, उनकी प्रतिलिपियां संलग्न हैं (अनुबन्ध 'ख' और 'ग')।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3480/70).

Measures to Eradicate Casteism

9363. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Tamil Nadu Government have given encouragement to inter-caste marriages in order to eradicate casteism from that State;

(b) whether Government propose to ask other State Governments to take proper steps in the direction of removing casteism from their States;

(c) if so, the manner in which this proposal will be implemented; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. Smt. Phulrenu Guha) : (a) Yes.

(b) to (d). Some other State Governments have also introduced financial and other incentives to encourage inter-caste marriages. State Governments are already seized of this problem regarding the removal of untouchability.

दिल्ली जाने वाली अपर इंडिया एक्सप्रेस के इंजिन तथा एक डिब्बे का दिलदार नगर तथा मुगलसराय (पूर्व रेलवे) के बीच पटरी से उतर जाना

9365. श्री वि० नरसिम्हाराव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से दिल्ली आने वाली अपर इण्डिया एक्सप्रेस का इंजिन तथा एक कोच 15 मार्च, 1970 को पूर्व रेलवे के दिलदार नगर तथा मुगलसराय स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :(क) 15-3-70 को 13 अप अपर इण्डिया एक्सप्रेस गाड़ी का इंजिन से छठे नम्बर पर लगा तीसरे दर्जे का एक सवारी डिब्बा दिलदार नगर स्टेशन के अप मेन स्टार्टर सिगनल और एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल के बीच पटरी से उतर गया था। गाड़ी का इंजिन पटरी से नहीं उतरा था।

(ख) कोई हताहत नहीं हुआ ।

(ग) और (घ)। जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना उक्त सवारी डिब्बे में यांत्रिक खराबी के कारण हुई । इसके लिए उस गाड़ी परीक्षक को उत्तरदायी ठहराया गया है जिसने कुछ पहले इस सवारी डिब्बे की निर्धारित अनुरक्षण-मरम्मत की थी ।

नवद्वीप-कृष्णगढ़ रेलवे लाइन का बड़ी रेलवे लाइन बनाया जाना

9366. श्री देवेन सेन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार नवद्वीप तथा पड़ौसी क्षेत्रों हथकरघा उत्पादों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने तथा पड़ौस में वैष्णव धर्म के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा के इच्छुक तीर्थ-यात्रियों को परिवहन सुविधायें देने के लिये नवद्वीप तथा कृष्णगढ़ रेलवे लाइन को मीटर गेज लाइन से बड़ी रेलवे लाइन बनाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : नवद्वीप-कृष्ण नगर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

Purchase of Hand-made Paper and other Articles/Goods by Government

9367. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to State :

(a) the value of the hand-made paper purchased by the Central Government for its use during the last three years; and

(b) the names of the articles and goods which the Central Government purchase for their use from the Khadi and Village Industries Commission and from the institutions recognised by the Commission ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The information is furnished below :—

(Rs. lakhs

Year	Blotting paper	Bond paper	Total
1966-67	1.87	—	1.87
1967-68 . .	—	—	—
1968-69 .	1.06	1.65	2.71
1969-70	0.43	0.35	0.78

(b) Khadi, soap (from non-edible oils), matches and hand-made paper.

स्कूटरों के लिए बैंकों तथा डाकघरों के पास जमा जमानत की राशि

9368. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों तथा कारों की अग्रिम बुकिंग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को डाकघरों तथा बैंकों के पास जमा हुई कुल राशि कितनी थी;

(ख) क्या सम्भावी स्कूटर खरीदारों से इन खातों में जमा हुई कुल राशि स्कूटर बनाने का एक अन्य कारखाना स्थापित करने के लिये पर्याप्त है; और

(ग) 1968-69 और 1969-70 में सरकार को इन जमा खातों से कितना ब्याज प्राप्त हुआ ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 31 मार्च, 1970 तथा 31 दिसम्बर, 1969 को देश के विभिन्न डीलरों के पास कार तथा स्कूटर के लिये दर्ज आवेदनों की संख्या क्रमशः निम्न प्रकार है :—

स्कूटर	करीब 2,62,000 संख्या
कारें .	करीब 66,400 संख्या

स्कूटर (वितरण तथा विक्रय) नियन्त्रण अधिनियम 1960 के उपबन्धों के अधीन स्कूटर के लिये दिये जाने वाले प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ 250 रुपये डाकघर में जमा करने का प्रमाण भी लगाना पड़ता है उसी प्रकार मोटर कार (वितरण तथा विक्रय) नियन्त्रण आदेश 1959 के उपबन्धों के अधीन कार के लिये प्रत्येक क्रयादेश के साथ डाकघर में 2000 रुपये जमा करने का प्रमाण-पत्र देना पड़ता है। ऊपर लिखी तिथि तक डाकघर में इस मद में जमा की गई राशि करीब 20 करोड़ रुपये है।

(ख) जी हां।

(ग) जमाकर्त्ताओं को डाकघर बचत बैंक खाते पर $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। सरकार द्वारा इस राशि को 1968-69 तथा 1969-70 की अवधि में अन्यत्र नियोजन करके लगाये गये ब्याज के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

एकाधिकार तथा सीमित व्यापार कार्य प्रणाली अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आयोग की नियुक्ति

9369. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा सीमित व्यापार कार्य प्रणाली अधिनियम 1969 के अन्तर्गत प्रस्तावित आयोग कब तक कार्य करना आरम्भ करेगा;

(ख) इस सम्बन्ध में हाल में ही संसद् सदस्यों द्वारा की गई आलोचना की विभिन्न बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन-अली अहमद) : (क) तथा (ख)। संसद् के कुछ सदस्य एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की स्थापना में देरी के कारण जानना चाहते थे। सरकार की आकांक्षा थी कि यह अधिनियम जून 1970 से लागू किया जाय व अधिनियम के अन्तर्गत आयोग उसी तिथि से संस्थापित किया जाय।

उद्योगों की स्थापना में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का योगदान

9370. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने पिछले सोलह वर्षों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में मुख्य उद्योगों की स्थापना तथा उनकी क्रियान्विति में कोई महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है;

(ख) क्या सरकार इस निगम को बन्द करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग)। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० की स्थापना अक्तूबर 1954 में हुई थी और सरकार द्वारा स्वीकृत उसके कार्यों के अनुसार निगम के लिये मुख्य रूप से यह आवश्यक था कि वह गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में उद्योगों के संतुलित व एकीकृत विकास के लिये कार्य करे। उसका प्रथम उद्देश्य उद्योगों का विशेषकर ऐसे उद्योगों का विकास करना था जिनसे औद्योगिक ढांचे में विद्यमान कमियां दूर हो सकें तथा जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उत्तम प्रकार से प्रगति का समन्वय हो सके। अपने कार्यों को पूरा करने के लिये निगम सक्षम तकनीकी प्रबन्ध सम्बन्धी कर्मचारियों की एक सेना बनाने का प्रयत्न करेगा।

(2) ग्राइंडिंग मशीन टूल्स प्लांट (अब मशीन टूल कार्पोरेशन आफ इंडिया अजमेर)।

(3) मशीन डीजल इंजिन प्लांट रांची।

(4) रोजिन तथा तारपीन फैक्ट्री बिलासपुर।

(5) इंस्ट्रूमेंटेशन लि०. कोटा।

(6) कोर्वा अल्युमिना प्रोजेक्ट।

मिश्रित परियोजनाओं का डिजाइन बनाने तथा उन्हें चलाने के योग्य होने के लिए निगम को सक्षम, तकनीकी कर्मचारियों की एक सेना बनाकर आवश्यक क्षमता का विकास करना होता है। इन कर्मचारियों में अन्य कार्यों के साथ-साथ परामर्श देने का काम करने वाले कर्मचारी भी होते हैं जिसने अभी कुछ वर्षों से भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के सन्दर्भ में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। वास्तव में इस निगम ने जो परामर्श संबंधी कार्य किया है उससे देश की विद्वता का उपयोग करने में बड़ी सहायता मिली है और इससे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने में भी बड़ा योग मिला है जो अभी तक विदेशों से मंगाई जाती थीं। देश के औद्योगिकरण में यह सबसे महत्वपूर्ण विकास हुआ है।

तथापि हाल ही में सरकार की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 63वीं (चौथी लोक-सभा) रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि निगम का कार्य ऐसा नहीं है जिससे उसका स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखना उचित समझा जाये और इस बात पर फिर से विचार किया जाये कि उसे आगे कायम रखा जाये या नहीं। यह रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

नई दिल्ली गुड्स शेड में मालडिब्बों के जमा हो जाने के कारण नई दिल्ली के लिए सामान की बुकिंग पर प्रतिबन्ध

9371. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली गुड्स शेड में मालडिब्बों के जमा हो जाने के कारण नई दिल्ली के लिये सामान की बुकिंग पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) नई दिल्ली गुड्स शेड में कितने मालडिब्बे रुके पड़े हैं; और

(घ) स्थिति में कब तक सुधार हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । नयी दिल्ली के लिए सामान्य माल यातायात की बुकिंग पर 6-4-1970 से 19-4-1970 तक और 21-4-1970 से 30-4-1970 तक पाबन्दी लगाई गई थी ।

(ख) और (ग)। जी हां । नई दिल्ली स्टेशन पर आगत माल यातायात में अचानक वृद्धि हो जाने और मालडिब्बों को खाली करने और तत्परतापूर्वक परेषणों को ले जाने में व्यापारियों की असमर्थता के कारण नयी दिल्ली के लिए बहुत अधिक संख्या में लदे हुए मालडिब्बे इकट्ठे हो गये थे । इस स्टेशन पर प्रतिदिन औसतन 130 मालडिब्बे खाली हो रहे थे जबकि खाली होने को बकाया आगत मालडिब्बों का दैनिक औसत 300 से अधिक रहता था । व्यापारी लोग माल डिब्बों से उतारे गये माल को भी जल्दी हटाने में समर्थ नहीं हो रहे थे । माल गोदाम से प्रतिदिन औसतन केवल 144 मालडिब्बों का माल हटाया जा रहा था जबकि प्रतिदिन वहां औसतन 288 मालडिब्बों का माल उतारा जा रहा था । 14-4-1970 के स्टेट्समैन और टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित प्रेस नोट द्वारा व्यापारियों को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया था लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ । इसलिए बुकिंग पर अस्थायी रूप से पाबन्दी लगानी पड़ी थी ।

(घ) 1-5-1970 को रह पाबन्दी हटा ली गयी और तब से नयी दिल्ली के लिए माल यातायात की निर्बाध बुकिंग हो रही है ।

बानापुर (मध्य रेलवे) पर ऊपरी पुल

9372. श्री गं० च० दीक्षित : : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बानापुर स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर ऊपरी पुल के विस्तार कार्य में असाधारण विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां तो उपरोक्त पुल को शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है और न ऊपरी पैदल पुल के विस्तार का कोई विचार है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Extension of bridge at Burhanpur Railway Station (Central Railway)

9373. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5438 on the 7th April, 1970 regarding extension of bridge at Burhanpur Station (Central Railway) and state :

(a) whether it is a fact that the extension of the overbridge at Burhanpur Railway station is not possible because in the event of such extension, the Third Class Waiting hall will become a public thoroughfare;

(b) whether it is feasible to implement any scheme to extend the said bridge in such a way that the public may not have to pass through the Third Class Waiting hall to reach the said bridge;

(c) if so, whether Government would accept such a scheme by which the Third Class Waiting hall is not made a thoroughfare; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) to (d). An independent new foot overbridge for the exclusive use of the public can, however, be provided as a deposit work with the entire initial and recurring cost chargeable to the sponsring department, namely, State Govt. or Municipality and the Govt. would accept such scheme which would avoid inconvenience to the passengers.

Refreshment rooms at Itarsi Railway Station

9374. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are five Platforms at Itarsi Railway Station and there are vegetarian as well as non-vegetarian tea stalls, coffee stalls and dining rooms at all of them except at platform Nos. 4 and 5;

(b) whether it is also a fact that there is only one vegetarian tea stall at Platform Nos. 4 and 5 and it is not sufficient to meet the need of the majority of the passengers on these platforms;

(c) if so, whether Government proposed to open one more non-vegetarian tea stall on these Platforms, keeping in view the fact that all the trains come on these Platforms; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) There are five platforms at Itarsi Station The following Refreshment Rooms and Stalls exist on these platforms—

	Platform No.
(1) Vegetarian Refreshment Room	1
(2) Non-vegetarian Refreshment Room	1
(3) Fruit Stall	1
(4) Tea and Coffee stalls	1, 2 & 3
(5) Non-vegetarian food, tea and coffee stalls	1, 2 & 3
(6) Tea, Coffee and Sweetmeat stall	4 & 5

(b) A tea, coffee and sweetmeat stall is only provided on platform Nos. 4 and 5 but the existing vegetarian and non-vegetarian Refreshment Room contractors arrange

service of meals and a-la-carte items on trains received on these platforms on demand. The vegetarian and Non-vegetarian food stall contractors also sell items of food on platform Nos. 4 and 5 during train timings.

The service points on platform Nos. 4 and 5 have been augmented by putting additional tables at suitable points as well as by increasing the number of vendors for covering the entire length of the trains. These arrangements are considered adequate to meet the demands of meals, etc. of passengers on platform Nos. 4 and 5.

(c) and (d). Do not arise.

खुर्दा रोड (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में कालेज की मांग

9375. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड में कालेज खोलने तथा वहां पर स्थित स्कूल की इमारत में रात को कालेजी चलाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख), सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Exemption to Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates in Appendix III-A Examination

9376. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are given exemption in respect of marks in Appendix III-A Examination;

(b) if so, the extent to which relaxation is given and the number of employees who have thus been benefited in each Railway from 1957 to 1969;

(c) whether it is also a fact that hundreds of employees are awaiting their promotion after passing Appendix II-A and III-A departmental examination in Accounts Department of the Railways for the last 5-6 years;

(d) if so, the reaction of the Railway Board in this regard; and

(e) even after upgrading the posts of Officers, the reasons for not upgrading the posts of poor Clerks, when their future prospects have been stopped by computerisation ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) & (b). While no exemption or relaxation as such in respect of marks is given, the performance of candidates belonging to the scheduled castes and scheduled tribes is carefully reviewed at a high level.

(c) On some Railways employees who have passed the Appendix II-A and III-A Examinations are awaiting promotion for the last 5-6 years.

(d) & (e). The promotional opportunities of clerical staff in cadres affected by computerisation have been fully preserved. Further, in regard to all non-gazetted staff, orders have been issued providing relief in the form of personal

pay for non-gazetted staff of Railways who have been or will be stagnating at the maximum of their pay scales for two years or more. Government do not propose to take further steps in the matter for the present in view of the fact that Government have appointed a new Pay Commission.

Meetint of P.W.I. and A.P.W.I. Staff Association (Eastern nd South Eastern Railway with Railway Minister

9377. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation of the Eastern and South Eastern Permanent Ways Inspector and Assistant Permanent Ways Inspector Staff Association met him in April;

(b) whether any memorandum was also submitted to him on behalf of the Association and if so, the details thereof;

(c) whether Government have considered their demands; and

(d) if so, the result thereof ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Yes; the demands related mainly to the following :—

(i) revision of the scales of pay of P.W.Is. and upgrading, and

(ii) provision of relief to P.W. Staff from stores responsibility.

(c) & (d). As regards (i) above regarding revision of the scales of pay, now a Pay Commission has already been set up who will no doubt look into the scales of pay and service conditions of all the categories of staff including the P.W. Staff.

As regards the problem of stores workload, the matter has been examined and instructions have been issued for posting of stores clerks under P.W.Is. This is in the process of implementation. Besides, Divisional Stores Depots are also being gradually set up.

Meeting of delegation of All India Ministerial Staff Association with Railway Minister

9378. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation on behalf of the All India Ministerial Staff Association had met him on the 14th April, 1970;

(b) if so, whether the said delegation had submitted any memorandum to him; and if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Governmeot thereto ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) During the discussion, the delegation referred to two demands contained in the Resolution adopted at the 14th Annual Conference of the Association on 13-4-70, *viz.*, (1) recognition of the Association; and (2) upgrading of the ministerial staff by increasing promotional avenue in the cadre.

(c) These demands have already been examined. It is not the policy of the Government to recognise unions formed of one or a limited number of categories of employees. Regarding upgradation of staff, no isolated action can be taken in the case of ministerial staff only. The Pay Commission which has been set up will, no doubt, examine the conditions of service of this category of employees amongst others.

Meeting of Delegation of All India Guards Council with Railway Minister

9379. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a delegation of the All India Guards Council had met him in the month of April;

(b) if so, the names of persons included in the said delegation;

(c) the topics discussed by the delegation with him;

(d) whether Government have considered the issues raised by them; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

Minister for Railways (Shri Nanda) ; (a) Yes; on 7-4-70.

(b) The delegation was led by Dr. L. M. Singhvi and others.

(c) The delegation placed before the Minister, the grievances of guards, and mainly the following points were mentioned :—

(i) Promotional prospects;

(ii) Scales of pay;

(iii) Mileage allowance;

(iv) Absorption of medically decategorised staff;

(v) Conditions of running rooms;

(vi) Conditions of brake-vans; and

(vii) Recognition of the Association.

(d) Yes.

(e) The position in respect of the different points mentioned in the reply to part (c) of the question is as under:—

(i) It has not been found possible to consider any change in the existing distribution of posts in various grades of guards;

(ii) Regarding Scales of pay, no general revision can be considered for any one category of staff in view of its repercussions on other staff and further recently a Pay Commission having been set up, they will no doubt consider the case of guards, amongst others;

(iii) The rates of Running Allowance were revised in the light of the report of a departmental committee and in consultation with Organised Labour and given effect to from 1-12-1968.

It is true, as pointed out by the delegation that the rates prescribed for Drivers are higher than those admissible for guards but such a relativity has always been in existence;

(iv) Already adequate instructions exist regarding the fixation of pay of staff absorbed in alternative employment on medical categorisation. The question is, however, under examination;

(v) Every effort is made to improve the condition of Running Rooms. The demand put forward was that staff other than Running Staff should not be allowed to take rest in Running Rooms. It is not possible to lay down such a stipulation, but the priority of use is for running staff only;

(vi) Railways have been advised to make certain modifications in the brake-vans for improved riding;

(vii) The question of recognition of category-wise associations has been repeatedly examined and it is not the policy of the Government to recognise category-wise associations.

सैलम इस्पात परियोजना

9380. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 मार्च 1970 के 'हिन्दू' में 'पी० एम० ग्रीन सिगनल टु सेलम प्लांट स्टेट कैन गो एण्ड विद वर्क'--शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने सेलम इस्पात परियोजना पर काम शुरू करने के लिये तमिलनाडु सरकार को कह दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या काम आरम्भ करने की यह अनुमति (ग्रीन सिगनल) योजना आयोग की सलाह से दी गई है; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या तमिलनाडु सरकार का ध्यान उक्त समाचार की ओर दिलाया गया है और उससे अनुरोध किया गया है कि इस समाचार से उत्पन्न गलत प्रभाव को सरकारी तौर पर ठीक किया जाये ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) सरकार ने इस समाचार को देखा है ।

(ख) जी नहीं । प्रधान मंत्री ने 19 अप्रैल 1970 को लोक सभा में दिये गये अपने वक्तव्य से परे कुछ नहीं कहा है जिसमें उन्होंने तीन इस्पात कारखाने लगाने के सरकार के निर्णय की घोषणा की थी । और यह निर्णय मार्च 1970 में तमिलनाडु सरकार को नहीं सूचित किया गया था जैसाकि 20 मार्च 1970 के समाचार-पत्र के रिपोर्ट से मालूम होता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं यह आवश्यक नहीं समझा गया ।

इस्पात की चपटी तथा गोल छड़ों का उत्पादन

9381. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1970 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में मुख्य इस्पात उत्पादकों गौण (सैकण्डरी) उत्पादकों तथा रि-रोलर्स द्वारा पृथक् इस्पात की चपटी तथा गोल छड़ों तथा वायर राड का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) आगामी चार वर्षों में वर्ष-वार उक्त मदों का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा; और

(ग) 1969-70 में इस्पात के मुख्य उत्पादकों तथा रि-रोलरों द्वारा अलग-अलग इस्पात की चपटी गोल छड़ों तथा वायर राड का कितना तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया और आगामी चार वर्षों में इनका कितना निर्यात किये जाने का अनुमान है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) निम्नलिखित तालिका में पिछले तीन वर्षों में छड़ों गोल छड़ों और तार छड़ों के उत्पादन के आंकड़े दिये गये हैं :—

(हजार टन)

	छड़	गोल छड़	योग
1967-68			
1. मुख्य उत्पादक	646.1	126.1	772.2
2. गौण उत्पादक	17.8	50.5	68.3
3. बिलेट पुनर्वेलक	280.7	213.2	493.9
4. स्क्रैप पुनर्वेलक	37.8	89.0	126.8
योग	982.4	478.8	1,461.2
1968-69			
1. मुख्य उत्पादक	676.3	176.7	853.0
2. गौण उत्पादक	18.9	33.2	52.1
3. बिलेट पुनर्वेलक	300.0	223.5	523.0
4. स्क्रैप पुनर्वेलक	38.0	89.0	127.0
योग	1,033.2	522.4	1,555.6
1969-70			
1. मुख्य उत्पादक	780.5	285.0	1,065.5
2. गौण उत्पादक	27.2	15.6	42.8
3. बिलेट पुनर्वेलक	287.6	172.9	460.0
4. स्क्रैप पुनर्वेलक	37.5	88.5	126.0
योग	1,132.3	562.0	1,694.3

टिप्पणी (1) तार छड़ों और गोल छड़ों (कुण्डलों) के उत्पादन के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । तार छड़ों और गोल छड़ों (कुण्डलों) का उत्पादन गोल छड़ों के उत्पादन में सम्मिलित है ।

(2) चूंकि दोषी कारखानों का उत्पादन अनुमानित है अत: वर्ष 1969-70 के उत्पादन-आंकड़े अस्थायी समझे जाएं ।

(ख) 1970-71 के लिए छड़ों और गोल छड़ों का अनुमानित उत्पादन 1.55 मिलियन टन और तार-छड़ों का 3,60,000 टन है । यह मात्रा सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के चालू वर्ष के छड़ों और गोल छड़ों के प्रस्तावित उत्पादन और उनके द्वारा पुनर्वेलकों को बेलने के लिए दिये जाने वाले विक्रेय बिलेट पर आधारित है । सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के छड़ों गोल छड़ों और तार छड़ों तथा विक्रेय बिलेटों की अधिष्ठापित क्षमता के 90 प्र०श० के अधिकतम उपयोग के आधार पर छड़ों गोल छड़ों और तार छड़ों का उत्पादन 2.3 मिलियन टन के लगभग होने की आशा है (पुनर्वेलनीय स्क्रैप से होने वाले उत्पादन को छोड़ कर) । परन्तु इस उत्पादन को प्राप्त करने में कुछ वर्ष लग जायेंगे ।

(ग) वर्ष 1969-70 में मुख्य उत्पादकों और पुनर्वेलकों द्वारा छड़ों, गोल छड़ों और तार छड़ों का निर्यात क्रमश: 109,732 टन (696 लाख रुपये) और 229,807 टन (1704 लाख रुपये) का था । अभी तक अगले चार वर्षों में किये जाने वाले निर्यात का ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है । यह उल्लेखनीय है कि लोहा और इस्पात कर्णधार समिति ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1973-74 में छड़ों और गोल छड़ों का उत्पादन दो लाख टन और तार छड़ों का 30,000 टन होगा । चूंकि अर्ध तैयार माल की अतिरिक्त क्षमता प्रत्याशित से कम रही है और चूंकि मांग एक बड़ी सीमा तक बढ़ गई है अत: हो सकता है कि इस मात्रा में निर्यात करना संभव न हो सके ।

इस्पात के मुख्य उत्पादकों द्वारा बिलेट का उत्पादन

9382. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी चार वर्षों में आन्तरिक खपत तथा बिक्री के लिये अलग-अलग इस्पात के मुख्य उत्पादकों द्वारा कारखानावार बिलेट का कितना उत्पादन किये जाने का अनुमान है; और

(ख) क्या वह महसूस करते हैं कि बिक्री योग्य बिलेट का अनुमानित उत्पादन मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा और यदि नहीं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में बिक्री योग्य बिलेट के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी, नहीं । चतुर्थ योजनावधि में भिलाई विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत बिलेट के उत्पादन की क्षमता में 680,000 टन की वृद्धि करने की व्यवस्था कर दी गई है । फिर भी, बिलेट की सम्पूर्ण मांग पूरी नहीं हो सकेगी । बिलेट के उत्पादन को बढ़ाने के लिये विद्युत् भट्ठियां—सतत् ढलाई के कारखाने स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

Acts/S.R.Os. translated by Law Ministry

***9383. Shri Molahu Prashad :**

Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Acts are being translated by the Translation Section of the Union Ministry of Law; and

(b) If so, the number of Acts, Statutory Rules or Orders translated from November, 1964 to December, 1969 ?

Deputy Minister of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) The Translators working in the Official Language (Legislative) Commission assist in the preparation of translations of Central Acts in Hindi which are finalised by the Hindi Draftsmen of the Commission under the superintendence of the Members of the Hindi Unit of the Commission.

(b) The number of Acts, Statutory Rules or Orders translated by the Commission from November, 1964 to December, 1969, is as indicated below :—

(1) Acts	134
(2) Rules	101
(3) Orders	11

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, दरभंगा, को पुनः चालू करना

9384. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री अशोक पेपर मिल्स लि०, दरभंगा को पुनः चालू करने के बारे में 14 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6317 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज के उत्पादन को तुरन्त आरम्भ करने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार अथवा अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों को रुपया भुगतान आधार पर लुगदी का आयात करने की अनुमति देगी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार खोई को कागज की लुगदी के लिए मुक्त करने के लिए उत्तर बिहार में खोई पर आधारित चीनी मिलों को कोयले पर आधारित करने के लिए कुछ मशीन के पुर्जों के आयात की अनुमति देगी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्होंने अर्ध-सरकारी पत्र संख्या एल०आई०111-17(53)/68, दिनांक 26 अगस्त, 1969 में एक संसद् सदस्य को लिखा था कि ज्यों ही कागज के निर्माण सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की किसी योजना का अनुमोदन होगा केन्द्रीय सरकार अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की व्यवहार्यता की जांच करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसको अपने हाथ में लिये जाने के बारे में कोई जांच की गई है अथवा की जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अशोक पेपर मिल को पुनः चालू करने का सम्बन्ध बिहार सरकार से है वे इसे आसाम सरकार के सहयोग से कर रहे हैं । दोनों राज्य सरकारों में से किसी का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर जब-कभी वे प्राप्त होंगे, गुणावगुणों के आधार पर विचार करेगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बिहार और आसाम सरकारों ने अशोक पेपर मिल्स लि० को पुनः चालू करने की एक योजना तैयार की है, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी है, अतः इस स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मिल को अपने अधिकार में लेने के किसी प्रस्ताव पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा लोहे तथा इस्पात का वितरण

9385. श्री स० कुण्डू : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों के अन्तर्गत पंजीकृत और/अथवा उनके द्वारा सिफारिश की गई फर्मों को गत वर्ष, कलकत्ता स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यालय द्वारा कौनसी विभिन्न वस्तुओं, लौह अयस्क की कितनी मात्रा तथा किस किस्म का किन इस्पात उत्पादों तथा कतरनों की सप्लाई की गई ;

(ख) ऐसी फर्मों अथवा इनके मालिकों के नाम क्या हैं ;

(ग) कलकत्ता स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यालय (विक्रय विभाग) के अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनको दो से भी अधिक फर्मों के लिए वहां नियुक्त किया जाता है और उनकी नियुक्ति की तारीख क्या है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि इन पदों में सेवावधि के लंबे होने के कारण एक निहित स्वार्थ पैदा होता है जिससे भ्रष्टाचार फैलती है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन निहित स्वार्थों को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) सामान्यतः लघु उद्योग और रद्दी माल के पुनर्बेलक राज्य सरकार के उद्योग निदेशक के पास पंजीकृत होते हैं और हिन्दुस्तान स्टील लि० उन्हें चपटे उत्पाद, संरचनात्मक छड़ और गोल छड़, कच्चा लोहा, मिश्र-इस्पात, रद्दी माल टिन प्लेट आदि अपने सभी उत्पाद सप्लाई करता है । जहां तक ऐसी सभी फर्मों और पार्टियों और उन्हें सप्लाई किये गये विभिन्न सामान और उसकी मात्रा का सम्बन्ध है, यह सूचना एकत्र करने में काफी समय लगेगा और जो परिणाम निकलेगा वह इसमें लगे श्रम के मुकाबले अनुरूप नहीं होगा ।

(ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) और (ङ) इन मामलों पर हिन्दुस्तान स्टील लि० सरकार को बिना बताये ही निर्णय ले सकते हैं क्योंकि ये आन्तरिक प्रशासन के मामले हैं । इन पर निर्णय करते समय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को प्रश्न के भाग (घ) में उल्लिखित तारतम्य बनाये रखने, अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखना पड़ता है ।

"बिलो क्लेफ्ट" के ले जाने पर जम्मू तथा काश्मीर द्वारा प्रतिबन्ध

9386. श्री शिव चन्द झा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने भारतीय क्रिकेट निर्माताओं के लिये "बिलो क्लेफ्ट" के लदान पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) क्या क्रिकेट में बल्लों के लिए आवश्यक इस विशिष्ट लकड़ी को जम्मू तथा काश्मीर में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो "बिलो क्लेफ्त" को भारत में क्रिकेट के बल्लों के निर्माण के विकास तथा प्रसार के लिए प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और उसमें कितनी सफलता मिली है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार जम्मू व काश्मीर ने "बिलो क्लेफ्ट" के राज्य के बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । एक लम्बी बातचीत के बाद ही राज्य सरकार निर्यात के लिए क्रिकेट के बल्ले बनाने हेतु प्रति वर्ष अधिक से अधिक 20,000 "बिलो क्लेफ्टों" का न्यूनतम कोटा देने के लिए सहमत हुई । यह कोटा केवल निर्यात के लिये माल बनाने के काम में लाया जा रहा है, स्थानीय मंडी में बिक्री के लिये नहीं । चूंकि यह लकड़ी काफी सस्ती है, कहा जाता है कि इसका प्रयोग ईंधन के लिये किया जा रहा है और वन विभाग लगभग 45,000 से लेकर 50,000 मन तक बिलो लकड़ी सप्लाई करता है । निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 'क्लेफ्ट' बनाने के लिए कम से कम 50,000 मन टिम्बर दे दे और उसने सिद्धान्ततः यह प्रस्ताव मान लिया है । तथापि, यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

खेल-कूद के सामान की निर्यात संवर्द्धन परिषद्, जो खेल-कूद के सामान के निर्यात को बढ़ाने तथा उसका संगठन करने के लिए एक एजेन्सी के रूप में स्थापित की गयी है, बिलो क्लेफ्टों के सप्लाई करने वालों से स्थायी व्यवस्था करके जम्मू तथा काश्मीर राज्य से उनकी सप्लाई बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है ।

अफ्रीकी-एशियाई देशों में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा इस्पात का कारखाना स्थापित किया जाना

9387. श्री शिव चन्द झा : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी अफ्रीकी एशियाई देशों में एक इस्पात का कारखाना स्थापित करने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रासायनिक संयंत्रों के लिये लोहे के सामान की आवश्यकता

9388. श्री काशी नाथ पाण्डेय: क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़े तथा आधुनिक रासायनिक संयंत्रों के लिए अपेक्षित लोहे के सामान का आयात न करने तथा भारत में भारी इंजीनियरी उद्योग को प्रोत्साहन देकर इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख) रसायन उद्योग के ऐसे उपकरणों तथा मशीनों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है जोकि देश में निर्मित होती है और जो उपभोक्ता उद्योगों के विशिष्ट विवरण के अनुकूल हो और जिसका संभरण उनकी आवश्यकतानुसार किया जा सकता हो । देशीय निर्माता पूर्ण संयंत्र के संभरण करने की स्थिति में हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र, सुपरफास्फेट संयंत्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, साल्वेन्ट एक्स्ट्रेक्शन प्लांट, अल्कोहल प्लांट इत्यादि और उपकरण की पृथक्-पृथक् वस्तुओं जैसे प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, कालम, मिक्सर्स इत्यादि जिनकी आवश्यकता रसायन उर्वरक, पेट्रो-रसायन तथा भेषज उद्योगों को पडती है, का संभरण भी किया जा सकता है ।

सिलाई की मशीन बनाने के कारखाने

9389. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिलाई की मशीन के कारखानों के नाम क्या हैं, वे कहां स्थित हैं, प्रत्येक में कितनी पूंजी लगाई गई है, प्रत्येक कारखाने के निदेशकों तथा सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं और मात्रा तथा मूल्य के रूप में प्रत्येक कारखाने का आर्थिक उत्पादन कितना है ?

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में लाइसेंसीकृत क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन कितना है और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा न किये जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक कारखाने को कितनी विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गई और उनके द्वारा आयात किये गये प्रमुख पुर्जों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण (अनुबन्ध 1) संलग्न है ।

]ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3481/70]

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में संगठित क्षेत्र में सिलाई मशीनों की लाइसेंस शुदा उत्पादन क्षमता व वास्तविक उत्पादन क्रमशः 5,99,200 अदद व 4,30,000 अदद था । उत्पादन में इस कमी के कारण थे :—

(1) आयातित कच्चे माल ।
(2) पुर्जों का उपलब्ध न होना।
(3) विदेशी मुद्रा की कमी तथा
(4) कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई ।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण (अनुबन्ध 2) संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3481/70]

हल्दिया में कार्बन संयंत्र की स्थापना

9390. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सिफारिश से एक भारतीय फर्म का आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार को भेजा है कि उक्त फर्म को विदेशी सहयोग से एक कार्बन कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) मै० इंडियन कार्बन लि० कलकत्ता जोकि इस समय एक विदेशी पार्टी से सहयोग कर रही है, से बुझा हुआ एंथ्रेक्टाई कोयला तथा बुझा हुआ पेट्रोलियम कोक का निर्माण करने के लिये हाल्दिया में एक कारखाना स्थापित करने हेतु दो योजनाएं प्राप्त हुई थीं । पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दोनों योजनाओं का समर्थन किया था ।

बुझे हुए ऐथ्रेक्टाई कोयले की योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी गई है और विदेशी सहयोग की शर्तों पर विचार किया जा रहा है । हां, बुझे हुए पेट्रोलियम कोक के निर्माण करने वाली पार्टी की इस योजना को स्वीकृति देना संभव नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में पहले स्वीकृत की गई क्षमता को 1975-76 के प्रत्याशित मांग को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त समझा जाता है ।

Participation by Southern Railway Employees in 19th September 1968 strike.

9391. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees suspended on the Southern Railway for taking part in the 19th September, 1968 strike;

(b) the number out of the suspended employees who have since been reinstated and the number of employees not yet reinstated; and

(c) the number of employees against whom prosecution proceedings are going on in the courts at present and the number of those who have been dismissed ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) 286.

(b) All the suspended employees have been put back to duty without prejudice to any disciplinary action that may be warranted on the basis of the findings of the Courts in respect of charges pending against them, or on the finalisation of departmental proceedings, if any, instituted against them.

(c) Cases against 29 employees were pending in Courts as on 15-2-70.

No employee has been dismissed.

Participation by Eastern Railway Employees in 19th September, 1968 strike

9392. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees suspended in the Eastern Railway for taking part in the 19th September, 1968 strike;

(b) the number out of the suspended employees who have since been reinstated and the number of employees not yet reinstated; and

(c) the number of employees against whom prosecution proceedings are going on in the courts at present and the number of those who have been dismissed ?

Minister for Railway (Shri Nanda) : (a) 150.

(b) All the suspended employees have been put back to duty without prejudice to any disciplinary action that may be warranted on the basis of the findings of the Courts in respect of charges pending against them, or on the finalisation of departmental proceedings, if any, instituted against them.

(c) Cases against 88 employees were pending in Courts as on 15-2-70.
No employees has been dismissed.

Participation by Central Railway Employees in 19th September 1968 strike

9393. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees suspended in the Central Railway for taking part in the 19th September, 1968 strike;

(b) the number out of the suspended employees who have since been reinstated and the number of employees not yet reinstated; and

(c) the number of employees against whom prosecution proceedings are going on in the courts at present and the number of those who have been dismissed ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) Nil; there was no strike on the Central Railway.

(b) ? (c) Do not arise.

Participation by Western Railway Employees in 19th September, 1968 strike

9394. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees suspended on the Western Railway for taking part in the 19th September, 1968 strike;

(b) the number out of the suspended employees who have since been reinstated and the number of employees not yet reinstated; and

(c) the number of employees against whom prosecution proceedings are going on in the courts at present and the number of those who have been dismissed.

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) 10.

(b) All the suspended employees have been put back to duty without prejudice to any disciplinary action that may be warranted on the basis of the findings of the Courts in respect of charges pending against them, or on finalisation of departmental proceedings, if any, instituted against them.

(c) Cases against 4 employees were pending in courts as on 15-2-70.
No employee has been dismissed

Participation by North Eastern Railway Employees in 19th September, 1968 strike

9395. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees suspended on the North Eastern Railway for taking part in the 19th September, 1968 strike;

(b) the number out of the suspended employees who have since been reinstated and the number of employees not yet reinstated; and

(c) the number of employees against whom prosecution proceedings are going on in the courts at present and the number of those who have been dismissed ?

Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) 388.

(b) All the suspended employees have been put back to duty without prejudice to any disciplinary action that may be warranted on the basis of the findings of the Courts in respect of charges pending against them; or on finalisation of departmental proceedings, if any, instituted against them.

(c) Cases against 13 employees were pending in Courts as on 15-2-70.

No employee has been dismissed.

Decrease in Production of Various Commodities

9396. Shri Deven Sen : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of footwears and articles manufactured from cloth, motor parts, hides, fur and jute is regularly going down as compared to their production during the previous years; and

(b) if so, the steps Government propose to take to increase the production of the above mentioned commodities ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) ; (a) & (b) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

रेलवे भूमि में कृषि

9397. श्री न० रा० देवघरे : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के पास कृषि कार्य के लिये भूमि है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि कितनी है और यह कहां स्थित है ;

(ग) कितनी भूमि पर वास्तव में कृषि होती है , और

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों में कृषि से कितनी आय प्राप्त हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । लेकिन स्टेशन यार्डों, रेलवे बस्तियों में तथा रेलवे लाइन के साथ-साथ खेती योग्य रेलवे की फालतू ज़मीन, मांग आने पर, 'अधिक अन्न उपजाओ' प्रयोजन के लिए लाइसेंस पर दे दी जाती है ।

(ख) और (ग) अनुबन्ध 'क' में एक ब्यौरेवार विवरण दिया गया है ।

(घ) 1965-66 से 1967-68 तक के तीन वर्षों की अवधि में, जिसके सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध हैं, लगभग तेरह लाख रुपये ।

विवरण

रेलवे	31-3-1968 को अधिक अन्न उपजाओ प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को दी गयी खेती योग्य जमीन	सीधे रेल प्रशासनों द्वरा दी गई खेती योग्य जमीन	
		बाहरी व्यक्तियों को	रेल कर्मचारियों को
मध्य .	4,293.00	131.95	481.44
पूर्व .	9,981.88	8.42	3,150.00
उत्तर .	1,250.00	857.00	816.00
पूर्वोत्तर	18,203.55	15.00	13,173.00
पूर्वोत्तर सीमा	3,470.36	1,276.78	3,584.05
दक्षिण	2,027.57	226.29	792.48
दक्षिण मध्य	2,951.89	243.82	1,329.17
दक्षिण पूर्व	2,255.08	1,489.32	1,459.35
पश्चिम . .	405.80	229.09	939.34
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	—	—	300.00
डीजल रेल इंजन कारखाना	—	—	80.00
सवारी डिब्बा कारखाना .	—	—	56.62
	44,839.13	4,477.67	26,161.45

राय बरेली में लैम्प निर्माण करने वाली कम्पनी स्थापित करना

9398. **श्री प० मु० सईद :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल से सम्बद्ध भारतीय लैम्प निर्माणकर्त्ता संघ के वार्षिक सम्मेलन अथवा सेमीनार का वर्ष 1969 में उद्घाटन किया था ;

(ख) क्या उक्त संघ के अध्यक्ष की कम्पनी के प्रोमोटर के रूप में राय बरेली में एक लैम्प बनाने वाली कम्पनी की स्थापना करने के बारे में रुचि है ;

(ग) क्या इस मामले में उक्त अध्यक्ष को विशेषाधिकार दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां । मैंने अगस्त, 1969 में इण्डियन लैम्प फैक्टरीज़ एसोसियेशन के खुले अधिवेशन में भाषण दिया था ।

(ख) श्री तपन के० राय से इन्केन्डिसेंट (छोटे आकार के गैस वाले तथा फ्लोरिसेंट सम्मिलित हैं) लैम्प निर्मित करने वाली मशीनों, सहायक पुर्जों तथा फालतू हिस्सों इत्यादि के (न कि लैम्प निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना के लिए) निर्माण हेतु रायबरेली, उत्तर प्रदेश में कारखाने के स्थापनार्थ एक कम्पनी के प्रवर्तक की हैसियत से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ है । किन्तु बाद में कम्पनी के प्रवर्तक ने औद्योगिक उपक्रम के स्थापना स्थल को रायबरेली से बदल कर बंगलौर करने का आवेदन किया है ।

(ग) तथा (घ) मामला विचाराधीन है और आवेदक के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात प्रदर्शित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

तुमकुर में उद्योग

9400. **श्री क० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने दो वर्ष पूर्व उनके मंत्रालय को एक पत्र लिखा था जिसमें तुमकुर शहर, मैसूर राज्य में एक उद्योग आरम्भ करने को कहा गया था जैसाकि तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने वचन दिया हुआ था और उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य ने वर्तमान प्रधान मंत्री को इस बारे में पत्र लिखा था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि तुमकुर में बेरोजगारी दूर करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक उद्योग वहां स्थापित होनी चाहिए ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित आदिम जातियों की मान्यता के बारे में महाराष्ट्र के आदिवासी विधायकों द्वारा भेजा गया संकल्प

9401. **श्री देवराव पाटिल** : क्वा **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के आदिवासी विधायकों द्वारा 20 नवम्बर, 1969 को पास किये गये मूल संकल्प अथवा संकल्प की एक प्रति प्राप्त हो गई है, जिसमें सरकार से यह निवदन किया गया है कि वह केवल उन आदिम जातियों को अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दें जिनको उनके सामाजिक स्तर, भौगोलिक समीक्षता, संस्कृति तथा शिक्षा के आधार पर वर्ष 1950 में अथवा इससे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) हां ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के समूचे प्रश्न पर दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति ने विचार किया था । समिति की रिपोर्ट सदन के सामने है ।

अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में कुछ जातियों के सम्मिलित करने के बारे में महाराष्ट्र के आदिवासी विधायकों द्वारा भेजा गया ज्ञापन

9402. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के आदिवासी विधायकों ने महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित आदिम जाति सूची में शामिल किये जाने सम्बन्धी नये प्रस्तावों के बारे में अपत्ति संबंधी ज्ञापन दिनांक 20 अक्तूबर, 1969 को भेज दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) हां।

(ख) यह ज्ञापन अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 से सम्बद्ध संयुक्त समिति को सम्बोधित था। समिति की रिपोर्ट सदन के सामने है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में महाराष्ट्र के संसद् सदस्यों द्वारा भेजा गया ज्ञापन

9403. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निम्नोक्त पत्रों सहित, महाराष्ट्र के संसद् सदस्यों द्वारा भेजा गया दिनांक 24 दिसम्बर, 1969 का ज्ञापन प्राप्त हो गया है ;

(एक) महाराष्ट्र के आदिवासी विधायकों द्वारा 20 नवम्बर, 1969 को पास किया गया संकल्प ; और

(दो) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में महाराष्ट्र के आदिवासी विधायकों द्वारा भेजा गया दिनांक 20 अक्तूबर, 1969 का ज्ञापन ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) हां।

(ख) दिनांक 20 अक्तूबर, 1969 का ज्ञापन अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 से सम्बद्ध संयुक्त समिति को सम्बोधित था। यह महाराष्ट्र में अनुसूचित आदिम जातियों की सूची के बारे में था तथा इसमें मुख्यतया कुछ जातियों के सूची में शामिल किए जाने का विरोध किया गया था।

महाराष्ट्र में रेलवे का विकास

9404. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में चौथी योजना में रेलवे के विकास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से, चौथी योजना के दौरान उस राज्य में, अनेक नयी लाइनों के निर्माण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। रकम की कमी के कारण निर्माण के लिए सभी प्रस्तावों पर विचार करना संभव नहीं है। लेकिन, 1970-71 में आप्ता से मंगलूर तक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का विनिश्चय किया गया है।

डिब्बों का बिना इंजन चलना

9405. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद वाडी सैक्शन पर गोदामगुरा और मल्लारम स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी के लगभग 30 डिब्बे बिना इंजन के लगभग 6 मील तक चले गये थे ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के आदेश दिये हैं ; और

(ग) क्या इसके लिये उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां। यह दुर्घटना 20-4-1970 को हुई।

(ख) जी, हां ।

(ग) जांच पूरी हो जाने पर यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

मैसर्स इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड का विभाजन करना

9406. **श्री नगेश्वर यादव** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व मैसर्स इतहाद मोटर ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड को दो 'कम्पनियों यथा समूह' के और समूह 'वी' में विभाजन किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभाजन से पूर्व कम्पनी के उन व्यक्तियों को कुछ और अंश बेचे थे जोकि कम्पनी के पहले से ही अंशधारी थे ;

(ग) क्या न्यायालय ने विभाजन करने का आदेश देते समय इस आशय के भी आदेश दिये थे कि अंशों की वृद्धि को मान्यता नहीं दी जायेगी और अंशधारियों को उनका अंशधन दो कम्पनियों यथा समूह 'के' और समूह 'वी' द्वारा 9 : 7 के अनुपात में वापिस कर दिया जायेगा ?

(घ) क्या समूह 'वी' कम्पनी के प्रबन्धक/निदेशक आदि के निकट संबंधियों को भुगतान करते समय कुछ अंशधारियों को अंशधन का भुगतान नहीं किया ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12-5-61 के आदेश से इस कम्पनी का दो कम्पनियों में विभाजन दृष्टिगोचर होता है ।

(ख) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के कार्यालय में संधृत अभिलेखों के अनुसार, यह बताते हुए कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि वर्तमान हिस्सेधारियों को कोई ऐसे हिस्से आवंटित किये गये थे ।

(ग) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास मिसिल किये गये न्यायालय आदेश की प्रति से, ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते ।

(घ) से (च) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के कार्यालय के अभिलेखों में इस बाबत कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

मद्यनिषेध लागू करने के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की पेशकश

9407. **श्री बाल्मिकि चौधरी :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विभिन्न राज्य सरकारों को मद्यनिषेध लागू करने से होने वाली हानि की आधी क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव उनको स्वीकार्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या उन्होंने क्षतिपूर्ति के लिये कोई अन्य प्रस्ताव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क), (ख), (ग) तथा (घ) इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 3482/70)**

क्षय रोग सेनेटोरियमों में कर्मचारियों के लिये कीमती औषधियों के नुस्खे देने पर रोक

9408. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के लिये आरक्षित रोगी शय्याओं वाले क्षय रोग सेनेटोरियमों को यह स्थायी हिदायतें दी हैं कि वे क्षय रोग ग्रस्त रेलवे कर्मचारियों के लिये कीमती दवाइयों का नुस्खा न बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो इन हिदायतों का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या वह रेलवे बोर्ड को आदेश देंगे कि इन हिदायतों को तुरन्त वापिस ले लिया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) सवाल नहीं उठता।

दक्षिण रेलवे के रेलवे विश्राम गृहों के दुरुपयोग के बारे में लेखापरीक्षा आपत्ति

9409. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मुख्य लेखापरीक्षक ने लगभग 2 वर्ष पूर्व रेलवे अधिकारियों द्वारा उनके ड्यूटी पर न होने के समय अथवा तबादले के समय रेलवे विश्रामगृहों का दुरुपयोग किये जाने का उल्लेख किया था;

(ख) यदि हां, तो किस वास्तविक अनियमितता का उल्लेख किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के मुख्य इंजीनियर ने इस लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्मित वस्तुएं

9410. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में, (संयंत्रवार) कितनी तथा कितने मूल्य की वस्तुयें निर्मित की गईं ;

(ख) उक्त अवधि में यदि कोई वस्तु निर्यात की गई, तो वह कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की थीं और किन-किन देशों को निर्यात की गई;

(ग) देश में उसी अवधि में सरकारी प्रतिष्ठानों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को, अलग-अलग कितनी मात्रा तथा मूल्य की वस्तुयें बेची गई थीं;

(घ) उस अवधि में कितना शुद्ध लाभ अथवा हानि हुई; और

(ङ) यदि निरन्तर हानि हो रही है, तो उसके क्या कारण हैं और उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1966-67 से 1968-69 की अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों द्वारा निर्मित प्रमुख विक्रेय वस्तुओं की कारखानेवार मात्रा और मूल्य निम्नलिखित हैं :

(मात्रा हजार टन)
(मूल्य 10 लाख रुपये)

कारखाना	विक्रेय कच्चा लोहा	विक्रेय इस्पात	एमोनियम सल्फेट	कैल्सियम एमोनियम नाइट्रेट (20.50%, N_2)	मूल्य
भिलाई					
1966-67	549	1328	22	—	1100
1967-68	656	1252	21	—	1202
1968-69	591	1344	27	—	1205
राउरकेला					
1966-67	58	683	0.7	188	752
1967-68	64	640	7.0	190	788
1968-69	147	773	14	236	1066
दुर्गापुर					
1966-67	201	550	10	—	485
1967-68	278	527	10	—	511
1968-69	375	500	10	—	630
मिश्र इस्पात					
1966-67		2.42			15
1967-68		6.6			19
1968-69		23.7			44

(ख) 1966-67 से 1968-69 की अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लि० ने 21 लाख टन लोहे और इस्पात तथा 4000 टन उपोत्पादों का निर्यात किया जिनका मूल्य 8186.3 लाख रुपये था। जिन देशों को इस अवधि में निर्यात किया गया था उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) 1966-67 से 1968-69 की अवधि में सरकारी विभागों और स्टाकिस्टों जिनमें हिन्दुस्तान स्टील लि० के स्टाक यार्ड (गोदाम) भी शामिल हैं तथा दूसरों को प्रेषित कच्चे लोहे और इस्पात की मात्रा निम्नलिखित थी :

विवरण

(हजार टन)

	सरकारी विभाग	स्टाकिस्ट जिनमें हिन्दुस्तान स्टील लि० के गोदाम शामिल हैं	अन्य
कच्चा लोहा	216	233	1112
इस्पात	2119	1163	3307

प्रेषणों के मूल्य की विभाग क्रम से सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लि० को 1966-67 में 2293.9 लाख रुपये का, 1967-68 में 4011.9 लाख रुपये का और 1968-69 में 3991.7 लाख रुपये का घाटा हुआ।

(ङ) हिन्दुस्तान स्टील लि० को हुए घाटे के विभिन्न कारणों को "परफोर्मेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील लि०" नामक पत्रिका में दिया गया था जिसे 5 अप्रैल, 1968 को सभा पटल पर रखा गया था। घाटे को सीमित करने और कम करने के लिए तथा कारखाने की कुशलता को बढ़ाने के संबंध में उक्त पत्रिका में दिये गये उपायों को काम में लाया जा रहा है। उत्पादन को बढ़ाने और इसके रास्ते की कठिनाइयों को यथाशीघ्र दूर करने के लिए भी सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं। इससे कम्पनी के कार्य-परिणामों में सुधार होना चाहिए। वास्तव में ऐसी आशा की जाती है कि पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1969-70 में कम्पनी का घाटा काफी कम रहेगा।

निजामाबाद नगर (आंध्र प्रदेश) में नीचे के पुल को चौड़ा करना

9411. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में निजामाबाद नगर में नीचे के पुल को चौड़ा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी और निर्माण एजेंसी कौन सी है; और

(ग) कितनी लागत रेलवे वहन करेगा और इस कार्य को आरम्भ करने के बाद इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा): (क) निजामाबाद में पुल के नीचे सड़क को चौड़ा करने से सम्बन्धित काम में कोई प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि निजामाबाद नगर पालिका ने ना तो अभी तक नक्शे के सम्बन्ध में

अपनी मंजूरी भेजी है और न अनुमानित लागत की रकम ही जमा की है यद्यपि रेलवे ने नगरपालिका को लागत का ब्यौरेवार अनुमान जनवरी, 1969 में ही भेज दिया था।

(ख) इस काम की अनुमानित लागत लगभग 2 लाख रुपया है और उपर्युक्त (क) को देखते हुइ कोई निर्माण एजेंसी निश्चित नहीं की गयी है।

(ग) पूरा खर्च निज़ामाबाद नगरपालिका द्वारा वहन किया जायेगा और शुरू होने के बाद काम के पूरा होने में लगभग 9 महीने लगेंगे।

अस्थायी अधिकारियों तथा सीधे भर्ती किये गये श्रेणी एक के अधिकारियों के बीच भविष्य में पदोन्नति के मामले में विषमता

9412. श्री विद्याधर बाजपेयी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अस्थायी अधिकारियों और सीधे भर्ती किये गये श्रेणी एक के अधिकारियों के वेतनमानों, कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों में कोई अन्तर है; और

(ख) यदि नहीं, तो दो प्रकार के अधिकारियों की भविष्य में पदोन्नति के मामले में इतनी विषमता होने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) अस्थायी अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सर्वथा अस्थायी पदों को भरने के लिए, तदर्थ प्रवरण के आधार पर, भर्ती किये गये थे, जबकि श्रेणी। में सीधे भर्ती किये गये अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, श्रेणी 1 संवर्ग में, स्थायी रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती किये गये थे।

उच्चतर पदक्रमों में पदोन्नति सेवा के अन्तर्गत, वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर की जाती है। अस्थायी अधिकारी श्रेणी 1 सेवा के अन्तर्गत नहीं आते, लेकिन वे संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निर्धारित वार्षिक कोटे के अन्तर्गत, सेवा में नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र समझे जाते हैं। सेवा में नियुक्ति के बाद वे अपनी वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर, पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं। लेकिन, अस्थायी अधिकारियों की हैसियत में भी वे वरिष्ठ वेतनमान में, अस्थायी पदोन्नति पाने के पात्र होते हैं।

सिगनल तथा दूर-संचार विभाग में छुट्टी रिजर्व कर्मचारी

9413. श्री देवेन सेन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा बीकानेर डिवीजनों के सिगनल तथा दूर संचार विभाग में इलक्ट्रिकल सिगनल की देखभाल करने वाला ग्रेड 1, 2 और 3 मैकनिकल सिगनल की देखभाल करने वाला ग्रेड 1,2 और 3 और निरीक्षकों की संख्या कितनी कितनी है;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी में हुई रिजर्व कर्मचारियों की संख्या कितनी है और नियमों के अनुसार हुई रिजर्व कर्मचारियों की कितनी संख्या की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त श्रेणियों में छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की वर्तमान संख्या नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित संख्या से बहुत कम है और यही स्थिति भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर-संचार विभाग में विद्यमान है; और

(घ) इस छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये प्रशासन का क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब ऐसा किया जायेगा?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिनगल तथा दूर-सचार विभाग में कर्मचारियों पर काम के भार को समान वितरण और नियुक्ति करने का मापदंड

9414. श्री देवेन सेन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में सिगनल तथा दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों के काम के भार समान वितरण करने और उन्हें नियुक्त करने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत कोई मापदण्ड है;

(ख) यदि नहीं तो अब तक ऐसा मापदण्ड न बनाये जाने के क्या कारण हैं जबकि सिगनल तथा दूर-संचार व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जो कि रेल यातायात की सुरक्षा तथा कुशलता से सीधे सम्बन्धित है और हाल के वर्षों में इसका काफी विस्तार हुआ है ; और

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों का विचार सिगनल तथा दूर-संचार विभाग के लिये एक स्वीकृत माप-दण्ड निर्धारित करने का है; और यदि हां तो इसकी घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क), (ख) और (ग) : सिगनल और दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों की संख्या और कार्यक्षेत्र निर्धारित करने के लिए क्षेत्रीय रेलें पहले से ही अपने-अपने मान-दण्डों का पालन कर रही हैं जो स्थानीय परिस्थितियों और उपस्करों की मात्रा और किस्म को ध्यान में रखकर निश्चित किये गये हैं। फिर भी इन मानदण्डों में थोड़ी-बहुत एकरुपता लाने के लिए नवीनतम उपस्करों की अनुरक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर रेलों को कुछ और मार्ग-दर्शक हिदायतें दी गयी हैं।

तमिलनाडु में पुनः बेलन मिल के लिये बिलेट की कमी

9415. श्री क० रमानी : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में पुनःबेलन मिलों को सप्लाई किये जाने वाले बिलेट की कमी है;

(ख) क्या सरकार को पुनः बेलन मिलों के मालिकों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ) मांग के बढ़ने के साथ साथ उत्पादन के न बढ़ने के कारण बिलेट की प्रदाय स्थिति कठिन हो गई है। चूंकि वर्तमान उत्पादन पंजीकृत पुनर्बेलकों की एक पारी की क्षमता को पूरा करने के लिये भी काफी नहीं है अतः पुनबेलन मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं हो सका है। कई पुनर्बेलन

मिलों से जिनमें तमिलनाडु के पुनर्बेलक भी शामिल हैं अपर्याप्त आबंटन और आबंटन के अनुसार बिलेट न मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस्पात कारखानों से उत्पादन और प्रेषण बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। हाल ही में स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया था और पंजीकृत पुनर्बेलकों को बिलेट की उपलब्ध मात्रा के सम्यक वितरण की नीति को अपनाया गया है।

गाड़ी के गार्ड-इंचार्ज के लिये नियत कसौटियां

9416. श्री इसहाक सम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाड़ी के गार्ड-इंचार्ज के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिये रेलवे कर्मचारियों के लिये नियत कसौटियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नन्दा) : प्रश्न बहुत स्पष्ट नही है तथापि माननीय सदस्य शायद यह जानना चाहते हैं कि गार्ड के रूप में नियुक्ति के लिए रेल कर्मचारी को क्या-क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं। गार्डों के निम्नतर ग्रेड में कुल खाली जगहों में से 22 प्रतिशत तक के लिए प्रशिक्षणार्थी गार्डों की सीधी भर्ती की जाती है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर उन्हें स्वतंत्र रूप से गार्ड के रूप में काम पर लगाया जाता है। बाकी खाली जगहें परिवहन और वाणिज्यिक विभागों की विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों (जैसे वाणिज्यिक क्लर्क, टिकट क्लक्टर, गाड़ी क्लर्क, यार्ड कर्मचारी और ब्रेकमैन की पदोन्नति/तैनाती द्वारा भरी जाती हैं और इन्हें भी गार्ड का काम करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

रेलवे में गार्डों की श्रेणी में छुट्टी रिजर्व

9417. श्री इसहाक सम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गार्डों की श्रेणी में 20 प्रतिशत छुट्टी रिजर्व की मंजूरी की गई है जिसको कुछ रेलवे में पूर्णरूप से कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अखिल भारतीय गार्ड परिषद ने यह अनुरोध किया था कि ऐसे गार्डों को न्यूनतम 150 किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाना चाहिये जिनको रिक्त पद के न होने के कारण काम नहीं दिया जाता है और उसी रिक्त पद के लिए एक दिन की औसत मील दूरी अर्थात् 150 किलोमीटर के लिये बिना प्रतिकर दिये उनको बेकार बैठाया जाता है;

(ग) यदि हां तो उनकी दिन की कम से कम किलोमीटर दूरी को सुरक्षित रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर रेलवे के सहायक सिगनल तथा दूर-संचार इंजीनियर के द्वितीय श्रेणी के पद के लिए चयन करने की प्रक्रिया

9418. श्री राजदेव सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में सहायक सिगनल तथा दूर संचार इंजीनियरी के द्वितीय श्रेणी के पद का चयन करने की प्रक्रिया अन्य रेलवे जैसे मध्य और पश्चिमी आदि रेलवे की प्रक्रिया से भिन्न है और क्या रेलवे बोर्ड ने इस चयन के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित की हुई है;

(ख) यदि हां तो यह प्रक्रिया क्या है और यदि नहीं तो क्या रेलवे अधिकारियों का विचार इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने का है;

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों ने कुछ 'पीड़ित व्यक्तियों' की ओर से जारी की गई पुस्तिका की ओर ध्यान दिया है जो उनकी निराशा को व्यक्त करती है क्योंकि उन्हें संदेह है कि उत्तर रेलवे में हाल में उक्त पद के चयन के मामले में पक्षपात बरता गया है; और क्या रेलवे अधिकारियों को भी इस संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या इसमें कदाचार के अवसरों को समाप्त करने के लिये विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं अथवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की पद्धति पर चयन प्रक्रिया में कुछ सुधार करने पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां तो अधिकारियों का क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब ऐसा किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हां।

(घ) इनकी जांच की जा रही है।

(ङ) जी नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से एकरूप प्रवरण कार्यविधि पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।

(च) सवाल नहीं उठता।

सभी धर्मों के धार्मिक विन्यासों के लिए समान कानून

9419. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमने विभिन्न धर्मों के सभी सम्प्रदायों के धार्मिक विन्यासों के लिये जहां तक अवधि परिसीमा का न्यायालय शुल्क देने का तथा अन्य न्यायालय प्रक्रियाओं का संबंध है कानून में पूरी समानता प्राप्त कर ली है;

(ख) क्या विभिन्न धर्मों वाले व्यक्तियों के विन्यासों के विरुद्ध तथा पक्ष में कोई भेद-भाव बरता जाता है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस भेद-भाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसा भेदभाव समाप्त करने का है और यदि हां तो कब तक ऐसा करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० युनूस सलीम) :

(क) (i) **परिसीमा** : परिसीमा अधिनियम 1963 सभी मामलों में लागू हैं किन्तु वक्फ की स्थावर सम्पत्ति के कब्जे के लिए ऐसे वाद-हेतुकों के मामले में जो 14-8-47 और 7-5-54 के बीच उत्पन्न हुए थे परिसीमा काल 1969 के अधिनियम 9 द्वारा यथासंशोधित लोक वक्फ (परि-सीमा विस्तार) अधिनियम, 1959 द्वारा 31 दिसम्बर 1970 तक बढ़ा दिया गया है।

(ii) **न्यायालय फीस** : विभिन्न राज्यों में विभिन्न उपबन्ध लागू हैं।

(iii) **न्यायालय प्रक्रिया** : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबन्ध सभी मामलों को लागू हैं, अतएव साधारणतया वे समान हैं। किन्तु, उच्च न्यायालय उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची में दिए गए नियमों में संशोधन कर सकते हैं, फिर भी वे इस शक्ति का प्रयोग कर के विभेदकारी प्रकृति के नियम नहीं बना सकते हैं और न इस प्रकार के कोई संशोधन कर सकते हैं।

(ख) लोक वक्फ (परिसीमा विस्तार) अधिनियम, 1959 जिस कारण पारित किया गया था वह यह था कि अनेक मुतवल्ली विभाजन के परिणामस्वरूप प्रवास करके पाकिस्तान चले गए थे और बहुत से मामलों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वक्फ सम्पत्तियों पर विधि-विरुद्ध दखल के मामलों का पता लगाता या ऐसी सम्पत्तियों का कब्जा वापस लेने के लिए कार्रवाई करता। चूंकि ऐसे मामले, जिन में कब्जा वापस लेने की कार्रवाई की जानी थी भारी संख्या में थे, इसलिए 1969 के संशोधन अधिनियम 9 द्वारा इस कालावधि को 31 दिसम्बर 1970 तक बढ़ाना पड़ा।

(ग) लोक वक्फ (परिसीमा विस्तार) अधिनियम, 1959 के अधीन विशेष परिसीमाकाल को वास्तव में विभेद नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऐसी विशेष परिस्थितियां मौजूद थीं जिन में उस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मामलों में बढ़ाया गया परिसीमाकाल न्यायानुमत था। किसी भी दशा में इस परिसीमाकाल का अवसान 31 दिसम्बर 1970 को हो जाएगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का निरीक्षण

9420. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण यूनिट ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का निरीक्षण करते समय अपना अध्ययन केवल निम्न ग्रेड पाने वाले कर्मचारियों तक सीमित रखा था और उच्चतर ग्रेड पाने वाले कर्मचारियों की संख्या की जांच नहीं की थी; और

(ख) यदि हां तो उच्चतर स्तर के ढांचे की जांच न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय लघु उद्योग प्रोटोटाइप तथा प्रशिक्षण केन्द्र कर्मचारी संघ से मांग-पत्र

9421. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय, कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग कर्मचारी प्रोटोटाइप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के कर्मचारी संघ ने एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों को युक्तिसंगत बनाने के लिये एक समिति की नियुक्ति की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने विद्यमान भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में पुनरीक्षण तथा सिफारिशें करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी।

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के निदेशक मंडल के पास मामला विचाराधीन है।

रेलवे के लेखा विभाग तथा अन्य विभागों में कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के रूप में पदोन्नत करने की पद्धति में अन्तर

9422. श्री भालजीभाई परमार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लेखा विभागों और अन्य विभागों में कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ लिपिक के रूप में पदोन्नत करने की पद्धति में कोई अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां। लेखा विभाग में 130–300 रु० के अधिकृत वेतनमान में क्लर्क ग्रेड-I के 20 प्रतिशत रिक्त-स्थान वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर ग्रेड-II (110–180) रु० के क्लर्कों को पदोन्नति देकर भरे जाते हैं और शेष रिक्त-स्थान ग्रेड-II के उन क्लर्कों को पदोन्नति देकर भरे जाते हैं, जो विभाग द्वारा ली गयी अपेंडिक्स-II परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। लेखा विभाग से भिन्न विभागों में ग्रेड-II के क्लर्कों को वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर 90 प्रतिशत रिक्त-स्थानों तक क्लर्क, ग्रेड-I के रूप में पदोन्नति दी जाती है। शेष 10 प्रतिशत रिक्त-स्थान विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाते हैं, जिसमें केवल क्लर्क ग्रेड-II ही बैठ सकते हैं।

(ख) लेखा विभाग में, वरिष्ठ क्लर्कों के लिए वित्तीय और लेखा सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों का पर्याप्त ज्ञान अपेक्षित है। इसकी जांच अपेंडिक्स II-ए परीक्षा द्वारा होती है।

प्रतियोगी और अर्हक परिशिष्ट—11-क परीक्षा में अन्तर

9423. श्री भालजीभाई परमार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के प्रयोजन के लिये लेखा विभाग की परिशिष्ट-II-क परीक्षा को अर्हक माना जाता है अथवा प्रतियोगी माना जाता है;

(ख) यदि इसे प्रतियोगी परीक्षा नहीं माना जाता है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतियोगी तथा अर्हक परीक्षा में क्या बुनियादी अन्तर है?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) लेखा विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी भी शामिल हैं, ग्रेड-II से ऊपर के पद पर पदोन्नति देने के प्रयोजन के लिए अपेंडिक्स II-ए एक अर्हक परीक्षा है।

(ख) चूंकि उद्देश्य केवल इस बात की जांच करना रहता है कि उम्मीदवारों को नियमों तथा कार्यविधियों का सम्यक् ज्ञान है या नहीं, इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा लेना ज़रूरी नहीं समझा जाता।

(ग) यद्यपि अर्हक परीक्षा में केवल इस बात की जांच की जाती है कि उम्मीदवार अपेक्षित स्तर की योग्यता रखते हैं या नहीं और उनके पद या योग्यताक्रम को कोई तरजीह नहीं दी जाती तथापि प्रतियोगिता परीक्षा में केवल उतने ही उम्मीदवारों को, उनकी योग्यता-क्रम के अनुसार चुना जाता है, जितने अपेक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए जरूरी होते हैं।

आरक्षित कोटे में परिशिष्ट II-क परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

9424. श्री भालजीभाई परमार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : .

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये परिशिष्ट II-क परीक्षा को अर्हक माना जाता है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया से लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित कोटे में पदोन्नति की गुंजायश या प्रावधान नहीं रहता जैसा कि अन्य विभागों में है;

(ग) क्या ऐसी प्रक्रिया असंगत तथा भेदभावपूर्ण है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी असंगति तथा भेदभाव को दूर करने के लिये प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, यह ग्रेड-II के सभी क्लर्कों (जिन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के क्लर्क भी शामिल हैं) के लिए हैं।

(ख) सब-हेड के पद तक पदोन्नतियां अर्ह कर्मचारियों में से, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर, की जाती हैं और इन पदों के लिए, जो कि अप्रवरण पद हैं, कोई कोटा आरक्षित नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

9425. श्री भालजीभाई परमार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,:

(क) बड़ौदा दोहद, रतलाम और कोटा यूनिट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी श्रेणीवार, काम कर रहे हैं और पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग में प्रत्येक श्रेणी में उनकी कितनी-कितनी प्रतिशतता है;

(ख) क्या प्रत्येक श्रेणी में रिक्त पदों को भरने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियां के कर्मचारियों को उचित प्रतिशतता दी जाती है; और

(ग) यदि इसमें कोई कमी है तो रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क), (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लघु प्लास्टिक एककों में नायलोन की कमी

9426. श्री के० रमानी : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु प्लास्टिक औद्योगिक एक्कों को सप्लाई किये जाने वाले नायलोन पाउडर की कमी है;

(ख) क्या सरकार ने इन एक्कों को पर्याप्त नायलोन पाउडर सप्लाई करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो 1970 के प्रथम तीन महीनों में सप्लाई किये गये पाउडर की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1969-70 में छोटे औद्योगिक कारखानों का वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंस दिए गए थे। भारत सरकार द्वारा उनको कोई वास्तविक सप्लाई नहीं की जाती।

नये इस्पात कारखाना के डिजाइन तैयार करने के लिये विदेशी सहायता

9427. श्री एस० आर० दामानी: क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भविष्य में स्थापित किये जाने वाले इस्पात कारखानों के डिजाइन तैयार करने के मामले में भारत अब आत्मनिर्भर है;

(ख) इस कार्य को कौन-कौन सी भारतीय तथा विदेशी ऐजेंसियां कर रही हैं और गत तीन वर्षों में उन्हें कितना भुगतान किया गया है; और

(ग) क्या हाल में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित तीन नए इस्पात कारखानों के डिजाइन तैयार करने में विदेशी सहायता मिलेगी और यदि हां, तो किन शर्तों पर?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, हां। तकनीकी जानकारी में कमियों को पूरा करने और इस्पात प्रौद्योगिकी में विदेशों में हुए नवीनतम विकास से अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के कारण अब भारतीय परामर्शदाता आधुनिक इस्पात कारखानों के रूपांकन करने में सक्षम है।

(ख) इस समय परामर्श देने का कार्य कर रहे अभिकरण में हिन्दुस्तान स्टील लि० का केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन कक्ष, दस्तूर एण्ड कम्पनी तथा रूस के गिप्रोमेज शामिल है। पिछले तीन वर्षों में उनको दी गई राशि के बारे में पता लगाया जा रहा है और सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इनके अतिरिक्त मेसर्स एटकिन्स एण्ड कं० तथा मेसर्स कुल्जियन भी निजी क्षेत्र में ऐसी सेवायें कर रहे हैं। उनकी सेवाओं का ठीक रूप और उनको दी गई राशि के बारे में सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) तीनों नये इस्पात कारखानों का आयोजन और इंजीनियरी कार्य भारतीय परामर्शदाताओं द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है यद्यपि वे विदेशी दलों से किये गये समझौते के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली जानकारी का फायदा उठाने के लिए स्वतंत्र है।

हसन-मंगलोर रेलवे लाइन पर कार्य स्थगित करना और ठेकेदार को भुगतान रोकना

9428. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हसन-मंगलोर रेलवे लाइन के रीच एक्स पर काम कितने समय के लिए स्थगित है और उससे परियोजना को पूरा करने में कितना विलम्ब हो जायेगा।

(ख) स्वीकार तथा संशोधित किये गये टेंडर का अनुमित मूल्य कितना है;

(ग) नये मांगे गये टेंडरों में सब से कम दर का टेंडर कौन सा था और इसको स्वीकार क्यों नहीं किया गया; और

(घ) मूल ठेकेदार को, जिसके कार्य को रोक दिया गया था, कुल कितना धन देना है तथा इसका कार्य किस आधार पर रोक दिया गया था ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) हसन-मंगलूरू रेलवे लाइन के 'रीच एक्स' में काम कभी स्थगित नहीं रहा। इस खंड में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 10 से अधिक टेण्डर हैं। इनमें से मेसर्स वी० एल० रोश एण्ड ब्रदर्स नामक एक ठेकेदार ने अपने अंश का काम प्रारम्भ नहीं किया, जिसके फलस्वरूप उसका ठेका रद्द कर देना पड़ा और उसका ठेका दूसरे ठेकेदार को देना पड़ा। लेकिन ऐसी आशा नहीं है कि इस कारण परियोजना को पूरा करने में विलम्ब होगा।

(ख) मेसर्स वी० एल० रोश एण्ड ब्रदर्स के मूल स्वीकृत टेण्डर का मूल्य 30.35 लाख रुपये था। कम काम के लिए दिये गये नये स्वीकृत ठेके का मूल्य 23.44 लाख रुपये है।

(ग) सबसे कम दर के टेण्डर का मूल्य 22.02 लाख रुपये था, लेकिन इसे इस कारण स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि वह टेण्डर की शर्तों के अनुरूप नहीं था।

(घ) चूंकि मेसर्स वी० एल० रोश एण्ड ब्रदर्स द्वारा ठेका छोड़ दिये जाने के कारण रेलों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए ठेके की शर्तों के अनुसार, अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए उक्त फर्म की पर्याप्त रकम रोक रखी जा रही है। वस्तुतः कितनी रकम रोक रखी जाये, इसका अभी निर्धारण करना है।

कोयम्बतूर में छोटे पैमाने के इंजीनियरिंग कारखाने

9429. **श्री के० रमानी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बतूर जिले में छोटे पैमाने के कुल कितने इंजीनियरिंग कारखाने हैं,

(ख) वे किस प्रकार का माल तैयार करते हैं;

(ग) उनको प्रतिवर्ष लोह अयस्क तथा कच्चे माल की कुल कितनी आवश्यकता होती है; और

(घ) सरकार ने उनको कच्चे माल की सप्लाई नियमित रूप से बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जरोदा नारा स्टेशन बनाने के लिये जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई थी उनको मुआवजे का भुगतान

9430. **श्री लताफत अली खां** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 12 अथवा 13 वर्ष पूर्व उत्तर रेलवे के दिल्ली-सहारनपुर सेक्शनों पर जरोदा नारा नामक एक रेलवे स्टेशन बनाया गया था;

(ख) क्या स्टेशन की इमारत और कर्मचारियों के मकान बनाने के लिये जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई थी उन्हें मुआवजा दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार कब तक निर्णय करेगी और मुआवजे का भुगतान करेंगे?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जरोदा नारा स्टेशन 1963 में बनाया गया था।

(ख) और (ग) रेलवे ने पूरी रकम राज्य सरकार के हवाले कर दी है जो उन लोगों को मुआवजे का भुगतान करेगी जिनकी जमीन इस स्टेशन के लिए ली गयी थी। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक केवल एक एकड़ के बारे में निर्णय दिया है। शेष 25.832 एकड़ के बारे में अभी राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जाना है।

कचेगुडा (आंध्र प्रदेश) का चल-टिकट परीक्षक

9431. **श्री तैन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **रेलवे** मंत्री कचेगुडा (आंध्र प्रदेश) के चल, टिकट परीक्षक के बारे में 16 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4040 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित वरिष्ठ सतर्कता निरीक्षक पर यह आरोप लगाया गया था कि वह 13 फरवरी, 1969 को पहले दर्जे के डिब्बे में अपने बच्चों को अनधिकृत रूप से ले जा रहे थे और क्या उनसे अतिरिक्त किराया वसूल किया गया था;

(ख) क्या इस घटना के बारे में डिवीजनल अधिकारी ने कोई रिपोर्ट दी थी;

(ग) वरिष्ठ सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। मण्डल प्राधिकारियों ने इस घटना के सम्बन्ध में वरिष्ठ टिकट कलक्टर द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की एक प्रति मात्र भेजी थी।

(ग) और (घ) वरिष्ठ सतर्कता निरीक्षक के खिलाफ शिकायत की जांच रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय द्वारा की गयी थी और जांच के परिणाम सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिये गये थे। आयोग ने राय दी कि वरिष्ठ सतर्कता निरीक्षक के खिलाफ शिकायत में कोई सार नहीं है।

भारतीय बायलर अधिनियम में संशोधन

9432. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय बायलर बोर्ड ने भारतीय बायलर अधिनियम में कुछ संशोधन किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सुझायें गये संशोधन क्या हैं ; और

(ग) क्या इन संशोधनों से देश के निर्यात व्यापार पर कोई प्रतिकल प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 25 से 28 मार्च, 1970 को हुई अपनी बैठक में सेन्ट्रल बायलर्स बोर्ड ने भारतीय बायलर्स अधिनियम 1923 के अन्तर्गत बने भारतीय बायलर विनियम 1950 में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की थी ताकि इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की बायलर संहिता, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन तैयार तथा प्रकाशित किया है के अनुरूप बनाया जा सके।

(ख) केन्द्रीय बायलर बोर्ड द्वारा दिये गये सुझाव निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :

(1) भारतीय बायलर अधिनियस 1923 की परिधि में आने वाले बायलरों के माल, नमूने, निर्माण कारीगरी, परीक्षण तथा निरीक्षण इत्यादि और

(2) देश में निर्मित बायलरों के निर्यात के लिये विदेशी संहिता की अपेक्षाओं के लिये बायलरों का प्रमाणीकरण।

(ग) बायलर विनियम में संशोधनों के सुझाव जो विचाराधीन है, निर्यात के संवर्द्धन के लिये हैं।

एक अमरीकी इंजीनियर द्वारा इंजीनियरी का कार्य करने के लिये अपनी भारत की यात्रा के बारे में मत व्यक्त किया जाना

9433. **श्री क० लकप्पा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कम्पनी से एक अमरीकी इंजीनियर मिस्टर जे० डी० एडमंड्स ने मत व्यक्त किया है कि इंजीनियरी कार्य करने की उनकी इस देश की यात्रा अनावश्यक थी;

(ख) इस विदेशी विशेषज्ञ पर कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) देश में जिन विषयों की तकनीकी जानकारी उपलब्ध है उनके लिये विदेशी विशेषज्ञों के बुलाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पुरी में रेलवे प्राथमिक स्कूल के अध्यापन कर्मचारियों का बढ़ाया जाना

9434. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को मालूम है कि उड़ीसा सरकार तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के शिक्षा अधिकारी हालांकि पुरी स्थित रेलवे प्राथमिक स्कूल के अध्यापन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को सहमत हो गये थे परन्तु अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और

(ख) सरकार ने इस स्कूल के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

साइकिल निर्माताओं की साइकिल की कीमतों में वृद्धि की मांग

9435. **श्री जार्ज फरनेन्डीज**: क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साइकिल निर्माताओं ने साइकिलों की कीमतों में वृद्धि किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार साइकिलों की कीमत में वृद्धि की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) भारत के साइकिल निर्माता संघ ने प्रति साइकिल मूल्य में 16 रुपये की वृद्धि करने के लिए आवेदन दिया है उनका कथन है कि कच्चे माल के तथा पुर्जों के उत्पादन मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण इसमें वृद्धि करना आवश्यक हो गया है।

(ग) और (घ) आवेदन पर विचार किया जा रहा है।

कोका-कोला की बोतलें भरने का संयंत्र

9436. **श्री जार्ज फरनेन्डीज**: क्या **औद्योगिक विकास, अन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कोका-कोला की बोतलें भरने के कुल कितने संयंत्र हैं;

(ख) क्या ऐसे और अधिक संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं;

(ग) मूल अमरीकी कम्पनी तथा उसके भारत में बोतलें भरने वाले एजेंटों के बीच सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार सहयोग करार को रद्द करने पर विचार करेगी जिससे वातित जल जैसी एक गैर-आवश्यक वस्तु पर लाभ बाहर भेजा जा रहा है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) भारत में कोका-कोला की बोतलें भरने वाली रजिस्टर्ड कम्पनियों की कुल संख्या बाईस है।

(ख) इस संबंध में विस्तार के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) यदि बोतलें भरने वाली कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनी या भारत में उसकी शाखा के बीच कोई करार हुए हैं तो उनके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं है क्योंकि ये करार तकनीकी व वित्तीय सहयोग के करारों जैसे नहीं हैं। कोका कोला का मसाला भारत में विदेशी कम्पनी की शाखा द्वारा बनाया जाता है तथा भारतीय कम्पनियों को सप्लाई किया जाता है जो केवल बोतलों भरने का काम करती हैं। बोतलें भरने के संयंत्रों को चलाने के लिए बोतलें भरने वाली कम्पनियों द्वारा आवश्यक पूंजी की व्यवस्था की जाती है। ये कम्पनियां विपणन की व्यवस्था भी करती हैं और उन्हें क्वालिटी व विशिष्ट मानकों के अनुसार कोका कोला का उत्पादन करना होता है व उसकी बोतलें भरनी होती हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनधिकृत कब्जे से रेलवे भूमि को खाली करवाने के लिये अधिकारियों की शक्तियां

9437. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों से रेलवे भूमि को खाली करवाने के सम्बन्ध में रेलवे में कोई व्यवस्था या नियम है;

(ख) क्या अनधिकृत कब्जे को खाली करवाने का अधिकार किसी अधिकारी को दिया गया है; और

(ग) यदि पहले वाला पट्टेदार किसी मामले में प्लाट खाली नहीं करता और वैद्य रूप से कब्जे के हकदार व्यक्ति को उस पर कब्जा नहीं करने देता, तो उस व्यक्ति को उस भूमि का कब्जा दिलवाने के लिये रेलवे के पास क्या उपाय रह जाता है और रेलवे अनधिकृत कब्जे की अवधि का किराया किस प्रकार वसूल करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। रेलवे की जमीन पर अनधिकृत कब्जा करने वालों को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत बेदखल किया जा सकता है।

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षेत्रीय रेलों पर कुछ राजपत्रित कर्मचारियों को संपदा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त अधिनियम के अधीन इन अधिकारियों को अनधिकृत कब्जा करने वालों को बेदखल करने का अधिकार प्राप्त है। रेलवे की जमीन का अनधिकृत उपयोग और कब्जा करने के कारण संपदा अधिकारी जो किराया और/या हर्जाना निर्धारित करते हैं उसका भुगतान अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

छपरा रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर प्लाट संख्या 2 के लिये रेलवे को किराये का भुगतान न करना

9438. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्लाट संख्या 2 एक पुराने पट्टेदार के कब्जे में है और वह रेलवे को अथवा प्लाट के वास्तविक पट्टेदार को किसी प्रकार का किराया दिये बिना उस भूमि का लाभ उठा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों ने पुराने पट्टेदार से यह भूमि खाली कराने और वास्तविक व्यक्ति को उसे दिलाने के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ग) क्या यह सच है कि इस मामले में पुराने पट्टेदार ने अदालतों में अनेक मामले दर्ज कराये परन्तु सभी का निर्णय उसके विरुद्ध हुआ और फिर भी वह प्लाट को खाली नहीं कर रहा है और उसका स्वयं तथा आगे किरायेदारों को देकर प्रयोग कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे पुराने पट्टेदार से कैसे भुमि खाली कराने जा रही है और जब से वह जबर्दस्ती के तथा अनधिकृत रूप से उस पर काबिज है तब से उससे दण्ड स्वरूप किराया वसूल करने के लिये रेलवे क्या कार्यवाही कर रही है?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। यह प्लाट पुराने पट्टेदार के अनधिकृत कब्जे में है।

(ख) जी नहीं। अनधिकृत कब्जा करने वालों को बेदखल करने के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रेलवे ने पहले से ही बेदखली का मुकदमा दायर किया है।

(ग) जी नहीं। उसने छपरा के मुंसिफ की अदालत में केवल एक ही मुकदमा दायर किया है, जो अभी अनिर्णीत है।

(घ) सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1958 के अर्न्गत पूर्वोत्तर रेलवे के संपदा अधिकारी के समक्ष रेलवे ने बेदखली का एक मुकदमा दायर किया है। जैसे ही बेदखली के मुकदमे का निर्णय होगा उसी के अनुसार पुराने पट्टेदार से बकाया किराया और हर्जाने की रकम वसूल की जायेगी।

दक्षिण रेलवे के फायरमैनों के आन्दोलन के बारे में

RE : FIREMAN'S AGITATION ON SOUTHERN RAILWAY

श्री नम्बियार (तिरुचेरापल्लि) : श्रीमान् मैं दक्षिण रेलवे के फायरमैनों के आंदोलन से उत्पन्न हुई स्थिति के प्रश्न को उठाना चाहता हूं। वहां अनेक गाड़ियों के चलने को रद्द कर दिया गया है। बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। कृपया मंत्री महोदय इस पर एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। इस प्रकार खड़े मत होइये।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

Matter Under Rule 377

राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, with your permission I want to raise a matter under rule 377. It is good that hon. Minister of Food is present in the House. Sir, you might be aware that a session of National Food Congress is being held now. This is under the auspices of Ministry of Food and a society called—Freedom from Hunger Campaign. All the states of India are participating in it. But it has come in the newspapers today that Punjab Government is boycotting it. We would like to know the reasons of this boycot.

Sir, you very well know that Punjab has played an important role in the campaign to increase food output of the country. We want to know as to why Punjab is not participating in this conference.

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया है। उसे कल लिया जायेगा।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): चूंकि यह बात उठायी गई है तो मुझे स्पष्टीकरण देने दिया जाये। इस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस का आयोजन किया गया है। हमने उन व्यक्तियों को आमंत्रित किया है जिनकी व्यक्तिगत रूप से ख्याति है और राज्य सरकारों को भी बुलाया गया है। श्री गुरनाम सिंह को व्यक्तिगत हैसियत में बुलाया गया है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। इस पर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह बात गलत है कि श्री गुरनाम सिंह सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मैं इसका अध्यक्ष हूं।

ऐसी प्रथा है कि सम्मेलन के दौरान कुछ उप समितियां बनायी जाती हैं। श्री गुरनाम सिंह इस उपसमिति के अध्यक्ष होंगे। मैं आशा करता हूं कि जो गलतफहमी हो गई थी अब वह समाप्त हो जायेगी।

महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में

RE : COMMUNAL DISTURBANCES IN MAHARASHTRA

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी): मैंने महाराष्ट्र के सम्प्रदायिक दंगों के बारे में कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। मुझे पता चला है कि दंगे फैलते जा रहे हैं। अब आपने कल के लिये किसी अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा था कि मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा। यह एक बहुत ही अधिक महत्व का विषय है। मुझे कुछ अस्पष्ट सा लगा कि क्या हम इस विषय पर चर्चा कर भी सकते हैं अथवा नहीं? इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आया था। सभी का यही मत था कि नियम 193 के अन्तर्गत इस पर चर्चा की जाये। अतः हमने कल इस पर चर्चा करना तय किया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वायदा करार (विनियमन) अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानुप्रकाश सिंह): मैं श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वायदा करार (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) एस० ओ० 1952, जो दिनांक 26 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० ओ० 1153, जो दिनांक 26 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) वायदा करार (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 28 के अन्तर्गत जारी किये गये वायदा करार (विनियमन) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1231 में प्रकाशित हुए थे।

(3) व्यापारिक तथा पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1355 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 25 [नवम्बर, 1959 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2601 में कतिपय संशोधन किया गया था।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पचांसवां प्रतिबेदन

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन से, जो 11 मई, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रालय के 50वें प्रतिवेदन स जो 11 मई, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The **motion** was adopted.

इस के पश्चात लोक सभा मध्यानह भोजन के लिये 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL THIRTY MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 35 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT THIRTY-FIVE MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव--जारी

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL AND MOTION RE : ANNUAL REPORTS OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों पर अग्रेतर विचार जारी करेगी।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैंने कल बताया था कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई। इसे राज्य सभा पहले ही पारित कर चुकी है। सप्रू समिति की मुख्य सिफारिश, जिस पर शिक्षा आयोग ने भी विचार किया है और इस संशोधन का आधार है, आयोग के सदस्यों के बारे में है। प्रारम्भ में विश्वविद्यालय आयोग में नौ सदस्य थे। उनमें से तीन उपकुलपतियों में से होते थे और एक अध्यक्ष होता था जो पूरे समय के लिये वेतन भोगी व्यक्ति था। अब प्रस्ताव यह है कि आयोग के 12 सदस्य हों। दो सरकारी अधिकारी होंगे। पांच सदस्य विश्वविद्यालय के अध्यापकों से चुने जायेंगे। शेष चार सदस्य विख्यात शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, उद्योगपतियों आदि में से लिये जायेंगे।

यहां पर एक माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है कि शब्द 'अधिकारी' हटा दिया जाये। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

विधेयक में यह भी व्यवस्था की जा रही है कि अध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग तीन पूरे समय के वेतनभोगी सदस्य होंगे। जिन संस्थाओं को आयोग से सीधे सहायता मिलती है उनके प्रमुख आयोग के सदस्य नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि आयोग बिल्कुल निष्पक्ष रहकर कार्य करे।

सरकार ने 11 में से 3 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में रखा है। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद मेरा इरादा है कि यह सुझाव दूं कि पूरे समय के सदस्यों की नियुक्ति की जाये। मेरे विचार में कुछ ऐसे काम हैं कि जिनके काम से निपटने के लिए अध्यक्ष के पास समय नहीं होता। मैं समझता हूं कि "विद्यार्थी कल्याण" कार्य के लिए एक अलग सदस्य होना बहुत आवश्यक है। 'विद्यार्थी समस्या' एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम समूचे देश में समन्वय का कार्य करना है। इसका अपना विशेष महत्व है। इस आयोग का शिक्षा मंत्रालय से भी अधिक प्रभाव है। यह बात बहुत हितकर होगी यदि इसके सदस्यों की आयोग के कार्य के अलावा और जिम्मेदारियां न हों।

मेरा यह सुझाव देने का भी विचार है कि कालेजों के मामलों के कार्यों के लिये भी आयोग का एक पूरे समय का सदस्य हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था में कालेजों का विशेष स्थान है और कालेजों के विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र जैसे पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, होस्टल भवनों आदि के लिये आयोग

[डा० वी० के० आर० वी० राव]

बहुत राशि उपलब्ध करता है। उसके ठीक ढंग से प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिये एक ऐसे सदस्य का होना बहुत आवश्यक है।

इसी प्रकार आयोग पाठ्यक्रमों के निर्धारित करने और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को मालूम करने आदि के अनेक कार्य करता है। उन सभी के बारे में बाद में ठीक से अमल हो, इस कार्य के लिये भी एक सदस्य होना चाहिये।

इस विधेयक में एक खण्ड ऐसा है जिसके अन्तर्गत ऐसी नियुक्तियां की जा सकेंगी।

हम महसूस करते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रबन्ध केवल शिक्षकों के हाथ में नहीं होना चाहिए। जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से सम्बद्ध व्यक्तियों अर्थात् कृषि, व्यापार और उद्योग आदि से सम्बद्ध योग्य व्यक्तियों को भी आयोग का सदस्य बनाया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों के विकास का कार्य भी करता है। यह उन्हें इस कार्य के लिये अनुदान देता है। यह सुझाव भी दिया गया है कि आयोग को केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों को रखरखाव सम्बन्धी अनुदान देने चाहिये। यह एक अच्छा सुझाव है।

सरकार ने यह सुझाव स्वीकार नहीं किया। सरकार के विचार में राज्य विश्वविद्यालयों का मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह अनुभव रहा है कि जब भी राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है तो इस बात की कोई गारन्टी नहीं होती कि विकासीय गतिविधियां उस समय के बाद भी जारी रहेंगी जिस समय के लिए आयोग ने अनुदान दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रायः पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुदान देता है और प्रायः ऐसा होता है कि राज्य सरकारें अनुदान का अपना हिस्सा नहीं देतीं जिसके परिणामस्वरूप वे विश्वविद्यालय विकासीय गतिविधियां चालू रखने में असमर्थ हो जाते हैं। गत तीन चार वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों के लिए अग्रिम अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रयत्न किया है जिसमें अनुसंधान और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की ओर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे 30 केन्द्र पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं जिसमें से 17 केन्द्र तो प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं और 13 केन्द्र सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि अधिकांश केन्द्र राज्य विश्वविद्यालयों में स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, केवल राज्य विशेष के उद्देश्य की नहीं। अतः सरकार ने यह अनुभव किया कि विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व न केवल राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली विशेष कार्यवाहियों के लिए विकासीय अनुदान देना होगा बल्कि उनको अनुरक्षण अनुदान देना भी सरकार का कर्त्तव्य होगा। लेकिन इस सिद्धांत का पालन नहीं किया गया क्योंकि अभी तक आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान नहीं दिया गया है। अब इस विधेयक में यह व्यवस्था दी गई है कि आयोग को सामान्य या विशेष उद्देश्य के लिए तथा विकासीय गतिविधियों के लिए अनुरक्षण अनुदान देने का पूरा अधिकार होगा। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य में यह पहली महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। तथाकथित समकक्ष (डीम्ड) विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान देने का कार्य भी केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दिया है। अतः अयोग के कार्य में यह दूसरी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। संशोधनकारी विधेयक के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना राज्य सरकार जो विश्वविद्यालय स्थापित करती है उसके लिए अनुदान देने से

आयोग को रोका गया है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है लेकिन केन्द्रीय सरकार का अनुभव रहा है राजनीतिक संस्थाएं होने के कारण ये राज्य सरकारें इन विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हैं। सरकार ने विश्वविद्यालयों का विस्तार तो कर दिया है पर इस कार्य के पीछे न तो कोई योजना है और न ही पर्याप्त संसाधन। आज हमारे देश में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जो आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं और जिसके कारण अध्यापक वर्ग और छात्र वर्ग में असंतोष की लहर दौड़ गई है। सरकार ने विश्वविद्यालयों के विस्तार को रोकना चाहा था और स्पष्ट किया था कि यदि राज्य सरकारें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार की सहमति या अनुमोदन बिना कोई विश्वविद्यालय खोलती है तो उन कथित (डीम्ड) विश्वविद्यालयों की कठिनाइयों को दूर करना राज्य सरकार का नैतिक तथा संवैधानिक उत्तरदायित्व होगा। संशोधनकारी विधेयक में ये सब बातें जोड़ दी गई हैं। शेष विधेयक अध्यक्ष की शक्तियों के विधिवत् प्रत्यायोजन के बारे में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया है। जब अध्यक्ष व्यस्त हो या अवकाश पर हो तो किसी भी पूर्णकालिक सदस्य को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना जा सकता है। अतः विधेयक की विशेषताओं का विवरण मैंने ऊपर दिया है। विधेयक पर चर्चा समाप्त करने से पूर्व मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। श्री मधोक ने संशोधन प्रस्तुत किया है कि कथित (डीम्ड) विश्वविद्यालयों को या तो वर्तमान विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कर देना चाहिए या फिर उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अधीन कर देना चाहिए। श्री नम्बियार ने भी सुझाव दिया है कि डीम्ड विश्वविद्यालयों को स्थायी विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? जहां तक उनकी विचारधारा का प्रश्न है, मैं भी डीम्ड विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बनाई गई धारणा के पक्ष में नहीं हूं। जब ये डीम्ड विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं तो उनको सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत किया जाता है और उन्हें एसोसियेशन का ज्ञापन भी दिया जाता है और इन सबके बावजूद भी उन्हें डीम्ड विश्वविद्यालय माना जाता है। जो नया विधेयक पारित किया जाने वाला है उसमें डीम्ड विश्वविद्यालय को आयोग उसी प्रकार अनुरक्षण तथा विकासीय अनुदान देगा जिस प्रकार अन्य विश्वविद्यालयों को जो केन्द्र या राज्य विधान के अनुरूप स्थापित की गई हैं, दिया जाता है।

अतः श्री मधोक द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही यह संभव है कि इन प्रस्तावित विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाए। उदाहरणार्थ जामिया मिलिया, दिल्ली, काशी विद्यापीठ, गुरुकुल विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ और भारतीय विज्ञान संस्थान आदि भिन्न-भिन्न जितने भी संगठन हैं उन पर गहराई से विचार किये जाने की आवश्यकता है। अत : मेरा विचार विशेषज्ञों के एक छोटे से कार्य दल को नियुक्त करने का है जो इन विश्वविद्यालयों की संचालन सम्बन्धी कार्यवाहियों की जांच करेगा और सुझाव देगा कि किस प्रकार इन विश्वविद्यालयों के आदर्श विश्वविद्यालयों में परिणत किया जा सकता है जिससे ये केन्द्र अथवा राज्य के वैधानिक नियंत्रण के अधीन हो सकें। अतः विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित सभी तथ्यों को मैंने स्पष्ट कर दिया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपना संशोधन मनवाने पर जोर नहीं डालेंगे।

अब मुझे दो प्रस्ताव पेश करने हैं। पहला प्रस्ताव विधेयक पर विचार करने से सम्बन्धित है और दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 1965-66, 1966-67, 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार किए जाने से सम्बन्धित है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन 3 मई 1968 को सदन के सभा-पटल पर रखा गया। परन्तु विचार करने के लिए नोटिस दिए जाने के बावजूद भी इस पर विचार नहीं

[डा० वी० के० आर० बी० राव]

किया गया। इसी प्रकार 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन 14 मई 1969 को सभा-पटल पर रखा गया और आज तक सदन में विचार नहीं किया गया है।

जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य का सम्बन्ध है, यह आयोग उच्चतर शिक्षा के मानकों में अनुरक्षण और समन्वय की देखभाल कर रहा है। मैं यहां आयोग के कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे सामने शैक्षणिक मानकों के अनुरक्षण, अद्यतन पाठ्यक्रम और अद्यतन अध्यापन प्रणाली का प्रश्न है। इसके लिए आयोग ने कुछ पुनरीक्षण समितियां बनाई हैं और इसमें क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ नियुक्त किए हैं। इन समितियों के प्रतिवेदनों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में भेजा गया और कई विश्वविद्यालयों ने समितियों की सिफारिशों के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं अध्ययन को सुधारने तथा उसका ढांचा फिर से निर्धारित करने के लिए कार्यवाही की है। प्रसंगवश विभिन्न क्षेत्रों की पुनरीक्षण समितियों की सिफारिशों के मानकीकरण के तत्व को फिर से शुरू करने का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव होगा और इस प्रकार देश के सभी विश्वविद्यालयों में एकता के आधार पर मानकों का अनुरक्षण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को विकासीय अनुदान प्रदान कर रहा है। ये विकासीय अनुदान पाठ्य पुस्तकों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, नए विभाग खोलने, कर्मचारियों, प्रोफेसरों तथा रीडरों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से दिए गए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अग्रिम अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करके शैक्षणिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। 17 केन्द्र प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में तथा 13 सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। हालांकि ये केन्द्र अभी हाल ही में स्थापित हुए हैं। फिर भी इतने समय में जो प्रगति इन्होंने की है उसके आधार पर यह आशा की जाती है कि ये केन्द्र निश्चित रूप से गतिनिर्धारक और विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुसंधान, नवीकरण तथा नई विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अगुआ बनेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने काफी संख्या में ग्रीष्म विज्ञान संस्थान खोले हैं और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 90,000 कालेज अध्यापकों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार स्कूल अध्यापकों के लिए भी ग्रीष्म विज्ञान संस्थान स्थापित किए हैं जिसके अन्तर्गत 12,000 अध्यापकों को शामिल किया गया है। इन संस्थानों में शैक्षणिक मानकों, अनुरक्षण, विकास तथा आदर्श मानकों की प्रगति जैसे प्राथमिक विषयों पर विचार किया जाता है।

यह आयोग परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित विवादास्पद विषयों पर ध्यान दे रहा है। परीक्षा प्रणाली में सुधार का विषय शैक्षणिक विषय न रहकर राजनीतिक और सामाजिक वादविवाद का विषय बन गया है। आयोग ने कई समितियां नियुक्त की हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने परीक्षा प्रणाली के सुधार के कार्य को अपने हाथ में ले लिया है और कुछ विश्वविद्यालयों ने छमाही परीक्षा प्रणाली शुरू की है। इससे विद्यार्थियों के दिमाग पर जो एकदम जोर पड़ा करता था अब नहीं पड़ा करेगा।

कई विश्वविद्यालयों में अन्तः मूल्यांकन प्रणाली प्रारम्भ करने के प्रयत्न किए गए हैं। परीक्षण के तौर पर यह कार्य जारी है। मेरे अपने विचार में परीक्षा प्रणाली में बहुत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के माध्यम से कुछ उपाय करेगी।

आयोग ने अध्यापकों के कल्याण के लिए भी कार्य किए हैं। आयोग ने ही सरकार को यह सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमान बढ़ा दिए जाएं। सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है और इसी के अनुरूप सरकार पांच वर्ष की अवधि के लिए धनराशि दे रही है। कालेज अध्यापकों के वेतनमान में वृद्धि होने का श्रेय भी आयोग पर है। इस सम्बन्ध में सरकार व्यय का 80 प्रतिशत भाग स्वयं वहन करने को तैयार है। तीन राज्यों के अतिरिक्त, जिनसे बातचीत चल रही है, सभी राज्यों ने आयोग की सिफारिशों को मान लिया है।

आयोग विश्वविद्यालय एवं कालेजों के अध्यापन वर्ग के लिए आवास स्थान स्थापित करने और छात्रों के लिए छात्रावास बनाने के लिए सहायता कर रही है। अध्यापक वर्ग के लिए क्वार्टर बनाने के लिए गत 8-9 वर्षों में केवल 4 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं जो कि पर्याप्त नहीं हैं।

सरकार छात्र-कल्याण के लिए भी प्रयत्नशील है। आयोग ने यह कार्य स्वयं संभाल लिया है। आयोग ने सुझाव दिया है कि शिक्षा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कक्षा स्थानों तथा कर्मचारियों तथा छात्रों के कल्याण की समुचित व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसके लिए आयोग ने कई कार्यक्रमों को शुरू किया है। कई विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र बनाए गए हैं। देश के 2,000 कालेजों में पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। आयोग छात्र सहायता निधि में उदारतापूर्वक धन दे रहा है। यह योगदान छात्रों को अनुदान के रूप में दिया जाता है।

भारत सरकार ने छात्र-कल्याण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चालू बजट के लिए 3 करोड़ रुपये की धनराशि देने की व्यवस्था की है। पुस्तकालयों, अध्यापकों, अध्ययन केन्द्रों, दिवस केन्द्रों, छात्रावास की सुविधाओं के जरिए सरकार छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी।

छात्रों के बीच फैले असन्तोष और अनुशासनहीनता की भावना को दूर करने के लिए आयोग ने कई समितियों का गठन किया है जिन्होंने इस समस्या का विश्लेषण किया है। आयोग के अधीन अन्य समितियों ने छात्र असन्तोष के कारणों पर विचार किया है। सरकार छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासन में भाग लेने के विषय पर भी विचार कर रही है। आयोग ने एक समिति नियुक्त की है जो इस बात पर विचार कर रही है कि छात्र विश्वविद्यालय के प्रशासन में कैसे भाग ले सकते हैं और किस स्तर तथा रूप में ले सकते हैं। समस्या गंभीर है परन्तु आयोग ने इसका हल ढूंढ़ लिया है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को यह सिफारिश की है कि वे संयुक्त अध्यापक-छात्र परिषदों की स्थापना करें जिससे अध्यापक एवं छात्र समान समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकें। आयोग ने छात्र असन्तोष के कारणों को जानने के लिए चार पहलूओं से अध्ययन प्रारम्भ किया है और जब विश्लेषण उपलब्ध हो जाएगा तभी एक ठोस एवं रचनात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा।

छात्र असन्तोष की बात की गई है। जब अन्य शिक्षाविद् छात्र असन्तोष की समस्या पर विचार कर सकते हैं तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि छात्र भी समाज के अंग हैं और वे समाज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते और उन्हें समाज से अलग रखकर समस्या का समाधान नहीं खोजा जा सकता। यह भी संभव नहीं कि शिक्षा मंत्री या आयोग छात्रों को ऐसी रामबाण दवा दे सकें जिससे छात्र बुद्धिवादी और अनुशासनप्रिय हो जाएं। अतः छात्रों की समस्या को सुलझाना केवल शिक्षाविदों का काम नहीं। समाज को भी इसमें पूरा सहयोग देना होगा। एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि चर्चा दो विषयों—विधेयक तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तीन प्रतिवेदनों—पर हो रही है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1965 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 29 मार्च, 1967, 3 मई, 1968 तथा 14 मार्च, 1969 को सभा-पटल पर रखा था, विचार किया जाये।"

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त विभाग में अव्यवस्था है। यह बताया गया है कि अगस्त 1966 में यह विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था परन्तु तीसरी लोक सभा के विघटन के कारण यह समाप्त हो गया था इसी से पता चलता है कि मंत्री महोदय इस विधेयक का कितना महत्व समझते हैं। वर्ष 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पास किया गया था। उसके बाद उपर्युक्त आयोग की स्थापना हुई। शिक्षा के सम्बन्ध में जो बेचैनी उस समय थी, वह अब भी बनी हुई है। अध्यापन की विधि से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब राज्य सभा ने इस विधेयक को पास कर दिया था परन्तु लोक सभा की अवधि समाप्त हो जाने के कारण यह विधेयक वहां पारित नहीं हुआ तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी नहीं कर सकती थी? मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। आजकल के विद्यार्थियों को लिखना भी नहीं आता है। लोक लेखा समिति ने एक बात कही थी। सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिये थी, परन्तु इस विधेयक में ऐसा कोई खण्ड नहीं है जिसमें केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति दी गई हो। वर्ष 1956 से 1970 तक उपर्युक्त आयोग के कार्य की कोई समीक्षा नहीं की गई है। मंत्री महोदय को इस आशय का एक खण्ड इस विधेयक में जोड़ना चाहिये।

वित्तीय ज्ञापन में लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 20 करोड़ रुपये का बजट होगा। मेरे विचार में इस देश में 70 विश्वविद्यालय हैं। यदि 20 करोड़ रुपये का बजट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये है तो विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या होगी? जो लोग विश्वविद्यालय के कार्य-संचालन की जानकारी रखते हैं उनका कहना है कि पटना विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय आदि इस लिये बन्द होने वाले हैं क्योंकि वे अध्यापकों तथा कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हैं।

लोक लेखा समिति ने कुछ अन्य कमियों का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग को नियमों में ढील देनी पड़ी थी और जहां पर अधिक भुगतान हो गया था उसको वसूल करने का कार्य भी छोड़ना पड़ा था क्योंकि वे उस राशि को वसूल नहीं कर सके थे।

श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए

SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*

आर्थिक विकास संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ़ इकोनामिक ग्रोथ) के नाम पर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बाहर की संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रश्न उठाया गया है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस संस्थान को 'विश्वविद्यालय' शब्द की परिधि में शामिल किया जाना चाहिये?

फिर हम देखते हैं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में गत 10–15 वर्षों से लाखों रुपयों की मशीनें तथा उपकरण बेकार पड़े हैं और आयोग को इस बात की जानकारी तक नहीं है। जब यह मामला उठाया गया तो समिति को बताया गया था कि इनका उपयोग करने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं।

अन्नामलाई विश्वविद्यालय में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जब अप्रयुक्त अनुदान का उपयोग विश्वविद्यालय के सामान्य व्यय के लिये किया गया है। विश्वविद्यालयों में उपयोगित प्रमाण-पत्रों का भी कोई उचित हिसाब-किताब नहीं रखा गया है। विभिन्न योजनाओं के लिये अनुदान की प्राप्ति का उल्लेख किया गया है परन्तु खर्च का कोई हिसाब नहीं है। अतः वर्ष की समाप्ति पर शेष अनुदान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकती।

इन सब अनियमितताओं और त्रुटियों का उल्लेख कर के मैं इस विधेयक के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। इस पर कुछ अनुभवी तथा विद्वान व्यक्तियों ने प्रशंसनीय कार्य किया है। परन्तु इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की जांच की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में इस विधेयक में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये।

विद्यार्थियों में असन्तोष की भावना फैल रही है। यह बड़े दुःख की बात है कि विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में बम बनाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान इस समस्या के साथ निपटने में बिल्कुल असफल रहा है। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच कोई उचित सम्बन्ध नहीं है। विनय और श्रद्धा का बिल्कुल अभाव है। मेरे विचार में यदि शिक्षा का कार्य उन लोगों को सौंप दिया जाये जो सम्मान प्राप्त कर सकें तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : विधेयक तथा विश्वविद्यालय के तीन प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के लिये बहुत कम समय निश्चित किया गया है। मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रस्तुत विधेयक सप्रू समिति के प्रतिवेदन पर आधारित है। मैं भी उस समिति का सदस्य था। उस समिति का मुख्य लक्ष्य शिक्षा को समवर्ती विषय बनाना था और यदि मंत्री महोदय राज्य सरकारों को इस बात के लिये सहमत कर सके तो जनता मंत्री महोदय को धन्यवाद देगी। समिति ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित कर देना चाहिये जबकि प्रविष्टि 66 संघीय सूची में उसी रूप में रखी जाये। राधाकृष्ण आयोग ने शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने की आवश्यकता को महसूस किया था परन्तु सरकार ने उस सिफ़ारिश को अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान शिक्षा में सुधार और समन्वय करना तथा अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान का स्तर निर्धारित करना और उसे बनाये रखना है। परन्तु ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक शिक्षा को केन्द्र और राज्यों के बीच समवर्ती विषय नहीं बनाया जाता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार इस दिशा में काफी प्रयत्न किया है। परन्तु मेरे विचार में उसे उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उसे शिक्षा के समवर्ती विषय होने पर मिल सकती थी।

भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम सेडलर आयोग नियुक्त किया गया था। यद्यपि उनके निर्देश-पद केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय तक सीमित थे परन्तु उनकी सिफारिशों को भारत के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू किया जा सकता है। इसके बाद और भी कई आयोग नियुक्त

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

किये गये परन्तु उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे राधाकृष्णन् आयोग की एक सिफ़ारिश तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के बारे में थी परन्तु आज भी पूरे देश में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम नहीं अपनाया गया है। भारत सरकार पूरा यत्न करके भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को अपनाने के लिये सहमत नहीं कर सकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब धन मांगा तो सरकार चुप हो गई और उत्तर प्रदेश को पुराने तरीके पर चलते रहने की अनुमति दे दी गई।

नवीनतम आयोग की सिफ़ारिशों को संसद् द्वारा नियुक्त एक समिति ने संक्षिप्त कर दिया है। इस समिति ने केवल कुछ सिफ़ारिशों को स्वीकार किया था और शिक्षा आयोग की सलाह पर कुछ अपनी सिफ़ारिशें की थीं। परन्तु इन सिफ़ारिशों को भी अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

संशोधन विधेयक की धारा 5(3) में लिखा है कि केन्द्रीय सरकार आयोग के एक सदस्य का नाम निर्देशन करेगी जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होगा और जो आयोग का अध्यक्ष होगा। मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि आयोग का अध्यक्ष कोई शिक्षा-शास्त्री होगा। डा० त्रिगुण सेन ने यह आश्वासन राज्य सभा में दिया था। यदि इस उपबन्ध को वैधानिक रूप दिया जाये तो अच्छा रहेगा। अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निदेश दे सकती। यह अलग बात है कि उन्होंने उस शक्ति का उपयोग कभी भी न किया हो।

जहां तक विकास कार्यों के लिये अनुदानों का सम्बन्ध है विश्वविद्यालयों को कभी-कभी बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। वे विकास अनुदान स्वीकार कर लेते हैं और एक पूरा विभाग बना देते है जिसमें रीडर, लेक्चरर आदि नियुक्त भी कर देते हैं और पांच वर्षों के बाद वे यह भी नहीं जानते कि क्या राज्य अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता करेगा या नहीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसी प्रकार की घटना हुई थी। अतः इन मामलों पर विचार किया जाना चाहिये। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय को किसी विषय का विभाग खोलने के लिये प्रोत्साहित करता है तो उसे विश्वविद्यालय को गारन्टी देनी चाहिये कि वह ऐसे कार्यों के लिये विश्वविद्यालय को समुचित सहायता देगा और विश्वविद्यालय आवश्यक धन-राशि के अभाव में अपने आपको असहाय अनुभव नहीं करेगा।

अध्यापक वर्ग में असन्तोष का एक कारण यह है कि उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया गया धन समय पर वितरित नहीं किया जाता जिससे उनको मासिक वेतन के साथ मिल सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

आज छात्रावासों की स्थिति क्या है? कल या आज के समाचार-पत्र में लिखा था कि पुलिस ने बालीगंज साइंस कालेज के छात्रावास पर छापा मारा था और वहां से नक्सलवादियों की सामग्री मिली है। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से बन्द है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जिन कालेजों में छात्रावास हैं वे छात्रावास रखना ही नहीं चाहते और उन्होंने विश्वविद्यालय से कहा है कि वे छात्रावासों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लें। विश्वविद्यालय भी उनको अपने नियंत्रण में लेने की स्थिति में नहीं है, इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक आदर्श अधिनियम बनाना था जो सभी विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाना था। यदि यह अधिनियम बन गया है तो इसे विश्वविद्यालयों को परिचलित किया जाना चाहिये।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : हमारे देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम समस्त शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार करते हैं। अभी भी शिक्षा-प्रणाली पुराने उपनिवेशवादी ढंग पर चल रही है। छात्रों में असन्तोष व्याप्त है। शिक्षा का स्तर गिर रहा है और अध्यापकों में भी असन्तोष है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 22 वर्षों के पश्चात् भी, शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा नहीं बनाया जा सका है। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुखता नहीं दी गई है, परिणामस्वरूप शिक्षा-स्तर में गिरावट आ गई है। अगर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुखता दी जाय तो शिक्षा-स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। स्कूलों में छात्र मातृ-भाषा में अध्ययन करता है, कालेज में उसे किसी अन्य भाषा का अध्ययन करना होता है, इस प्रकार वह किसी भी भाषा में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। शिक्षा के विकास में यह सबसे बड़ी बाधा है।

स्कूलों और कालेजों से लाखों छात्र अध्ययन समाप्त कर निकलते हैं मगर उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। हमें अपनी शिक्षा-पद्धति को इस प्रकार ढालना है कि उन्हें शिक्षा समाप्ति के पश्चात् कुछ न कुछ रोजगार मिल सके, इसके लिये शिक्षा रोजगार-आधारित होनी चाहिये। माध्यमिक शिक्षा-स्तर पर पोलिटेक्नीक आधार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समस्त व्यवस्था के पूर्णतया विरुद्ध हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कालेज शिक्षा का केन्द्रीयकरण किया जा रहा है। मेरी राय में जन संख्या के अनुपात में राज्यों का धन का आवंटन कर दिया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल एक समन्वय-केन्द्र के रूप में कार्य करे। राज्यों को इस विषय में अधिक अधिकार होने चाहिएं। इस विधेयक से यह संकेत मिलता है कि केन्द्र अधिक से अधिक अपने हाथ में लेना चाहता है। अगर राज्य सरकारें कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती हैं, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति के बिना वे ऐसा नहीं कर सकती।

इस विधेयक में एक यह भी आशंका है कि सरकारी अधिकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अधिनियम संख्या में जा सकते हैं। पहले विधेयक में यह व्यवस्था थी कि सरकारी अफसर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नहीं हो सकेंगे परन्तु अब वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इससे नौकर-शाह अपने हाथों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिकाधिक शक्तियां ले सकेंगे और फलतः परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी।

हमारी संस्थाओं में अधिकाधिक विदेशी एजेंटों द्वारा घुसपैठ किये जाने की भी एक समस्या है। फोर्ड फाउन्ड्रेशन और सी० आई० ए० एजेंसियों द्वारा विश्वविद्यालयों के छात्रों को अनेकों छात्रवृतियां दी जाती हैं, यदि नहीं, विदेशी एजेंट भी इन संस्थाओं में घुसपैठ करते हैं। हम अपने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को गिरवी रख रहे हैं। अगर बाहरी एजेंटों को यहां इसी प्रकार आने दिया गया, तो इसके कारण न केवल हम अपने प्रतिभासम्पन्न और मेधावी छात्रों को ही खो बैठेंगे, बल्कि इससे हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

हमारे देश की शिक्षा-संस्थाओं में स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इंजीनियरिंग अथवा मैडीकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ही नहीं, बल्कि प्री-डिग्री या बी०एस-सी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी, 200 रु० या 5000 रु० दान-शुल्क के रूप में अदा करना पड़ता है। अध्यापकों को नौकरी पाने के लिए 5,000 रु० अथवा 10,000 रु० देने पड़ते हैं। मंत्री महोदय को इन बातों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और इस बात का भी स्पष्ट उत्तर देना चाहिए कि इस प्रकार की संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान नहीं मिलेगा।

हमारे अपने राज्य में अध्यापकों की सेवा शर्तें अच्छी नहीं हैं। अध्यापकों को नौकरी पर रख लिया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है। प्राइवेट संस्थायें इन अध्यापकों के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं। मंत्री महोदय को कुछ न कुछ उपाय इन प्राइवेट संस्थाओं के बारे में उठाना चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1966-67 में एर्नाकुलम विश्वविद्यालय के बारे में स्वीकृति दे दी थी, परन्तु वह अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। उसे एर्नाकुलम विश्वविद्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करना चाहिए।

शिक्षा संस्थाओं में छात्र अधिकाधिक ज्ञानार्जन के इच्छुक होते हैं, और वे विश्व की सभी राजनैतिक विचारधाराओं के बारे में जानना चाहते हैं, परन्तु उन्हें इसका अवसर नहीं दिया जाता है। विभिन्न विचारधाराओं का विकृत रूप में उन्हें सिखाया जाता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या वे छात्रों को मार्क्स और एन्जल्स के सिद्धांतों का अध्यापन कराने की व्यवस्था करेंगे? उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का अध्ययन करने का अवसर दीजिए, अन्यथा विकृत विचारों की वजह से वे नक्सलपंथी जैसे आंदोलनों में भाग लेने लगेंगे। (**व्यवधान**)

Shri Randhir Singh (Rohtak): It has been stated in the Bill that there will be representatives from all professions and fields such as Central Govt. teachers, industries, commerce, Engineers and legal experts, but no mention has been made in regard to the representation of students and youth welfare organisation The youngmen of 21 or 23 years have already proved themselves successful Prime Ministers, I will, therefore suggest that students should also be given due representation in U.G.C. Employees' representatives should also be given a place there.

Secondly, it has also been provided in the Bill that tenure of chairman of U.G.C. would be 5 years and he could continue for two more terms at the most, whereas tenure of Member is only 3 years, which might also be extended for two times. This lacuna should be removed.

The present system of education should be radically changed. The colleges should not produce clerks, but good farmers. technicians, artists so that villages could be developed and cottage industries could be established in the villages. Now new colleges should not be opened in the cities, instead there is dire necessity of opening new colleges in the villages. The poor people, even Harijans, have to contribute a large sum of Rs. 500 for construction of school building and staff quarters in the villages. There is no such difficulty in the cities. This discrimination between cities and villages should be done away with.

The farmers and Harijans cannot afford to send their children for studies in the big cities like Delhi, Chandigarh, Calcutta and Trivandrum. Even a village having a population of 10,000 has been considered as a city for imposing professional tax, income tax and capital gains tax, but schools and colleges are established only in the cities. The colleges should also be established in the villages, in which vocational training should be imparted in multiple cropping and concerned subjects. These trained persons should be provided tractors on hire-purchase basis as well as other facilities so that growing unemployment could be checked.

There is very much dissatisfaction among teachers all over India. The teacher is the builder of the nation, and therefore, his demands and requirements should be paid due attention. The teachers do not indulge in strikes and movements, if they do so, studies of the students would suffer. Joint consultative Boards at the State and Central level should be set up for tackling the problems of the teachers.

The youths of a country can change the course of a river and the rising tide of the ocean. The child is the father of the man. Govt. should solve their problems. Voting right should be granted to every youth above the age of eighteen years. The Govt. should give representation to the students for participation in the administration.

So, far as examination system is concerned, it is a useless thing. There is mass copying and cheating in the examination. A student, passing the examination in first class, no matter by foul or fair means, is considered qualified and gets employment; whereas if a really qualified person, if he falls sick during the examinations and getting poor marks, is not able to get employment. The examination system, therefore, needs urgent reforms.

In the matter of employment, even a B.A. degree has got no value. Therefore, Post graduate centres, Law-colleges and medical colleges should be established at Sonipat, Rohtak, Ghaziabad and other places. The education needs to be decentralised now.

A Bill relating to Aligarh University has been submitted to the Education Ministry. It should be expedited and passed as early as possible.

Secondly, scholarships are granted to the brilliant students, but later on they get the employment in America and other foreign countries and thus there is huge brain drain. This has to be checked by providing them handsome salaries and better service conditions.

The private schools and colleges are not the training institutions, but they are money-making shops which have to be closed. For admission in B.T. and B. Ed. courses, they charge nearly one thousand of rupees. The colleges are also run on caste basis. This tendency is a great danger to the national integration. All these have to be paid attention.

Shri Balraj Madhok (South Delhi): The report and Bill concerning University Grants Commission have been brought before the House after a very long time. It was set up so that it can help in running the universities efficiency and that proper standard of education could be maintained. This Commission has been performing most of such functions which should be performed by the Education Ministry.

[Shri Balraj Madhok]

It is evident from the report that number of universities in India has increased. The number of universities at the end of 1968 was so. There are several kinds of universities in India such as central universities, state universities and institutions deemed as universities. There are other types of universities also such as Indian music university and Varanasi Sanskrit University which have enrolment of 111 and 647 students respectively such proliferation of universities should be stopped as it deteriorates the standard of education. There should be only two types of universities such as central advanced studies Universites which may impart training in specialized field of knowledge and the affiliated universities. New universities should be opened only under the compelling circumstances on at such places where it is absolutely necessary to start a new university.

There is no need of Central Universities such as Aligarh and Banaras universities. These universities have different standards of education. They should be brought under uniform structure of education. It is not correct to say that Aligarh university is there for developing the Muslim culture and Banaras University is there for developing the culture of other community. Culture does not belong to any particular community. On the other hand culture is the property of the nation. Therefore there is only one culture in India. I will, therefore, suggest that one uniform pattern of education should be introduced in all the universities otherwise this thing will lead to disintegration of the country. A Bill should be brought farward in the House for the said purpose.

The Government is spending about 20 lakh rupees on the Jamia Millia which has only one thousand students. If this university is converted into a college and is affiliated to any university in Delhi the overhead expenditure can be saved to the tune of 15 lakh rupees and with the help of this money two or three new colleges can be opened in Delhi. Such institutions which are deemed as universities are super fluous and they create communalism even in education.

The number of college going students is increasing. The remedy is not that that we should open new universities instead we should allow students to take the examination privately. All facilities for the purpose should be provided to the students. It will help those students who go outside Delhi for further studies, to study at home and thus save energy and time.

Some criteria should be laid down for the appointment of chancellor, vice-chancellors and principals in the college and universities. Politicians and bureaucrats should not be appointed on such parts through the back door. Any person who is not a good teacher should not be appointed as principal of a school or college. He can command respect only if he is a good teacher. A bureaucrat or an administrator, who is not a good teacher, cannot maintain discipline amongst the students.

English is still being imposed on the students under the pretext of maintaining good educational standard in spite of the fact the Kothari Commission and Parliamentary Committee on the subject recommended that regional languages should be the medium of instructions in universities even for higher studies. It is now being said that change over will take at least ten years. In this way they are ignoring the unanimous decision

of Parliament. The hon. Education Minister should pursue the prolicies of Shri Triguna Sen, the former Education Minister.

The University Grants Commission is creating new classes in the society instead of creating the spirit of unity and integration. We can bring unity and integration in the country only by developing regional languages and a common script of Devanagri. A dictionary of technical terminology should be produced for whole of the country. If we want to bring unity in the country a common national language should be developed.

I am also in favour of granting autonomy to the universities but it should not be misused. The University Grants Commission should have an independent Audit Board which should audit the accounts of universities. It is absolutely necessary to check the misuse of grants being given to the universities. It will also not effect their autonomy.

Although we are talking of students welfare yet even minimum accommodations facilities are not provided to students in institutions such as Pusa Institute. Four students are living in one room. Adequate hostel facilities should be provided to the students. Arrangements should also be made for their entertainment through educational films and televisions.

The Government do not take the co-operation of the publicmen for opening of new universities. This is not a healthy practice. Eminent publicmen should be associated with the functioning of the University Grants Commision, while reconstituting the University Grants Commission the publicmen alongwith the educationists should also be taken in it. In a democracy it is necesssary to have publicmen in such Commissions.

In my amendment I have stated that institutions deemed as universities should be affiliated to the nearest universities. Similarly colleges should also be affiliated to the nearest universities. For example the colleges which located in Aligarh should be affiliated to Aligarh University instead of Agra University so that they can benefit of libraries and laboratories, No university should be allowed to run its own schools or college big or small.

Our universities should be the centres of developing internal relations. Close relations should be established in the field of education with countries of east Asia.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : I thank Sri Rao for providing us an opportunity for discussing the educational problems by bringing forward this Bill.

From time immemorial India has been the centre of education. Students from all over the World used to come in Nalanda and Texila Universities for getting education. But during the British regime a new pattern of education has developed. The Britishers developed this new pattern for creating a new class of persons which they wanted to use for their own vested interest. But with the change of the mind a new University, Banaras Hindu University, came into being which produced patriotic youngmen. This University became the centre of inspiration for all the freedom loving youngmen. But now in almost

[Shri Onkar Lal Bohra]

all the universities indiscipline is prevailing, agitations and demonstrations are taking place. A lot of problems have been created. We must look into the main cause of all these things otherwise we will not be able to deal with them properly.

Commissions were appointed but what was the outcome ? Our Education Ministry is full of several big guns but our problems are going from bad to worse. Our former Presidents Late Dr. Rajinder Parshad, Dr. Radha Krishnan and other Educationists of the country have expressed their concern over the present education system and urged for a basic change in it. The desired moral values of life are not forthcoming from present education. I recollect that once Pandit Jawahar Lal Nehru said that our Universities should be the centres of research. But I want to know whether this image has been reflected by our Universities during the last ten or twenty years. If not, who is responsible for it ? Is it our disappointed student community who is turning to be Naxalite. But I may add that our basic weaknesses are the root cause of it. As long as we do not form characters by human material and human values, I doubt if our universities will be able to produce promising youths who could reconstruct the Country, and establish a new society.

If you are interested in the all round progress of this country whether in the field of sceince, art or agriculture it can only be achieved by youth of our universities. The students of today will be the leaders of tomorrow and the reigns of administration will be in their hands. But after obtaining the University degrees they do not get employment and are frustrated. It is the responsibility of Education Ministry to arrange employment for them so that they may not move to foreign countries.

Besides, today the universities are being headed by the old English patron full of Deans and Vice-Chancellors. The people those who are on the helms of affairs are having fifty year old trend of administration. They are quite unaware of feelings, inspiration and national awakeness of the new age. This problem can not be solved by force. A tremendous atmosphere has been created by new generation and a great revolution is approaching this country through its colleges and universities.

Today there is talk of medium of education. The Kothari Commission, Ministry of Education and Parliament all demanded with one voice that Indian and only Indian languages should be our medium of instruction. So long it is not done standard books will not be available in Hindi and Universities will not produce intellegencia.

It is being realised even by the students that there a fall in the standard of education day by day. Our old educationists also talk of it. We are not doing social justice to our teachers. They are deprived from the independent new methods of teachings because our education system is dominated by bureaucrats. That is why our education system is unchanged. The requirements of new generations are not being met by our universities. Consequently there is rising discontentment. These problems will remain unsolved so long as the people who are on the helm of affairs do not develop the spirit of sacrifice. Mere appointing the Commissions will not serve any purpose.

Lastly I would like to say University Education is the talk of our country. Much can be said about it but in nutshell I would say that the social condition of teachers is not

good. The facilities of hostels and libraries for the students are also inadequate. Even if education is a state subject there should be a uniform system for it and only then it can be useful from national integration point of view. All the public and private schools and colleges should be nationalised and brought at par.

डा० म० सतोषम (तिरुचेंडूर) : मन्त्री महोदय ने सम्भवत: बहुत हर्ष के साथ विश्वविद्यालय आयोग के तीन प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये हैं । यह तीनों ही प्रतिवेदन बिलकुल पृथक पृथक हैं और उनका अध्ययन करके यह बताना बिलकुल असम्भव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुधार की प्रक्रिया 1966, 1967 और 1968 में निरन्तर रूप से चलती रही ।

श्रीमान जी आज देश सब ओर से उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है परन्तु यह उच्च शिक्षा का कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न प्रणालियों के साथ सम्पन्न हो रहा है । यह अच्छा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा केन्द्र स्वायत्त निकाय होने चाहिएं परन्तु जब इन स्वायत्त निकायों को फैलाया गया है तो इसके साथ केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जिम्मेदारियां अधिक बढ़ गई हैं क्योंकि देशभर में फैले हुये शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है यह जिम्मेदारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की है ।

यदि आज इस देश में शिक्षा से किसी सामान्य प्रयोजन को पूरा करना है सर्वप्रथम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश में शिक्षा सम्बन्धी प्रणाली के राष्ट्रीय उद्देश्य का विकास करना चाहियें ।

उच्चतर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं । यदि उच्चतर शिक्षा का लक्ष्य जनता के लिए रोजगार की व्यवस्था करना है तो वह पूर्णतया असफल रही है । यदि हमारा लक्ष्य अपने देश को अपने आप रोजगार प्राप्त करने वाले तकनीशनों से भर देने से है तो भी वह असफल रही है । यदि उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य इस देश में एकता और अखण्डता लाना है तो वहां भी इसे असफलता का ही मुंह देखना पड़ा है ।

जब सभी दृष्टियों से हमारी शिक्षा प्रणाली असफल रही है तो हमें इस के बारे में जागरुक होकर विचार करना चाहिये । हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिये जो विभिन्न विश्व-विद्यालयों में लागू की जा सके और उन सबमें भी राष्ट्रीय एकता में बांधने वाली एक प्रणाली लागू की जानी चाहिये और यदि हम उच्चतर शिक्षा के माध्यम से भी देश में राष्ट्रीय एकता नला तो राष्ट्रीय एकता लाने का और कोई तरीका नहीं है ।

आज भाषायी प्रदेशों के कारण हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो गया है । आज देश का हर व्यक्ति यह अनुभव कर रहा है कि विखण्डन शक्तियां प्रत्येक जगह पर अप्रिय ढंग से अपना काम कर रही हैं । अनिवार्य रूप से हमारी एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिये जो हमारे विद्यार्थियों को एकत्र कर सकने में समर्थ हो । इसके लिए यह अति आवश्यक है कि सम्पूर्ण देश के लिए एक ही शिक्षा प्रणाली बनाई जाये । जिसमें जनता को अपने भावों को एक सामान्य भाषा में व्यक्त करने की क्षमता हो । आज प्रान्तीय भाषाओं की बात होती है । प्रत्येक प्रांत की अपनी भाषा होनी चाहिये । भारत के प्रत्येक प्रान्त में मानवीकी तथा विज्ञान की शिक्षा दी जाती है और इस का माध्यम प्रान्तीय भाषा है । बीस वर्ष बाद हम देश के भावी वैज्ञानिक छात्रों का एक सम्मेलन बुलाते हैं उस समय यह सभी छात्र जब अपनी प्रान्तीय भाषाओं में अपने किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करेगें तो स्थिति क्या होगी ? क्या आप उस के बीसों ही अनुवाद करवायेंगे ? बोलने चालने और समझने की दृष्टि से अंग्रेजी ही

[डा० म० सतोषम्]

एक भाषा है जो एकातमकता की ओर अग्रसर कर सकती है । अतः हमें प्रान्तीय भाषाओं से ऊपर उठकर चलना होगा । हमारी विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इस तरह की होनी चाहिये कि हमारे युवक-युवतियां इस तरह से शिक्षित किये जायें कि वह इस देश के अच्छे भावी नागरिक बन एक सदृश समाज का निर्माण कर सकें ।

यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रावासों, प्रयोगशालाओं और ग्रंथालयों आदि में सुधार के प्रयत्न कर रहा है फिर भी छात्र असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के मुख्य परीक्षण विमान-चालक की विमान-दुर्घटना के बारे में चर्चा ।

DISCUSSION RE. AIR CRASH OF CHIEF TEST PILOT OF HAL

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरी) : 11 जनवरी 1970 को कुछ समाचार पत्रों में यह उल्लेख किया गया कि ग्रुप कैप्टन दास एच० एफ० -24 जेट विमान की नैयमिक उड़ान करते समय मर गये । वास्तविक बात यह है कि कैप्टन दास आधुनिक विमान एच० एफ०-24 जिस को कि एच० एफ०-24 -1 आर० के नाम से भी जाना जाता है, का परीक्षण कर रहे थे । हम यह नहीं जानना चाहते कि क्या नये इंजन को भली भांति साफ कर लिया गया था क्या एच० एफ०-24-1 आर० ढांचे की उड़ान भरने योग्य प्रमाणित कर लिया गया था या नहीं परन्तु प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार गुमराह करने वाला समाचार पत्रों ने कैसे छापा ?

सरकार ने इसके बारे में क्या किया है ? सरकार ने जहां एक ओर ग्रुप कैप्टन को पदम विभूषण प्रदान कर उसे मान देने का प्रयत्न किया है वह दूसरी ओर उस पर लापरवाही का लांछन लगा उसकी मानहानि की है । एक विमान चालक के लिए उसके साथियों का प्यार और इज्जत इन तगमों और पदों से कहीं अधिक महत्त्व का होता है । अगर जांच आयोग ने ग्रुप कैप्टन पर लापरवाही का आरोप लगाया है तो यह लांछन सरकार पर भी आता है । सरकार की जांच समिति के बारे में विभिन्न सन्देह प्रकट किये जा रहे हैं । इस में कौन न्यायाधीश था और कौन गवाह । जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रकार की विभागीय जांचों में गवाह तथा न्यायाधीश दोनों ही सम्बन्धित विभागों के होते है । इस मामले का सम्बन्ध प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से है । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम है और प्रस्तुत विमान का उत्पादन इसी उपक्रम द्वारा किया गया था । ऐसी स्थिति में एक गोपनीय सैनिक जांच का आदेश क्यों दिया गया ?

ऐसा कहा जाता है कि इस जांच से एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला है कि कैप्टन दास की विमान दुर्घटना का मुख्य कारण यह था कि विमान की छतरी ठीक प्रकार से बन्द नहीं थी । ग्रुप कैप्टन दास जैसे प्रमुख्य विमान चालक व्यक्ति के मामले में यह तथ्य पूर्ण रूप से अविश्वासनीय लगता है क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको विमान उड़ाने का बहुत अनुभव था और जिसके पास विशिष्ट योग्यता भी थी ।

समिति ने पता करके यह भी कहा है कि गोली चलाई गई थी परन्तु समिति का विचार है कि यह गोली विमान के टकराने से चली । दूसरे शब्दों में इस का अर्थ यह लिया जा सकता है कि

ग्रुप कैप्टन दास विमान से बाहर निकलने में सफल नहीं हुए यद्यपि वे अपने आप को विमान से निकाल सकते थे तथा सम्भवतः समिति यह भी कहना चाहती है कि ग्रुप कैप्टन दास को यह अवश्य ही पता चल गया होगा कि उनका विमान ऊपर उंचाई की ओर उड़ान भरने में असमर्थ था । इसीलिए चाहे जिस दृष्टि से भी देखे सारा दोष ग्रुप कैप्टन दास पर ही मड़ने का प्रयत्न किया गया है और विमान के किसी भी भाग के ठीक से काम न करने या उसकी मशीनी गड़बड़ी को किसी प्रकार का दोष नहीं दिया गया ।

मैं सभा को यह स्मरण करवा दूं कि आज हमारे विवाद का विषय केवल यही विमान दुर्घटना ही वर्ण आज इस भारतीय वायु सेना के उन सब नौजवानों के बारे में विचार कर रहे हैं जो आये दिन इस प्रकार की घटनाओं का शिकार होते रहते हैं और उनकी मौत के साथ ही उनकी आवाज़ भी समाप्त हो जाती है ।

मैं सभा को ग्रुप कैप्टन दास की योग्यता और व्यक्तित्व से परिचित करवाना चाहती हूं । आप को स्मरण रहे कि ग्रुप कैप्टन दास एक विख्यात पायलेट थे और एक कुशल पायलेट के रूप में उन्हें विश्व जानता है । 1961 में ही उन्होंने एक विमान को ध्वनि की गति से दुगनी गति पर उड़ाया था । ग्रुप कैप्टन दास एशिया के उन गिने चुने पायलेटों में से थे जिन्होंने फर्नवर्ग प्रदर्शन (शो) में भाग लिया था । उसमें उन्होंने नैट विमान को उड़ा कर दिखाया था । इसीलिए हम यह विश्वास कैसे कर सकते हैं कि इतना अनुभवी आदमी इस तरह की साधारण उपेक्षा कर सकता है वह एक पायलेट के पहले कर्त्तव्य को कैसे भूल सकता है ? कैसे वह नैट विमान की छतरी को खुला छोड़ सकता है ।

इसके साथ ही कोई भी अनुभवी विमान चालक इस बात की पुष्टि कर सकता है कि विमान के भूमि से टकराने पर निकासी यन्त्र (इजैक्शन कार्टिज) का स्वतः जलना बिल्कुल असम्भव है । अतः यही हुआ होगा कि कैप्टन दास ने इस यन्त्र का बटन दबाया होगा परन्तु वह चला नहीं होगा क्योंकि विमान को देखने पर यही स्पष्ट होता है कि छत में केवल हल्की सी खरोंच ही आई है । अतः मैं मन्त्री महोदय से इसकी जांच का अनुरोध करती हूं ।

(श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुये)

(Shri Shri Chand Goyal in the Chair)

इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि 1956 में इस विमान का विकास हो रहा था । हम यह जानना चाहेगें कि 15 वर्ष पुराने विमान के ढांचे में आधुनिक मैक 2 इंजन लगाने का निर्णय कैसे किया गया ? प्रश्न का तात्पर्य यह है कि क्या यह एक राजनीतिक निर्णय था अथवा यह निर्णय योग्य तकनीशनों के कहने पर हुआ था । यदि हां तो वह योग्य तकनीशन कौन थे ? यदि यह निर्णय तकनीशनों का निर्णय है तो क्या यह पता लगाने के लिए कोशिश की गई है कि क्या पुराने विमान के इस ढांचे की मैक II क्षमता वाले उन्नत आधुनिक विमान के साथ तुलना क्यों की जा रही है ?

अतीत में सरकार ने सोच समझ कर दो समितियां नियुक्त की थी— 1963 में टाटा समिति और इसके बाद सुब्रह्मणियम समिति । परन्तु यह खेद का विषय है कि इन दोनों ही समितियों के पूरे प्रतिवेदन कभी भी संसद् या जनता को उपलब्ध नहीं हुये । केवल सुब्रह्मणियम के प्रतिवेदन का संक्षिप्त रूपान्तर ही उपलब्ध है । ब्रिटेन में लार्ड प्लाउडेन की समिति का प्रतिवेदन हरेक को उपलब्ध

[श्रीमती शारदा मुकर्जी]

किया गया था । इस पर जनता में और संसद् में चर्चा हुई । अतः मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करती हूं कि यह आवश्यक हो कि दोनों प्रतिवेदनों का पूरा पाठ सभा में पेश किया जाये । दूसरे देशीय विमानों के उत्पादन और विकास के लिए एक ऐसी समिति नियुक्त की जानी चाहिये जिसका अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो जो वायु सेना का विश्वास जीत सके । तीसरे इस में कुछ संसद् सदस्य भी होने चाहियें । परन्तु इसका अध्यक्ष कोई राजनीतिज्ञ न हो ।

हिन्दुस्तान ऐयरोनाटिक्स का ही उदाहरण लीजिये । इसका कार्य सैनिक अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है परन्तु इससे इस उद्योग का कुछ भी विकास नहीं हुआ है । कारण कि इन अधिकारियों को नक्शे बनाने और श्रमिकों पर नियंत्रण करने का कोई विशेष अनुभव नहीं होता ।

ये अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं अतः वे अस्थाई रुचि रख सकते हैं यही सबसे महत्त्वपूर्ण बात है । विमानों का प्रयोग करने वाले उनकी सप्लाई करने वाले नहीं हो सकते हैं । वायुसेना के लिये घटिया किस्म के वायुयान बनाने की जोखिम लेने की सरकार की वर्तमान प्रवृत्ति है तथा उनके बारे में सही बात हमेशा दबी रहती है जैसा कि ग्रुप कैप्टन दास की विमान दुर्घटना के मामले में हुआ है । आज विमान उद्योग के बहुत उत्तरदायित्व हैं । सरकार के पास बहुत से वायुयान हैं जैसा कि मैंने पहले कहा, एवरो 748 जो कि कानपुर में बनाया जा रहा है तथा असैनिक उद्देश्यों के लिये जो प्रयोग में लाया जाता है । मिग-21 तथा एच० एफ० 24, नैट तथा अन्य कई प्रकार के वायुयान भी सरकार के पास हैं ।

अब मैं इसके मानवीय पहलू पर प्रकाश डालती हूं । जब ग्रुप कैप्टन दास की मृत्यु हुई तो उस समय उनका वेतन 2000 रुपये योग 500 रुपये था । इस व्यक्ति को 1961 में परीक्षण पायलेट के रूप में रखा गया । इंडियन एयरलाइन्स कोरपोरेशन के पायलट को 6,000 रुपये वेतन मिलता है । जब ग्रुप कैप्टन मरे तो उनकी आयु 49 वर्ष थी । जब कोई व्यक्ति 35 वर्ष से 38 वर्ष तक की आयु में आ जाता है तो वह मैच I तथा मैच II वायुयान की उड़ान नहीं भर सकता है तो फिर क्यों ग्रुप कैप्टन को वहां रखा गया ? क्या उनकी सेवायें कहीं और उपयोग में नहीं लाई जा सकती थीं ?

एक समाचार था कि जिस दिन उनका वायुयान दुर्घटना ग्रस्त हुआ उसके दो दिन बाद उन्हें उप महा-प्रबन्धक नियुक्त किया जाना था । परन्तु यह समाचार पूर्णतया निराधार था ।

इसके अतिरिक्त उनकी विधवा को भी कोई पेशंन नहीं दी जा रही है । परीक्षण पायलट का भारी बीमा करवाना होता है और इस बीमे का खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है । अब ग्रुप कैप्टन दास की विधवा को केवल 1 लाख 25,000 रुपये ही दिये जा रहे हैं, यह राशि पेन्शन के रूप में बिल्कुल नगण्य है ।

यह सभा उस व्यवस्था का पता लगा सकती है जिसमें इस तरह का पैशाचिक अन्याय होता है और जिसमें उन कुछ व्यक्तियों की, जो आराम वाले आसान कार्य करते हैं, अयोग्यताओं और गड़बड़ियों पर पर्दा डाला जाता है जबकि योग्य देश भक्त युवकों की उपेक्षा की जाती है और कभी कभी अन्ततोगत्वा उनका बलिदान कर दिया जाता है । यह व्यवस्था समितियों की नियुक्ति करके तथ्यों को छिपाने में सफल होती हैं । इन समितियों का कार्य दोषी व्यक्तियों को निर्दोष सिद्ध करना और निर्दोष व्यक्ति को दोषी सिद्ध करना मात्र है और इसीलिये देश में हिंसा और अराजकता फैली हुई है क्योंकि सरकार भेद भाव पूर्व दोहरा रवैया अपनाती है । इसलिये हमें विमान उद्योग के इस सारे मामले की

विपक्ष और तटस्थ जांच करवाने की मांग करनी चाहिये और इस जांच के जो परिणाम निकलें उनसे संसद् तथा जनता को अवगत करवाया जाये । यह कोई पूर्णतया सैनिक मामला नहीं है अतः सरकार को इससे सहमत होने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिये ।

इस वीर की मातृभूमि के लिये सेवाओं तथा बलिदान के लिये केवल एक ही सम्मान हम दे सकते हैं कि जो भी युवक वायुयान उड़ायें उनकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाये तभी ग्रुप कैप्टन दास की मृत्यु व्यर्थ नहीं होगी । संसद् का यह परम कर्त्तव्य है कि वह वायु सेना में उड़ान भरने वाले युवकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखने सम्बन्धी मेरी मांग का समर्थन करें ।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री से अपील करूंगा कि हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड में हुई घटनाओं और एच० एफ०-24 की क्षमता के बारे में सभा में तथा समाचार-पत्रों में प्रकट किये गये सन्देह को दूर करें । हमें मालूम है कि वायुयानों के निर्माण से हमारी वायु-सेना को तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि हम वास्तव में अच्छे प्रशिक्षण देने वाले वायुयानों का विदेशों में निर्यात कर सकने की स्थिति में न हो जायें तथा पूर्णतया आत्म-निर्भर न बन जायें । ये जो सन्देह प्रकट किये गये हैं उन्हें केवल श्रीमती शारदा मुकर्जी के सुझाव के अनुसार एक जांच आयोग की नियुक्ति द्वारा ही दूर किया जा सकता है । इस जांच आयोग में संसद् सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि वे लोगों में उत्पन्न ऐसे सन्देह को आसानी से दूर कर सकते हैं अतः प्रत्येक प्रमुख दल का कम से कम एक संसद् सदस्य इस आयोग में अवश्य लिया जाना चाहिए ।

ग्रुप कैप्टन दास की दुर्घटना की जांच समिति के जांच परिणामों का सम्बन्ध है, एक परिणाम है कि उसने ऐसी छतरी के साथ उड़ान की जो पूर्णतया सुरक्षित नहीं थी । ऐसा मालूम पड़ता है कि यह परिणाम जानबूझ कर दिया गया है । सम्भवतः ढांचा बनाने वालों, निर्माण करने वालों को दोषमुक्त करने के लिये और पायलट को दोषी ठहराने के लिये जांच न्यायालय को इस आशय के अनुदेश दिये गये । अतः उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया है उसे वायुयान के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति तुरन्त गलत तथा मूर्खतापूर्ण बात कहेगा । प्रत्येक पायलट के पास उड़ान जांच कार्ड होता है । ज्योंहि वह छतरी में प्रवेश करता है, वह जांच कर लेता है । उसने 20,000 घंटों की उड़ान की होगी फिर भी वह अपनी स्मरण-शक्ति पर विश्वास नहीं करेगा । इन जांचों में एक जांच छतरी की भी होती है जिसकी वह जांच कर लेता है । अतः यह कहना बहुत मूर्खतापूर्ण बात है कि उसने ऐसी छतरी में उड़ान की, जो पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी । इस प्रकार के निष्कर्ष से वायुयान दुर्घटना का दोष पायलट पर डाला गया है और चूंकि पायलट पर इस दुर्घटना का दोष आता है तो हमें उसके परिवार का ख्याल आता है कि उसे उसकी मृत्यु के पश्चात उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है । मैं मंत्री जी की आलोचना करने की दृष्टि से नहीं बल्कि एक बार उसके जांच कार्ड की जांच करने के लिये निवेदन करूंगा कि उसने छतरी वाले बिन्दु की जांच की थी अथवा नहीं ।

इससे उत्पन्न होने वाली अन्य बातें भी हैं । हम एच० एफ०-24 के विकास को ही जारी क्यों रखें ? मुझे विश्वास है कि हम मिग-21 में कुछ सुधार करने जा रहे हैं । एच० एफ०-24 तथा मिग-21 दोनों ही लड़ाकू अन्तर्रोधिक वायुयान हैं । इसमें ऐसी कौनसी बात है कि हम ऐसे वायुयान पर ही अटल रहे जिसकी लगभग 13-14 वर्ष पूर्व हमने परिकल्पना की थी जबकि विश्व में इनमें डिजाइन बहुत तेजी से बदल रहे हैं । ऐसे भी देश हैं जो अपनी वायुयान सेना के लिये वास्तव में एक वायुयान को केवल दो या तीन वर्षों के लिये बना रहे हैं । रूस वालों ने मिग-15 से लेकर मिग-23 तक काम में ले लिये हैं -- वे इन्हें दो-दो तीन-तीन वर्षों तक काम में लेकर नये बदल देते थे ।

[श्री रणजीत सिंह]

हम अपने देश में इसे केवल काम में ही नहीं ले रहे हैं बल्कि गत चौदह वर्षों से इसके डिजाइन को अन्तिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं । इस वायुयान के लिये ई-300 मैच-2 इंजिन बनाने की बात से ऐसा लगता है जैसे डिजाइन बनाने वाले और विमान निर्माण से सम्बन्धित उच्चाधिकारियों में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है ।

एच० एफ०-24 के इंजिन तैयार करने के लिये हमने ब्रिटिश फर्म को लगभग 2.4 करोड़ रुपये दिए। लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदन अनुसार जब कभी उनकी ओर से धन की मांग की गई उन्हें धन दे दिया गया तथा यह सारा धन बेकार गया । इसी कारण सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने यह टिप्पणी की, "इसने इस विमान के निर्माण की कठिनाइयों को पूरी तरह से नहीं समझा है और आशा-वादी अनुमान लगाया है । हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड उत्पादन योजना संगठन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।" इसके पश्चात् श्री जे० पी० चावला के लेख में आरोप भी लगाये गये थे । जब यह सब बातें सन्देह पैदा करती हैं तो क्यों नहीं सरकार यह कह देती कि हमें समिति के परिणामों में विश्वास नहीं है तथा दूसरी समिति नियुक्त कर जहां वास्तव में दोष है उसका क्यों नहीं पता लगाया जाता ।

सरकार को महसूस करना चाहिये कि इन बातों का न केवल कुछ विमानों की प्राप्ति तथा कुछ विमानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, अपितु इन बातों का हमारे पायलटों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार हमने अपने कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है । हमने उन्हें युद्ध में बिना समुचित शास्त्रास्त्र दिये ही लगा दिया, हमने उन्हें उचित वर्दी दिये बिना काम पर भेज दिया और अब भी हम उन्हें राजनीतिक कारणों से हथियार देने का प्रयत्न कर रहे हैं । अतः हमें उनके मनोबल और उनकी सुरक्षा के लिये भी एक समिति बनानी चाहिये ताकि विशेषकर हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड में विमान निर्माण के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जा सके ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि परीक्षण विमान-चालकों को तैयार करने के लिये किस तरह की प्रशिक्षण प्रणाली उनके पास है । परीक्षण विमान-चालक कुछ विशेष स्तर की बात है । वे इंजीनियर भी होते हैं, साथ-साथ विमान-चालक भी । इसके अतिरिक्त उन्हें भिन्न-भिन्न स्थिति में विभिन्न विमानों पर उड़ान का अनुभव रखना चाहिये । अतः हम जानना चाहेंगे कि हम अपने परीक्षण विमान-चालकों को कहां प्रशिक्षण दे रहे हैं ? हमने कितने परीक्षणों का विमान-चालकों को प्रशिक्षण दिया है ? ग्रुप कैप्टन दास की मृत्यु के पश्चात् कोई पायलट विमान संभालने वाला नहीं था । हमें किसी तरह की गोपनीयता की आड़ में किसी बात को छिपाना नहीं चाहिये क्योंकि कोई बातें स्पष्ट रूप से जान ली जाती हैं तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय यह कहता है कि उन्हें बताना जनहित में नहीं है । मैंने अगले दिन पूछा कि क्या हमारा किसी विदेशी फर्म के साथ टैंक भेदी डिज़ाइन बनाने का कैंरार हुआ है तो उत्तर 'हां' में मिला । अतः मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसकी जांच के लिये एक समिति बनाने को सहमत हो जायें ।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : हम श्रीमती शारदा मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने एक मां के हृदय से एक तेजस्वी विमान-चालक की मृत्यु पर अपनी भावनायें व्यक्त कीं ।

मेरे विचार से पायलट की मृत्यु का कारण हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के विमान कार्य से है जिसका कि प्रारम्भ से ही रहस्योद्घाटन नहीं हुआ है तथा समाचार-पत्रों, जनता और संसद् में इस बारे में संदेह व्यक्त किया गया है ।

तीसरी लोक-सभा की लोक-लेखा समिति के 70वें प्रतिवेदन तथा चौथी लोक-सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 8वें प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि प्रबन्धकों द्वारा अति उपेक्षा की गई है तथा यह उपेक्षा कई वर्षों तक की जाती रही है ।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो यह आरोप लगाये हैं कि विदेशी दबाव, अन्तर्राष्ट्रीय साठ-गांठ तथा राजनीति के कारण हमारा विमान उद्योग नष्ट-भ्रष्ट हुआ है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बोलने के लिये मेरे पास अधिक समय नहीं है ।

इन परिस्थितियों में जबकि सुब्रमाणियम और टाटा समितियों के प्रतिवेदन अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं तथा जबकि विभागीय जांच की जा चुकी है और जबकि कुछ तथ्यों को छिपाने में लोगों का स्वार्थ निहित है, तो लोगों के हृदय से सन्देह को दूर करने तथा हमारी वायुसेना और देश की जनता के मनोबल को गिरने से रोकने के लिये यह आवश्यक है कि इस मामले की या तो विस्तृत न्यायिक जांच कराई जाये अथवा उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा, जिसमें संसद् सदस्य तथा देश के अन्य प्रमुख नागरिक हों, इस मामले की जांच करायी जाये ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I support the suggestion of setting up a Committee to look into the circumstances under which the chief test Pilot has died. The details of the inquiry should be made known to us. Nothing should be concealed under the pretext of secracy.

Unfortunately details of the report of inquiry held for looking into the causes of an air-crash, whenever it might have taken place, are not made public and thus the whole thing remains a mystery. Some years ago, Dr. Bhabha had died in a plane-crash in Europe but we do not know whether the Government had received a report of any inquiry held into that accident . This was a very important question because we must know the circumstances in which he died unfortunately, there is no such machinery, which can make this information available to us. The centre should have a permanent machinery which should immediately go into the causes of our air-crash whenever and wherever it occurs in the country and the report of this inquiry should be made known to the people.

The inquiry into the death of the test-pilot should cover the question of internal structure of the air-craft. It is a sad thing that obsolete air-craft is used.

The inquiry into the death of test-pilot should cover the question of internal structure of the air-craft and also the possibility of sabotage.

We are proud of our pilots and during the war with Pakistan our young pilots fought with bravery. While making inquiry we should also take into consideration the age, health and working conditions of the pilots.

A permanent machinery may be set up in future to go into the whole aspects of the death of the pilots or travellers. The Government must not try to hide the facts but these may be brought into the notice of the House so that on their basis suitable steps could be taken for the future.

श्री समर गुह (कन्टाई) : स्वर्गीय ग्रुप कैप्टन दास की मृत्यु से भारत ने एक ऐसा अत्यधिक प्रतिभाशाली विमान-चालक खो दिया है जिन्हें बहुत-सी सफलताएं प्राप्त हुई थीं तथा जो एक महान् योग्य और उत्साही विमान-चालक थे । जांच में कहा गया है कि विमान दुर्घटना छतरी के बन्द न होने के कारण हुई है । यह असाधारण बात प्रतीत होती है । यह बात विवरण में है कि ग्रुप कप्टन दास ने केवल एक बार ही नहीं अपितु अनेक बार अधिकारियों से शिकायत की कि विमान में स्वचालन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि छतरी यदि नहीं खुलती है तो खतरे का निशान लाल बत्ती उसमें आ जाना चाहिए । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । विवरण में यह भी दिया हुआ है कि ग्रुप कैप्टन दास ने अनेक बार सुझाव दिये कि विमान से बाहर निकलने के लिए स्वचालित व्यवस्था होनी चाहिये । परन्तु इस तरह का प्रबन्ध भी नहीं किया गया । यदि ऐसी व्यवस्था कर दी जाती तो शायद यह दुर्घटना न घटित होती ।

प्रतिरक्षा मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि ग्रुप कैप्टन सूरी जिन्हें इस दुर्घटना की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है वे 1961 में एच० एफ०-24 को नहीं उड़ा पाये, और क्या यह भी सच नहीं है कि एच० एफ०-24 को उड़ाने में कामयाब न होने के कारण ग्रुप कैप्टन सूरी के स्थान पर ग्रुप कैप्टन दास को रखा गया तथा वे एच० एफ०-24 को उड़ाने में सफल हुए । अतः ईर्ष्या की भावना और दूसरी बातें भी उत्पन्न हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रुप कैप्टन सूरी की जांच अधूरी ही कही जा सकती है । क्योंकि एक असफल व्यक्ति को इस मामले में जांच करने के लिये कहना हास्यास्पद प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त यह भी अजीब बात है कि पहला साक्ष्य ग्रुप कैप्टन की पत्नी से नहीं लिया गया है । यह केवल एक दक्ष और योग्य विमान-चालक को ही खोने का मामला नहीं है; अपितु यह ऐसा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध हमारे भविष्य के विमान-चालकों से है जिन्हें प्रतिरक्षा व्यवस्था में विश्वास होना चाहिए । अतः इसे वैयक्तिक मामला नहीं समझना चाहिये । सरकार को ऐसी जांच करवानी चाहिए जिससे न केवल भारतीय जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास की भावना जाग्रत हो अपितु प्रतिरक्षा विभाग के अन्य विमान-चालकों में विश्वास की भावना पैदा हो । अतः यह मामला पूरे राष्ट्र का है । तकनीशनों तथा संसद् सदस्यों की एक अविभागीय समिति का गठन किया जाना चाहिए और इस समिति का समापतित्व या तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के विख्यात न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए ।

यह सर्वथा निर्दयता की बात है कि सरकार व्यथित परिवार को मुआवजे के रूप में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने से इन्कार करना चाहती है । जो दोषी है, हमें उसको सामने लाना चाहिए । अप्रत्यक्ष रूप से ग्रुप कैप्टन दास की मृत्यु का दोषी डिजाइनर ही है क्योंकि उनके सुझाव की ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया ।

श्री बृजराजसिंह कोटा (झालावाड़) : इस दुर्घटना के तथ्य क्या हैं, इसके बारे में, मैं जानना चाहता हूं । बिजली फेल हो जाने के कारण ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, अन्यथा नहीं । एक प्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ ने अपने लेख में लिखा है कि बाईं ओर के इंजिन ने काम करना बंद कर दिया और यही कारण है कि एच० एफ०-24 ध्वस्त हो गया ।

हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड कार्य संचालन किस तरह से हो रहा है यह हम सबको मालूम है । मुख्य अभिकल्पी का चयन किस तरह से हुआ और उसकी आशाएं क्या थीं और क्या वह उस पद के वस्तुतः योग्य था, ये सभी बातें हमें विदित हैं ।

मंत्री महोदय को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कुछ अयोग्य सेवा अधिकारियों के कार्य का कितना बुरा रिकार्ड है । यदि इस सभा को इस प्रश्न को सिद्ध करने की समस्या का पता करना है कि किस प्रकार हमारा समूचा अनुसंधान तथा विकास संगठित किया गया है तथा किस प्रकार हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के कार्य में तीव्रता लानी है तो मेरे विचार से यह राष्ट्रीय सेवा समझी जायेगी ।

टाटा समिति का प्रतिवेदन इस सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त सुब्रह्मण्यम समिति का प्रतिवेदन भी हमें संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है जो लाइब्रेरी में भी उपलब्ध नहीं है । ये विभिन्न बातें हैं जिनकी इस सभा के सदस्य और हम मांग कर रहे हैं कि इस विमान-दुर्घटना की भली-भांति जांच की जानी चाहिए ताकि पता चल सके कि विमान-चालक को अपने जीवन से क्यों हाथ धोना पड़ा ।

विमान-चालक के वेतन के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या रही है । परीक्षण उड़ान करने वाले विमान-चालक को दुष्कर कार्य करना पड़ता है । अतः उनको अच्छे वेतन दिये जाने चाहिएं । माननीय सदस्या श्रीमती शारदा मुकर्जी ने कहा कि है परीक्षण उड़ान करने वाला विमान-चालक ग्रुप कैप्टन दास को केवल 2,500 रुपये ही मिल रहे थे जबकि बोइंग विमान-चालक 4,000 रुपये से अधिक प्राप्त कर रहे हैं । इसमें निश्चित रूप से बहुत अन्तर है जिसकी अवश्य ही जांच की जानी चाहिए ।

प्रतिरक्षा तथा इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुःख होता है कि 10 जनवरी, 1970 को एच० एफ०-24 आई० आर० प्रोटोटाइप विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया । यह प्रोटोटाइप विमान मार्च 1969 से उड़ाने भरता आ रहा था और दुर्घटनाग्रस्त होने से पूर्व इसने नौ उड़ानें भरी थीं । दुर्भाग्यवश इस दुर्घटना में विमान नष्ट हो गया तथा इसके चालक को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा । ग्रुप कैप्टन दास सुयोग्य चालकों में से एक थे और वस्तुतः उनकी मृत्यु से राष्ट्र को क्षति पहुंची है । वह 1961 से ही एच० एफ०-24 को उड़ा रहे थे और इसके विकास में उनका पर्याप्त योगदान रहा था ।

इस मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि एक जांच बोर्ड की नियुक्ति की जानी चाहिए । मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जांच बोर्ड हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा गठित नहीं है । अपितु यह सरकार द्वारा गठित किया गया है । यह बोर्ड एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें आठ वरिष्ठ अधिकारी हैं । ये सभी अधिकारी तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो प्रभोक्ता-निर्माता विभाग तथा डिजाइन संगठनों और इंजिन निर्माता विभाग तथा प्रशिक्षण निदेशालय से लिये गये हैं । जांच बोर्ड को दुर्घटना की परिस्थितियों तथा उसके कारणों और उससे सम्बद्ध विषयों पर जांच करने के लिये कहा गया है । श्री समर गुह ने पूछा है कि क्या विमान का डिजाइन और अन्य वस्तुएं ठीक थीं, तो उसके उत्तर में, मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस तरह का सन्देह कभी नहीं करना चाहिए । ये सभी अधिकारी डिजाइन में विशेषज्ञ हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने जिन बातों का उल्लेख करते हुए उन पर बल दिया है, वे सही नहीं हैं । उनका कथन इस पूर्वधारणा पर आधारित था कि कोई भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के वास्तविक कारण का पता नहीं लगाना चाहता है । मेरा सुझाव यह है कि माननीय सदस्यों को इस प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए । किसी की गलती को ढकने अथवा इस दुर्घटना के लिए बहाना बना कर बच निकलने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है ।

[श्री स्वर्ण सिंह]

हमारी वायुसेना के लोगों की यह तीव्र इच्छा थी कि जो भी वायुयान बनाया जाय वह सभी दृष्टियों से पूर्ण होना चाहिये । इन लोगों ने इस वायुयान का परीक्षण किया और कोई त्रुटि खोज निकालने में असमर्थ रहे । इसके साथ-साथ वायुयान निर्माताओं का भी यह भरसक प्रयत्न कि वायुयान पूर्णतया त्रुटिहीन हो ।

कुछ माननीय सदस्यों ने जिन बातों पर ज़ोर दिया है वह सभी सही नहीं हैं । उनका कथन केवल इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के वास्तविक कारण का पता नहीं लगाना चाहता । इस तरह के भय की कोई सम्भावना नहीं है और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उन्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिये ।

मैं सभा को जांच आयोग का कुछ विवरण देना चाहता हूं । अब तक सरकार को जांच आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मुख्य परीक्षण विमान-चालक ने ग़लती से छत को खुले रहने दिया था । और छत के खुला रहने के कारण ही विमान का इंजिन भी जल गया । विमान में जो शक्ति उपलब्ध थी वह उसकी उपयुक्त उंचाई पर उड़ान भरने के लिए उपयुक्त नहीं थी ।

इसके साथ ही बोर्ड ने निम्नलिखित सम्भव कारण भी दिये हैं कि पायलट ने छतरी को फेंकने अथवा बहिष्कार करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया ।

एच० एफ०-24 आई० आर० वायुयान अपनी किस्म का एक ही प्ररूप था; यह सम्भव है कि पायलट ने वायुयान को विवश होकर भूमि पर उतार कर जलाने का प्रयास किया हो । भरहट्टाजली गांव का वायुयान के उड़ान पथ के बहुत समीप होने सम्बन्धी पायलट की जागरुकता, पूरी तरह खुली छतरी छोड़ने से नियंत्रण की हानि पहुंचाने की संभावना और वायुयान से दूर छतरी को ले जाने के लिए "थरस्टरस" के उपलब्ध होने के आपातकालीन को और गम्भीर करने के सम्बन्ध में पायलट की जागरुकता का पता चलता है ।

बोर्ड ने आगे यह भी कहा है कि जांच ने प्रकट किया है कि यदि पायलट ने छतरी को फेंकने का भी प्रयास किया होता तो वह भी पूरी तरह खुली स्थिति में सम्भव न था । उसने सिफारिश की है कि लाल प्रकाश संकेत-चिन्ह की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि पायलट को पता लग सके कि छतरी बन्द हो गई है अथवा नहीं ।

बोर्ड ने दूसरी सिफारिश यह की है कि छतरी का ढांचा ऐसा होना चाहिये जिससे कि 120 मील की गति के बराबर वायुयान पर इसका ढक्कन बन्द हो सके ।

इनके अतिरिक्त बोर्ड ने कुछ दूसरी सिफारिशें भी की हैं जिनका सम्बन्ध उड़ान विकास और परीक्षण की प्रक्रिया से है । सभा इस बात पर सहमत होगी कि सभी विकास उड़ानों में कुछ खतरा निहित रहता है । परन्तु प्रस्तुत मामले में एक समिति के द्वारा दी गई आवश्यक निकासी के पश्चात् इंजिनों के उड़ान-परीक्षण किये गये, जिसे इसी अभिप्राय से बनाया गया ।

यह ध्यान में रखने की महत्त्वपूर्ण बात है कि गैस टरबाईन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा बनाये गए इंजिन सितम्बर 1964 से एच० एफ०-24 मार्क आई० ए० में उड़ाये जा रहे हैं और जो नमूना दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वह भी पहले नौ बार उड़ चुका है । इन दोनों ही विमानों के इंजिन पहले ही 260 बार उड़ान भर चुके हैं ।

जहां तक प्रतिवेदन को सभा-पटल पर पेश करने का प्रश्न है, मैं इस प्रतिवेदन पर समुचित राय लेकर विचार करूंगा । सम्पूर्ण उपलब्ध सुविज्ञता के आधार पर मैं इसकी जांच करूंगा और इस जांच-पड़ताल के फलस्वरूप अगर कोई अन्य बात निकल आये तो मैं इसको सिद्ध करूंगा ।

हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित सामान्य प्रश्नों के सम्बन्ध में, लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों को निपटाने की उचित प्रक्रिया है । इस विशेष मामले में वहां एक चर्चा की गई जहां हमारे तेजस्वी तथा प्रतिभावान परीक्षण विमान-चालक की मृत्यु हुई है ।

मृतक के आश्रितों को 1.25 लाख रुपये की धन-राशि दी गई है । यह राशि एक पालिसी की बीमा राशि है जिसके लिए हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया गया है । ऐसे मामलों में धन किसी खास सीमा तक मुआवज़े का कार्य कर सकता है परन्तु देश तथा मृतक के परिवार के लिए यह एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं ।

इसके साथ ही पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति सम्बन्धी लाभों के बारे में परिवार को निःसन्देह वे सुविधायें मिलेंगी जो हमारे नियमों के अन्तर्गत देय हैं । यदि किसी विवेक की आवश्यकता हुई तो उसका भी प्रयोग किया जायेगा । यह उन्हें रोकने की अपेक्षा देने के पक्ष में ही होगा ।

इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया गया है कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच के लिए एक स्वतन्त्र समिति होनी चाहिये जिसका सभापति किसी उच्च न्यायालय का या कोई न्यायाधीश हो या कोई विशिष्ट जनता का व्यक्ति हो, जो मामले की भिन्न-भिन्न स्थितियों का अध्ययन करे । यह एक उच्च तकनीकी से सम्बद्ध मामला है और इन मामलों का उचित अध्ययन केवल वही लोग कर सकते हैं जो तकनीकी समस्याओं से परिचित हों । ऐसे विभिन्न अंगों के दस विशेषज्ञों का प्रतिवेदन हमारे सामने है । उन्होंने घटना का पूर्ण सर्वेक्षण और अध्ययन करने के उपरान्त ही यह प्रतिवेदन दिया है ।

मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस दुर्घटना के पीछे न तो कोई राजनीति है और न ही इसमें किसी विदेशी शक्ति का हाथ है । जब भी कोई दुःखद स्थिति हमारे सामने होती है, या कोई कठिन मामला हमारे समक्ष होता है हम उसमें विदेशी शक्ति का हाथ देखने लगते हैं परन्तु यह अच्छा दृष्टिकोण नहीं है । इस मामले में तो हमारे ही देश के विशेषज्ञ, प्रविधिज्ञ और इंजीनियर तथा तकनीशन कार्य कर रहे थे उन्होंने ही इसके नमूने तैयार किये थे । यह सभी तो हमारे भारतीय परीक्षण विमान-चालक है और कुछ समय पूर्व तक उड़ानें भी करते रहे हैं । एच० एफ०-24 पहले से ही स्क्वाड्रन कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा है और हमारे विमान-चालकों को इसकी सफल-चलन क्रिया पर बहुत प्रसन्नता है । अतः जिस तरह की जांच का सुझाव दिया गया है मैं उसका पूर्ण विरोध करता हूं क्योंकि मेरी दृष्टि से इसका कोई लाभ नहीं होगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 13 मई, 1970/23 वैशाख, 1892 (शक) के 11.00 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, May 13, 1970/Vaisakha 23, 1892 (Saka).

MGIPRRND—II—4 L S S—23-12-70—340.